मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति
का
अष्टम् प्रतिवेदन

(अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 2015 को सदन में प्रस्तुत)

<u>विषय सूची</u>

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	i
2.	**प्रस्तावना**	ii
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	iii
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1
	(2) वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	2
	(3) सामान्य प्रशासन	4
	(4) वित्त	6
	(5) श्रम	7
	(6) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	8
	(7) भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास	9
	(8) खेल एवं युवक कल्याण	12
	(9) सामाजिक न्याय	13
	(10) परिवहन	14
	(11) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15
	(12) चिकित्सा शिक्षा	20
	(13) लोक निर्माण	21
	(14) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	29
	(15) वन	30
	(16) आदिम जाति कल्याण	32
	(17) स्कूल शिक्षा	33
	(18) सहकारिता	38
	(19) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	42
	(20) आवास एवं पर्यावरण	46
	(21) ऊर्जा	47
	(22) गृह(पुलिस)	48
	(23) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	50
	(24) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	58
	(25) जल संसाधन	60

	(26) नर्मदा घाटी विकास	64
	(27) राजस्व	67
	(28) उच्च शिक्षा	72
	(29) नगरीय प्रशासन एवं विकास	75
5.	**(i) परिशिष्ट – ''अ''** (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा) **(ii) परिशिष्ट – ''ब''** (विभागीय जांच के अनिर्णीत प्रकरण) **(ii) परिशिष्ट - ''स''** (अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र के आश्वासनों पर पूर्व प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	84 86 87

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

<u>सभापति</u>

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

<u>सदस्यगण</u>

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी

<u>विधान सभा सचिवालय</u>

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का अष्टम् प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त, 2015 को गठित की गई थी ।

3. इस प्रतिवेदन में अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है । वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 544 आश्वासन दिये गये थे । 360 आश्वासनों का निराकरण क्रमश: एकादश विधान सभा एवं द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है तथा 01 आश्वासन विलोपित किया गया है (परिशिष्ट – ''स'') । इस प्रकार शेष 183 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस अष्टम् प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है । संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा ।

5. समिति की बैठक दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है ।

राजेन्द्र पाण्डेय

सभापति

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल

दिनाक:- 01 दिसम्बर, 2015.

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमाक
1.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	02
2.	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	07
3.	सामान्य प्रशासन	10, 11
4.	वित्त	14
5.	श्रम	15
6.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	19
7.	भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास	22, 25, 26, 30
8.	खेल एवं युवक कल्याण	40, 41
9.	सामाजिक न्याय	42
10.	परिवहन	43, 45
11.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	49, 50, 52, 57, 60, 61, 64
12.	चिकित्सा शिक्षा	71
13.	लोक निर्माण	77, 78, 81, 83, 84, 85, 87, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 103, 104, 108, 111, 115, 116 ''अ'', 117, 119, 120
14.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	105
15.	वन	127, 128, 136
16.	आदिम जाति कल्याण	140, 141
17.	स्कूल शिक्षा	148, 149, 158, 163, 164, 171, 172, 177, 188, 192, 196, 199
18.	सहकारिता	200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208
19.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	226, 228, 229, 233, 235, 239, 240, 242, 243, 246
20.	आवास एवं पर्यावरण	249, 252, 256
21.	ऊर्जा	265, 273
22.	गृह(पुलिस)	285, 296, 302, 303, 310, 314 ''अ'', 319
23.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 334, 335, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349
24.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	376, 379, 380
25.	जल संसाधन	389, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 406
26.	नर्मदा घाटी विकास	390, 407, 408, 411
27.	राजस्व	412, 415, 424, 425, 430, 434, 435, 436, 440, 441, 442, 444, 447, 448, 451, 540
28.	उच्च शिक्षा	456, 458, 461, 464, 465, 466, 467, 469
29.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	473, 475, 478, 479, 480, 482, 485, 487, 488, 491, 502, 505, 507, 508, 515, 516, 517, 522, 526, 528, 531, 532, 534, 538

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	02	अता.प्र.सं.37 (क्र.6193) दि. 21.09.2001	मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद द्वारा प्रायोजित राशि की द्वितीय अथवा तृतीय किश्ते संबंधित परियोजना अथवा कान्फ्रेंस को जारी की जाना।	शेष जिन परियोजनाओं अथवा कान्फ्रेंस को द्वितीय अथवा तृतीय किश्त जारी नहीं की गई है, उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर विचारोपरांत जारी कर दी जावेगी।	कुल 81 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाओं की द्वितीय अथवा तृतीय किश्त जारी की गई है, शेष परियोजनाओं की द्वितीय अथवा तृतीय किश्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जारी की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 6-7/2001/41, दिनांक 02.07.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	07	ध्यानाकर्षण सूचना	जबलपुर जिला अंतर्गत गोसलपुर ग्राम में म.प्र. विद्युत संयंत्र लि. के बंद होने के फलस्वरूप श्रमिक के स्वत्वों का भुगतान।	हम जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने में और उसमें यह की प्राथमिकता भी होती है तो उनको उनका भुगतान करवाने की कोशिश करेगें।	म.प्र. विद्युत संयंत्र लि. का प्रकरण बी.आई.एफ.आर. में विचाराधीन रहा है, बी.आई.एफ.आर. द्वारा दि. 02.02.95 को कंपनी के परिसमापन का मत दिया जा चुका है तथा वर्तमान में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष कंपनी के लिक्वीडेशन के लिये प्रकरण लंबित है। चूंकि प्रक्रिया न्यायाधीन है अत: श्रमिकगण अपने स्वत्वों के निराकरण के लिये कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान.उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं चूंकि यह इकाई प्रत्यक्ष रूप से राज्य शासन द्वारा परिचालित नहीं की गई। अत: श्रमिकगण अपने स्वत्वों के संबंध में मान.उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिये स्वतंत्र है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-12-25/09/बी-ग्यारह, दिनांक 05.06.2012** विधानसभा सचिवालय पत्र क्रमांक 19518/विस/आश्वा/2013, दिनांक 05.10.2013 से चाही गई जानकारी :- जबलपुर जिले के गोसलपुर ग्राम में म.प्र. विद्युत लिमिटेड कपंनी बंद होने से श्रमिकों के स्वत्वों संबंधित था पर साक्ष्य दिनांक 05.06.2012 चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारी समिति को यह आश्वस्त किया था कि श्रम विभाग से जानकारी लेकर विभाग समिति को निम्न जानकारी प्रेषित करेगा :- बिन्दु क्रमांक 1 :- कितने श्रमिकों के स्वत्वों के भुगतान का मामला लिक्वीडेटर के समक्ष उठाया गया है। बिन्दु क्रमांक 2 :- प्रदेश के ऐसे औद्योगिक प्रकरणों की जानकारी जो बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत लिक्वीडेशन की प्रक्रिया में है और जिसके कारण मजदूरी स्वत्वों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। **<u>अद्यतन जानकारी :-</u>** (1) इस कंपनी से संबंधित श्रमिकों के स्वत्वों के भुगतान की जानकारी के लिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त लिक्वीडेटर से जानकारी चाही गई। प्राप्त जानकारी दिनांक 26.03.2014 के अनुसार लिक्वीडेटर द्वारा अवगत कराया गया है कि कपंनी से संबंधित परिसमापन की कार्यवाही	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के विचाराधीन है जहां तक श्रमिकों को उनके स्वत्वों के भुगतान किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में वर्तमान में कंपनी के लेनदारों से उनके दावे नहीं बुलाये गये है। (2) जो प्रकरण यदि बी.आई.एफ.आर. की प्रक्रिया में है तो उसमें कोई भी दांडिक कार्यवाही राज्य शासन पर या और कोई न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की जा सकती है, बी.आई.एफ.आर. से अंतर्गत अगर बंदीकरण का वैधानिक आदेश हो जाता है तो उसके बाद या उसको पुनर्जीवित करने का तरीका निकाला जाए, उसमें राज्य शासन की कुछ मदद मांगी जाती है, यदि मिल को पुनर्जीवित करने की स्थिति नहीं है तो मिल बंद करने का आदेश बी.आई.एफ.आर. देता है ऐसी स्थिति में मिल की जो परिसम्पत्तियां है उनका निवर्तन करके किसकों क्या मिलना है, यह उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त लिक्वीडेटर द्वारा तय किया जाता है, उसमें राज्य शासन द्वारा अंतरिम रूप से भी कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है। उल्लेखनीय है कि पूरी प्रक्रिया न्यायाधीन होती है। लिक्वीडेशन अनुसार लेनदार जिनमें श्रमिक भी होते है अपना दावा लिक्वीडेटर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है परंतु इस प्रकरण में लिक्वीडेटर द्वारा अभी दावे नहीं बुलाये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 12-25/09/बी-ग्यारह,** **दिनांक 31.05.2014**	

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
3.	10	ता.प्र.सं.01 (क्र.412) दि. 05.09.2001	मृतक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने हेतु रिक्त पदों को समाप्त न किए जाने संबंधी कार्यवाही।	1. सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निश्चित रूप से जहां-जहां भी स्थान रिक्त होगें वहां-वहां पर अनुकंपा नियुक्ति बराबर की जाएगी। 2. सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी।	आश्वासन पूर्ति की जानकारी इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी/8/24/01/3/1 इस विभाग दिनांक 17.09.08 को भेजी जा चुकी है। जहां तक मृतक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने हेतु रिक्त पदों को समाप्त न किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वित्तीय संकट से निपटने के लिये वित्त विभाग द्वारा दिनांक 14.01.2000 को जारी निर्देशों में सभी प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उक्त प्रतिबंध अनुकंपा नियुक्तियों पर भी लागू किया गया था। मंत्री परिषद राजनैतिक मामलों की समिति की बैठक दिनांक 18.04.2000 द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रतिबंध से अनुकंपा नियुक्ति को मुक्त रखा जाये तथा शासकीय अमले में आगामी 5 वर्षों में 30 प्रतिशत कमी करने की योजना के अंतर्गत जो पद समाप्त किये जा रहे है वे अनुकंपा नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं होगें और केवल स्पष्ट रूप से रिक्त नियमित पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग का परिपत्र दिनांक 01.05.2000 जारी किया गया था, जिसमें यह भी प्रावधान था कि शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक पद उपलब्ध न हुआ तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता समाप्त हो जावेगी। वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के निर्देशों को और भी सरलीकृत कर परिपत्र दिनांक 22.01.2007 एवं 18.08.2008 जारी किया गया है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त न होने पर अनुकंपा नियुक्ति के बदले रूपये एक लाख एक मुश्त देने का प्रावधान किया गया है तथा तृतीय श्रेणी के पद रिक्त न होने पर संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने अथवा संविदा शाला शिक्षक के पद भी रिक्त न होने पर दिवंगत शासकीय सेवक द्वारा अंतिम आहरित वेतन 05 वर्ष तक या दिवगंत शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की अवधि तक जो भी पहले हो, से उनके परिवार के नामांकित सदस्य को देने का प्रावधान किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **सी/8-24/1/3/01,** **दिनांक 19.05.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	11	अशासकीय संकल्प क्र. 60 दि. 07.09.2001	प्रदेश में शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के या आश्रित सदस्य को तीन माह के अंदर अनुकंपा नियुक्ति दी जाना हो सुनिश्चित किया जाना।	निश्चित रूप से इन पर हम लोग परीक्षण करवायेगें में आश्वस्त करता हूँ और जो कुछ हो सकता है हम करेगें।	अनुकंपा नियुक्ति के निर्देशों के सरलीकरण के संबंध में मान. वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसानुसार निर्णय लेकर मंत्री-परिषद अनुमोदन प्राप्त कर एकजाई निर्देश दिनांक 22.01.09 को जारी किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **सी 298/8-61/06/3/ एक,** **दिनांक 07.02.2007**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
वित्त विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	14	ता.प्र.सं.01 (क्र.5331) दि. 13.09.2001	नगर पालिका बैतूल में पदस्थ संपरीक्षक बी.एल. सहरवार, के विरूद्ध परिषद द्वारा लगाए गये आरोपों की जांच तथा बैतूल से अन्यत्र स्थानांतरण तथा नियम सम्मत प्रकरणों को भी लंबी अवधि तक लंबित रखने की जांच।	यथासंभव शीघ्र जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगा। एक डेढ़ महीने में जैसा कि मैने निवेदन किया ये रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद माननीय कोठारी जी को बता देंगे।	नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा नगर पालिका बैतूल की आवासीय संपरीक्षक में पदस्थ श्री बी.एल. सहरवार, ज्येष्ठ संपरीक्षक की नगर पालिका बैतूल से हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव में श्री सहरवार के विरूद्ध लगाए गए आरोपी की श्री ए.करीम, प्रभारी उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल से जांच कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाला कि श्री सहरवार ने ऐसी कोई आडिट आपत्ति नहीं लगाई या अनियमितता की है, जिसके आधार पर उन्हें दोषी कहा जा सके। फलस्वरूप श्री सहरवार, के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का औचित्य आधार नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10/31/2001/ई/ चार,** **दिनांक 28.02.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
श्रम विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
6.	15	परि.अता.प्र.सं.32 (क्र.570) दि. 27.08.2001	श्रम विभाग में त्रिपक्षीय सलाहकार समितियों का गठन।	शेष एक का गठन का यथाशीघ्र लिया जावेगा।	म.प्र. राज्य सलाहकार संविदा श्रमिक परिषद का पुनर्गठन आदेश क्रमांक एफ 4(ई)10/95/ ए-सोलह, दिनांक 20.07.2005 द्वारा किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 25.12.2001/एए-16, दिनांक 12.08.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	19	अता.प्र.सं.124 (क्र.6229) दि. 17.09.2001	सिवनी जिले के बरघाट जामा मस्जिद के आडिट रिपोर्ट में गबन पाये जाने की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	आडिट रिपोर्ट जांच समिति का मत प्राप्त होने पर उसकी अनुशंसा के अनुसार दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही की जावेगी। जिला कलेक्टर से श्री अ.हमीद की जानकारी प्राप्त की जाकर व आर.आर.सी. जारी कर देय राशि की प्रभावी वसूली की कार्यवाही करायी जा रही है।	1) वक्फ कमेटी अन्जुमन इस्लामिया ट्रस्ट बरघाट के पूर्व अध्यक्ष अ. हमीद खाँ से तहसीलदार बरघाट द्वारा वसूली प्रकरण के माध्यम से गबन राशि रूपये 8,78,06,345/- की वसूली की कार्यवाही की गई परंतु अब्दुल हमीद खाँ के नाम से कोई चल अचल संपत्ति न होने से बलात पद्धति से वसूली कार्यवाही नहीं की जा सकी। उपरोक्त कार्यवाही के मध्य ही अ. हमीद खाँ फौत हो गये हैं। 2) वक्फ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अ.हमीद खाँ के वारसानों में उनकी पत्नी श्रीमती सईदा एवं पुत्र यासीन खाँ उम्र 25 वर्ष तथा एक पुत्री कुमारी शाहीन 19 वर्ष है। उपरोक्त सभी वारसान मूण्डापार प.ह.न. 15 तहसील बरघाट में शासकीय मद आबादी की भूमि पर निर्मित आवास पर संयुक्त रूप से निवास करते है। तहसीलदार बरघाट से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त में से किसी भी वारसान के नाम पर चल-अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त स्थिति में राशि वसूली की जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-27/2001/54-2,** **दिनांक 08.10.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	22	अता.प्र.सं.01 (क्र.12) दि. 27.08.2001	श्री डी.डी. श्रीवास, अवर सचिव, गैस राहत विभाग के संबंध में मुख्य सचिव, मंत्री/प्रमुख सचिव, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परीक्षणोपरांत दिये जाने वाले अभिमत प्राप्त होने के पश्चात ही नियमानुसार कार्यवाही संभव हो सकेगी।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जांच की गई। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री श्रीवास द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेखित एक कर्मचारी श्री राकेश दुबे, पूर्व सांख्यिकी सहायक के प्रकरण के संबंध में समस्त कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संपन्न की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि सामान्यत: किसी भी विभाग द्वारा विधानसभा प्रश्न आदि के उत्तर/जानकारी मान. मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात् ही भेजी जाती है और यदि किन्हीं अपरिहार्य स्थिति में मान. मंत्री जी के अनुमोदन की प्रत्याशा में भी जो उत्तर विधानसभा को भेजे जाते हैं, उनका अनुमोदन विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव स्तर से अवश्य ही लिया जाता है। अत: यह सही प्रतीत नहीं होता है कि गैस राहत विभाग से संबंधित कोई विधानसभा प्रश्न आदि का उत्तर श्री श्रीवास अवर सचिव द्वारा अपने स्तर से (बिना विभागीय मंत्री अथवा प्रमुख सचिव/सचिव के अनुमोदन के) विधानसभा को भेजा गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री श्रीवास की पदस्थापना गैस राहत विभाग से गृह विभाग में होने के फलस्वरूप उन्हें दि. 13.09.2002 को कार्यमुक्त कर दिया गया तथा वे दिनांक 30.06.2003 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्ति भी हो चुके हैं। श्री श्रीवास के गैस राहत विभाग में पदस्थापना के दौरान उनके विरूद्ध कोई शिकायत अथवा विभागीय जांच लंबित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-44/2001/47,** **दिनांक 28.04.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	25	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.1224) दि. 03.09.2001	गैस राहत विभाग में पदस्थ अवर सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायतों पर कार्यवाही।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परीक्षणोपरांत दिए जाने वाले अभिमत प्राप्त होने के पश्चात ही नियमानुसार कार्यवाही संभव हो सकेगी।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 30.08.2002 में यह पाया कि श्री डी.डी. श्रीवास, तत्कालीन तथा वर्तमान में सेवानिवृत्त अवर सचिव द्वारा अपने स्तर से त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी विधानसभा को भेजने की अवमानना करने संबंधी मान. विधायक द्वारा की गई शिकायतों में शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में किसी प्रश्न विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। सामान्यत: किसी भी विभाग द्वारा विधानसभा प्रश्न आदि के उत्तर/जानकारी मान.मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात ही भेजी जाती है और यदि किन्हीं अपरिहार्य स्थिति में मान. मंत्री जी के अनुमोदन की प्रत्याशा में भी जो उत्तर विधानसभा को भेजे जाते है, उनका अनुमोदन विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव स्तर से अवश्य ही लिया जाता है। अत: यह सही प्रतीत नहीं होता है कि गैस राहत विभाग से संबंधित कोई विधानसभा प्रश्न आदि का उत्तर श्री श्रीवास अवर सचिव द्वारा अपने स्तर से (बिना विभागीय मंत्री अथवा प्रमुख सचिव/सचिव के अनुमोदन के) विधानसभा को भेजा गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री श्रीवास की पदस्थापना गैस राहत विभाग से गृह विभाग में होने के फलस्वरूप उन्हें दि. 13.09.2002 को कार्यमुक्त कर दिया गया तथा वे दिनांक 30.06.2003 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त भी हो चुका है। श्री श्रीवास के गैस राहत विभाग में पदस्थापना के दौरान उनके विरूद्ध कोई शिकायत अथवा विभागीय जांच लंबित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-61/2001/47,** **दिनांक 29.12.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	26	अता.प्र.सं.23 (क्र.1222) दि. 03.09.2001	गैस राहत विभाग में 3 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	शिकायतों में जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही कार्यवाही संभव हो सकेगी।	मान. श्री मनोहर ऊंटवाल, विधायक द्वारा दि. 20.04.2001 को की गई शिकायत के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग से जांच कराई गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 30.08.2002 में यह पाया कि श्री डी.डी. श्रीवास, तत्कालीन तथा वर्तमान में सेवानिवृत्त अवर सचिव द्वारा अपने स्तर से त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी विधानसभा को भेजने की अवमानना करने संबंधी मान. विधायक द्वारा की गई शिकायतों में शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में किसी प्रश्न विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। सामान्यत: किसी भी विभाग द्वारा विधानसभा प्रश्न आदि के उत्तर/जानकारी मान. मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात ही भेजी जाती है और यदि किन्हीं परिहार्य स्थिति में मान. मंत्री जी के अनुमोदन की प्रत्याशा में भी जो उत्तर विधानसभा को भेजे जाते हैं, उनका अनुमोदन विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव स्तर से अवश्य ही लिया जाता है। अत: यह सही प्रतीत नहीं होता है कि गैस राहता विभाग से संबंधित कोई विधानसभा प्रश्न आदि का उत्तर श्री श्रीवास अवर सचिव द्वारा अपने स्तर से (बिना विभागीय मंत्री अथवा प्रमुख सचिव/सचिव के अनुमोदन के) विधानसभा को भेजा हो। यहां यह भी उल्लेखनीय कि श्री श्रीवास की पदस्थापना गैस राहत विभाग से गृह विभाग में होने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 13.09.2002 को कार्यमुक्त कर दिया गया तथा वे दिनांक 30.06.2003 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। श्री श्रीवास के गैस राहत विभाग में पदस्थापना के दौरान उनके विरूद्ध कोई शिकायत अथवा विभागीय जांच लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-55/2001/47,** **दिनांक 29.12.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
11.	30	अता.प्र.सं.43 (क्र.4699) दि. 17.09.2001	गैस राहत विभाग के शासकीय आवास के किराये पर दिये जाने की जांच तथा कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर ही कार्यवाही।	जांच के निष्कर्षों से यह पाया गया कि जिन कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित हैं उनमें वे ही कर्मचारी रह रहे हैं। उनके द्वारा शासकीय आवासों को किराये पर देने के बारे पडोसियों तथा अन्य स्त्रोतों से सिद्ध होना नहीं पाया गया। केवल सतगुरू काम्पलेक्स में आवास क्र. 33 एम.आई.जी. स्व. डॉ. एम.पी. द्विवेदी के नाम से आवंटित था, उसमें उनके पुत्र डॉ. एस.के द्विवेदी जो पूर्व में गैस राहत विभाग में कार्यरत थे, निवास कर रहे थे। जय प्रकाश चिकित्सालय में पदस्थापना होने के फलस्वरूप उक्त आवास को डॉ. राजू शेकवार को आवंटित कर दिया गया था। डॉ. द्विवेदी से उक्त अवधि का नियमानुसार किराया वसूल किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-73/2001/47,** **दिनांक 09.12.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
खेल एवं युवक कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	40	ता.प्र.सं.12 (क्र.5024) दि. 14.09.2001	जबलपुर के क्षेत्रीय खेल एवं युवक कल्याण कार्यालय में वर्ष 90 से 98 के दौरान महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रीय खेल अधिकारी श्री ए.के.अब्राहम से राशि की वसूली।	परीक्षण करवाया जा रहा है परीक्षण उपरांत यथास्थिति कार्यवाही की जावेगी।	संचालनालय खेल और युवक कल्याण के पृ.क्रमांक 7261/2012, दिनांक 31.12.2012 द्वारा श्री ए.के. चन्द्रा, जिला खेल और युवक कल्याण अधिकारी, जबलपुर द्वारा किया गया कृत्य शंकास्पद, शासकीय आदेशों की अवहेलना करने के कारण गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होने से राशि रू. 3,31,984/- की वसूली आगामी माह जनवरी 2013 से 36 समान किश्तों में वेतन से करने के आदेश जारी किये है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 3-26/2004/नौ,** **दिनांक 30.01.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
13.	41	परि.अता.प्र.सं.109 (क्र.6164) दि. 14.09.2001	खेल विभाग में नियुक्त विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता का परीक्षण एवं कार्यवाही।	विकलांगता का परीक्षण किया जा रहा है।	विकलांगता का परीक्षण किया गया। गठित विभागीय समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुसार नियुक्तियां की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 3-30/01/नौ,** **दिनांक 24.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	42	परि.अता.प्र.सं.87 (क्र.6964) दि. 20.09.2001	बालाघाट जिले में वर्तमान प्रभारी उप संचालक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच तथा कार्यवाही।	जांच उपरांत दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	श्री राजेन्द्र प्रसाद तत्कालीन उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण बालाघाट (प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी) के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कलेक्टर बालाघाट से जांच कराई गई। जिसमें श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है। चूंकि श्री राजेन्द्र प्रसाद का मूल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग है अत: जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग से दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दि. 24.04.2003 को लेख किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 5/45/01/26-1, दिनांक 18.07.2003** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 17581/वि.स./आश्वा./ 2006, दिनांक 14.07.2006 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई:- ***श्री राजेन्द्र प्रसाद का मूल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग है। अत: जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग से दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दिनांक 24.04.2003 को जो पत्र लिखा गया था उसकी अद्यतन स्थिति क्या है?*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
परिवहन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	43	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 24.08.2001	10 जुलाई 2001 को दमोह जिले के बटियागढ के पास स्थित नाले में गिरी बस के परमिट की जांच एवं पीड़ितों/मृतकों को मुआवजा राशि का भुगतान।	1. मान. सदस्य ने बस परमिट के संबंध में ये शंका कुशंका और अपनी चिंता जाहिर की है हम उसकी जांच करा लेंगे। 2. वरिष्ठ उच्च अधिकारी को भेजकर समूचे प्रकरण की अलग से जांच करवा लूंगा। 3. मात्र एक श्रीमती पूना बाई पत्नी पर्वत सिंह राजपूत को मुआवजा नहीं मिला है क्यों कि इनका कोई भी वारिसान आया ही नहीं है तो हम कलेक्टर स्तर पर वहीं स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था करवा देंगे। 4. शेष को भी शेघ्र ही दिलवायेगें। 5. शीघ्र ही हम बचे हुए लोगों को भुगतान करवा देगें।	दुर्घटनाग्रस्त बस एम.पी. 16/ए-5704 को अस्थाई परमिट दि. 09.07.2001 से 10.07.2001 तक स्वीकृत था। दुर्घटना दि. 10.07.2001 को हुई। बस बुन्देलखण्ड मोटर ट्रॉसपोर्ट कंपनी, छतरपुर के नाम पंजीकृत है, जिसका बीमा दि. 16.09.2001 तक एवं फिटनेस दि. 08.09.2001 तक वैध थी। वाहन कर जुलाई 2001 तक जमा था तथा बस वैध अनुज्ञा के अंतर्गत संचालित थी। दुर्घटना की मजिस्टीरियल जांच अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दमोह द्वारा की गई। जांच में बस के चालक को जिम्मेदार पाया गया तथा प्रकरण क्र. 118/01 धारा 304 (ए), 337 ता.हि. बस ड्राईवर घनश्याम पटेरिया निवासी महोबा पर कायम कर उसे दि. 15.08.2001 को गिरफ्तार किया गया। मृतका श्रीमती पूनाबाई, बेवा पर्वत सिंह राजपूत, दमोह की राहत राशि रू. 10,000/- का भुगतान उसके वारिस पुत्रों मनमोहन सिंह, मान सिंह, मेघराज सिंह को दि. 24.08.2001 को कर दिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-71/2008/ आठ,** **दिनांक 08.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
16.	45	ता.प्र.सं. (क्र.411) दि. 04.09.2001	शहडोल जिले में अनुबंध अवधि में बिना अनुज्ञा पत्र के बस के अवैध संचालन का परीक्षण तथा दण्ड ब्याज सहित राशि की वसूली।	परीक्षण उपरांत प्रत्येक प्रकरण में मोटरयान कर राशि/दण्ड तथा ब्याज की राशि वसूल की जावेगी।	परिवहन आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7143/वि.स./2007 दिनांक 26.10.2007 द्वारा अवगत कराया है कि परीक्षणोपरांत पाया गया है कि मान. सर्वोच्च न्यायालय की अपील क्रमांक 4557/2006 हरदेव मोटर कंपनी विरूद्ध म.प्र. शासन में मान. न्यायालय ने दिनांक 19.10.2006 को म.प्र. शासन द्वारा बिना परमिट संचालन पर ली जाने वाली दण्डात्मक उच्चदर पर कर की राशि की वसूली को अवैधानिक घोषित किया गया है तथा संशोधित म.प्र. कराधान अधिनियम 1991 के मद (3) की धारा (जी) को अपास्त भी कर दिया हे। वर्तमान में इस प्रावधान के अस्तित्व में न होने के कारण तथा वैकल्पिक कोई प्रावधान न होने के कारण इसके अंतर्गत वसूली की कार्यवाही की जाना संभव प्रतीत नहीं होती है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **759/2766/12/आठ,** **दिनांक 13.02.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	49	ता.प्र.सं.04 (क्र.134) दि. 27.08.2001	मुरार विधानसभा क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन में भूसा भरने व जानवर बांधने की माननीय सदस्य के समक्ष जांच एवं कार्यवाही।	1. मैं बिल्कुल जांच करवा लूंगा। 2. अगर गलती पाई गई तो सख्त कार्यवाही करेगें।	प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 4 क्रमांक 134 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर से उनके पत्र क्रमांक वि.स./2008/ 20000-20002 दिनांक 20.06.2008 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हस्तिनापुर के अधीनस्थ उप स्वास्थ्य केन्द्र में भूसा भरने की शिकायत की जांच खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हस्तिनापुर से कराई गई। खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हस्तिनापुर जांच अधिकारी ने उनके पत्र क्रमांक स्था./2002/389-90, दिनांक 09.03.2002 के द्वारा प्रतिवेदित किया हैं उक्त क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भूसा भरा पाये जाने की शिकायत निराधार निकली एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हस्तिनापुर के अधीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कही भी भूसा नहीं मिला। अत: शिकायत निरंक एवं निराधार है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 2412/आर-3522/ सत्रह/मेडि-1,** **दिनांक 08.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
18.	50	ता.प्र.सं.14 (क्र.1886) दि. 27.08.2001	नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति एवं नियुक्ति से प्रतिबंध हटने पर भर्ती नियमों के प्रावधानानुसार की जा सकेगी।	आवश्यकता अनुसार पदों की पूर्ति की गई है, किंतु भरती पर प्रतिबंध होने के कारण शत प्रतिशत पूर्ति की जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 16-240/2007/ 17/मेडि/एक,** **दिनांक 15.10.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	52	अता.प्र.सं.40 (क्र.1111) दि. 27.08.2001	श्री फूलचंद रजक द्वारा दो स्थानों भारत संचार निगम लिमिटेड, जबलपुर कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जांच पूर्ण होने पर परिणाम एवं तथ्यों से अवगत कराया जावेगा।	प्राप्त आश्वासन में श्री फूलचंद्र रजक, ड्रेसर सेठ गोविन्द्रदास चिकित्सालय (विक्टोरिया चिकित्सालय) को ड्रेसर के पद पर कार्यरत होने के उपरांत भी भारत संचार निगम दूरसंचार विभाग, जबलपुर में हेल्पर के पद पर कार्य करने संबंधी प्रकरण में संचालनालय के पत्र क्रमांक 4/शिका./सेल.3/2005/9427, दि. 22.10.2005 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये। जारी आरोप पत्र के परिप्रेक्ष्य में श्री फूलचंद रजक पर लगाये गये आरोपों की सत्यता ज्ञात करने के लिए जांच आवश्यक है। इस संबंध में श्री फूलचंद्र रजक, ड्रेसर के विरूद्ध संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/शिका./सेल.3/जबलपुर/06/1231 दिनांक 27.05.2006 द्वारा विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया जाकर, संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जबलपुर को जांचकर्ता अधिकारी तथा आर.एम.ओ. सेठ, गोविन्ददास चिकित्सालय, जबलपुर का प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें समय लगने की संभावना हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **आर-2005/2009/ सत्रह/मेडि-1,** **दिनांक 17.02.2010** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 12860/वि.स/आश्वा./ 2010, दि.01.07.2010, के द्वारा विभाग से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***विभागीय जांच के परिणामों की अद्यतन स्थिति भेजें।*** **लगातान पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
20.	57	अता.प्र.सं.51 (क्र.2312) दि. 03.09.2001	सतना जिले के रेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत झोलाछाप व अनुभवहीन डॉक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही।	ऐसे डॉक्टरों पर कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	60	ता.प्र.सं.06 (क्र.2011) दि. 17.09.2001	जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग में निम्न श्रेणी के पद पर पदस्थ श्री बनारसी राय की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	श्री बनारसी राय, सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई तथा प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर नस्ती जांच हेतु सी.एम.ओ., जबलपुर को भेजी गई।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर द्वारा उनके पत्र क्र. वि.जां./05/16257, दि.05.01.2006 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जांच प्रतिवेदन नस्ती पर प्रस्तुती उपरांत जांच अधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्षों का विश्लेषण किये जोन के उपरांत संचालक, चिकित्सा सेवायें द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक 4/शिका./डी.ई./1/06/11/58, दिनांक 18.05.06 द्वारा श्री बनारसी राय, सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से अधिरोपित किया गया। तत्पश्चात् श्री बनारसी राय, सहायक ग्रेड-3 द्वारा दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्लयू. पी. 3173/07 (एस) दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2007 के पालन में दिनांक 21.05.2007 को सुनवाई की गई एवं सुनवाई दौरान श्री बनारसी राय पर लगाये गये आरोपों एवं जांच अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत अपील का परीक्षण किया गया एवं सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से मान्य करते हुए अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 27-22/07/17/मेडि-1, दिनांक 02.08.2007 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार श्री राय पर उनकी रोकी गई दो वेतनवृद्धियां के दण्ड के स्थान पर उन्हें परिनिंदा की शास्ति से दण्डित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **401/5506/2009/ सत्रह/मेडि-1,** **दिनांक 13.02.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	61	परि.अता.प्र.सं.77 (क्र.5514) दि. 17.09.2001	इंदौर जिले के मलेरिया विभाग वर्ष 96-97 से 99-2001 के मध्य कर्मचारियों के जी.पी.एफ. से फर्जी हस्ताक्षर कर आहरित की गई राशि का समयोजन।	प्रकरण जांच प्रक्रिया में है। निराकरण पश्चात् ही आगामी कार्यवाही करना संभव होगा।	इंदौर जिले में वर्ष 96-97, 98 से 99 में जिला मलेरिया अधिकारी, इंदौर कार्यालय में विभागीय भविष्य निधि खातों में शंकास्पद आहरण एवं संवितरण के संबंध में कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जांच की गई थी। इस जांच में उत्तरदायित्व का उचित प्रकार निर्धारण न होने के कारण संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा पुन: आदेश क्रमांक 3489 दिनांक 26.12.2003 को जांच आदेशित की गई। प्रकरण में जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.02.2004 को प्राप्त हुआ। इस जांच प्रतिवेदन में :- 1. डॉ. अशोक सिंघई, सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर। 2. डॉ. शरद पंडित, तत्कालीन मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर। 3.श्री डी.एस. मंडलोई, तत्कालीन जिला मलेरिया, इंदौर। 4. डॉ. एम.पी. शर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी, इंदौर। 5. श्री अनिल लाड, सर्वेलेन्स वर्कर (कैशियर), जिला मलेरिया अधिकारी, इंदौर। 6. श्री जगदीश तोलंबिया, फील्डवर्कर (लेखा लिपिक) इंदौर। को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। इनमें से डॉ. अशोक सिंघई एवं श्री डी.एस. मण्डलोई सेवानिवृत्त हो गये थे। अत: इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष डॉ. शरद पंडित, डॉ. एन.पी. शर्मा, श्री जगदीश तोलंबिया एवं श्री अनिल लाड के विरूद्ध शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 13-20/2004/ 17/मेडि-1, दिनांक 07.01.2005 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये हैं। प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण दिनांक 14.06.2005 को जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई। प्रकरण जांचाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 16-191/2005/ 17/मेडि-1,** **दिनांक 27.10.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 201/वि.स./आश्वा./2006, दि.02.01.2006 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई:- ***''आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण में जांच की अद्यतन स्थिति भेजें''*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	64	अता.प्र.सं.117 (क्र.6170) दि. 17.09.2001	देवास जिले में वर्ष 2001-2002 में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के चयन में अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही।	जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	कलेक्टर जिला देवास द्वारा जांच उपरांत श्री पुरूषोत्तम पाटीदार सहायक ग्रेड-3 कार्यालय सी.एम.ओ. देवास को उनके आदेश क्र.2106/स्था./01 दि.02.05.2001 द्वारा निलंबित किया जाकर विभागीय जांच की गई। श्री पुरूषोत्तम पाटीदार के एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए दण्डित किया गया। 2. कलेक्टर जिला देवास के द्वारा डॉ. श्रीमती विद्या वेलनकर जिला टीकाकरण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पत्र भेजा गया था। शासन के पत्र क्र. एफ 13-37/01/17/मेडि-1, दिनांक 15.04.2005 को दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया था उक्त नस्ती इस संचालनालय में निर्णय हेतु प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा दिये गये प्रतिवाद उत्तर पर कलेक्टर देवास का अभिमत प्राप्त किया गया था। कलेक्टर के मत से ''क्योंकि नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। अत: मेजर त्रुटियां नहीं हो पाई हैं'' उनके मत से सहमत होते हुए स्वास्थ्य आयुक्त के आदेश क्र. 4/शिका./सेल.7/1184 दिनांक 07.08.2007 द्वारा डॉ. श्रीमती विद्या वेलनकर को अपने कार्य के प्रति सजग रहने की चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 2552-आर 4235/2008/सत्रह/मेडि-1** **दिनांक 26.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	71	अता.प्र.सं.115 (क्र.3575) दि. 03.09.2001	जबलपुर के प्रभारी अधीक्षक डॉ. बी.के. गुहा के कार्यकाल में प्राप्त शिकायतों की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही।	जांच पूरी होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।	डॉ. बी.के. गुहा, प्रभारी अधीक्षक, जबलपुर के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में दोषमुक्त पाये जाने के कारण विभागीय जांच समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4177/476/2007/1/ पचपन, दिनांक 02.12.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	77	अता.प्र.सं.57 (क्र.1547) दि. 24.08.2001	श्योपुर संभाग में कार्यपालन यंत्री श्योपुर व सहायक यंत्री विजयपुर द्वारा प्रतिबंधित मद में ठेकेदारों का भुगतान करने पर दोषियों के विरूद्ध जांच एवं निलंबन की कार्यवाही।	प्रकरणों के परीक्षणोपरांत समुचित कार्यवाही की जावेगी।	म.प्र. शासन, लो.नि.वि. के आदेश क्र. एफ 17-43/2001/स्था-18 दिनांक 14.09.2001 से आरोप पत्र जारी किये गये है तथा जांच प्रतिवेदन शासन को प्राप्त होकर परीक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 1-104/2001/ बी/19,** **दिनांक 13.05.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.14892/वि.स./आश्वा./2005, दि.13.07.2005 के द्वारा विभाग से निम्नानुसार जानकारी चाही गई:- ***''जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति''*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
26.	78	अता.प्र.सं.58 (क्र.1561) दि. 24.08.2001	छतरपुर संभाग में शासन की सम्पत्तियों की खुली नीलामी तथा कब्जाधारियों से मुक्त कराने की कार्यवाही।	समस्त प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।	छतरपुर संभाग में शासन की सम्पत्तियों(भवनों) की कुल संख्या 1720 है। विभाग द्वारा शासकीय भवनों की नीलामी नहीं की गई है। अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-21/2001/ सा./19,** **दिनांक 29.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
27.	81	परि.अता.प्र.सं.64 (क्र.1644) दि. 24.08.2001	विदिशा लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों/अधिकारियों/कर्मचारियों से राशि वसूली में अनियमितताओं के लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही।	दोषी लोगों के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जावेगी।	प्रश्नावधि में संभाग विदिशा अंतर्गत राशि रू. 71,14,583/- वसूली हेतु शेष थे / उक्त राशि में से माह 4/2015 तक राशि रूपये 2032528/- वसूल/समायोजित की गई है। 1. श्री जे.पी. मलिक संविदाकार से वसूली हेतु राशि रू. 3641915/- के लिये आर.आर.सी. जारी की गई है। 2. अधिकारियों/कर्मचारियों से राशि वसूली/ समायोजन हेतु यथोचित कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2716/3857/201/ 19/यो,** **दिनांक 22.05.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	83	ता.प्र.सं.02 (क्र.52) दि. 31.08.2001	सतना जिले में कलेक्ट्रेट भवन के शेष अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की अवधि।	अनुबंधानुसार दिनांक 28.02.2002 तक कलेक्ट्रेट भवन का काम पूरा करने की कोशिश करेगें।	संयुक्त जिला कार्यालय भवन (कलेक्ट्रेट भवन) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं दिनांक 21.06.2007 को लोकार्पण के पश्चात दिनांक 01.07.2007 से संबंधित विभागों द्वारा इस भवन का उपयोग प्रांरभ कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4660/5541/2011/ 19/यो,** **दिनांक 03.09.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
29.	84	ता.प्र.सं.12 (क्र.3225) दि. 31.08.2001	जिला झाबुआ में थांदला से खवासा रोड़ पर पुलिया ध्वस्त होने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 12-59/2001/ स्था/19 भोपाल दिनांक 01.05.2006 द्वारा श्री ए.के. सेठी, अधीक्षण यंत्री को बहाल किया गया एवं अनियमितताओं से शासन को हुई हानि रू. 1148/- का दण्ड अधिरोपित करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच समाप्त की गई । उपरोक्त दण्ड राशि रू. 1148/- श्री ए.के. सेठी, अधीक्षण यंत्री, ने अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. मुख्यालय उपसंभाग क्रमांक-1 इंदौर के कार्यालय में मनीरसीद क्रमांक 02/3502 दिनांक 06.05.2006 द्वारा जमा करा दी गई है। म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 17-57/2001/ स्था/19 दिनांक 21.10.2005 के द्वारा श्री टी.आर. पाटीदार उपयंत्री द्वारा की गई अनियमितताओं से शासन को हुई हानि रू. 22683/- की वसूली उन्हें देय वेतन एवं स्वत्वों से किये जाने का दण्ड अधिरोपित करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया है। श्री टी.आर. पाटीदार उपयंत्री से कोषालय द्वारा उपादान राशि में से रू. 22683/- की राशि समयोजित कर दी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **5264/2012यो/19,** **दिनांक 10.09.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
30.	85	ता.प्र.सं.16 (क्र.2931) दि. 31.08.2001	श्योपुर में निर्माणाधीन कलेक्टर भवन के लिये मुख्य अभियंता ग्वालियर द्वारा 50 लाख रूपये के साख पत्र के विरूद्ध प्रतिबंधित अवधि में कार्यपालन यंत्री श्योपुर व सहायक यंत्री विजयपुर द्वारा वार्षिक मरम्मत के कार्यों पर खर्च किये जाने पर कार्यवाही।	(1) जांच उपरांत कार्यवाही किया जाना संभव होगा। (2) प्रकरण के परीक्षण उपरांत समुचित कार्यवाही की जावेगी।	म.प्र. शासन लो.नि.वि. के आदेश क्र. एफ 17-43/01/ स्था/19, दि. 05.06.09 द्वारा श्री व्ही.ही. साहू कार्यपालन यंत्री, श्री ए.के. वर्मा कार्यपालन यंत्री, श्री आर.सी. सोनी कार्यपालन यंत्री, श्री जी.एस.मण्डलोई प्रभारी कार्यपालन यंत्री को दोषमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 1-27/2001/बी/ 19,** **दिनांक 09.12.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	87	अता.प्र.सं.56 (क्र.492) दि. 31.08.2001	बालाघाट तह. में लो.नि.वि. संभाग क्र. 1 एवं 2 में वर्ष 2000-2001 एवं 2001 एवं 2002 में रोड एवं बिल्डिंग हेतु सामग्री सप्लाई में अनियमितता।	परीक्षण उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही किया जाना संभव होगा।	बालाघाट संभाग क्रमांक 1 एवं 2 अंतर्गत कतिपय अनियमितता के दृष्टिगत क्रय की गई भवन एवं सड़क संबंधी सामग्री अनियमिताओं की जांच कलेक्टर बालाघाट द्वारा गठित जांच समिति द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन कलेक्टर बालाघाट द्वारा दिनांक 22.03.2003 को म.प्र. शासन लो.नि.वि. की ओर कार्यवाही हेतु भेजा गया जिस पर तत्कालीन कार्यपालन यंत्री को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण विभागीय जांच संस्थित की जाकर म.प्र. शासन लो.नि.वि. के पत्र क्र. एफ-18-33/2003/स्था/19, दिनांक 08.09.2005 द्वारा तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री एम.के. श्रीवास्तव के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2742/2015/19/यो,** **दिनांक 22.05.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।
32.	90	अता.प्र.सं.55 (क्र.3010) दि. 31.08.2001	पन्ना जिले में किसी भी कार्यपालन यंत्री द्वारा जिला योजना समिति में पीस वर्क कार्यों की जानकारी सूची प्रस्तुत न करने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण में विवेचना उपरांत समुचित कार्यवाही किया जाना संभव होगा।	लोक निर्माण विभाग संभाग पन्ना द्वारा पीस वर्क आर्डर अपने अधिकार क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर के जिला योजना समिति से स्वीकृति प्राप्त करने पर ही जारी किये गये है अत: प्रकरण की विवेचना कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-1-120/01/ बी/19,** **दिनांक 16.08.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	94	परि.अता.प्र.सं.35 (क्र.2995) दि. 07.09.2001	जिला रायसेन के ग्राम भैसरा/पटवारी हल्का नं. 6 के खसरा नं. 340 से 359 तक की कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान।	यथाशीघ्र।	देहगॉव बम्होरी मार्ग के ग्राम बम्होरी, पड़रिया, भैसरा छीतापार के 29 कृषकों की जमीन प्रभावित हुई। प्रभावित जमीन के मुआवजा हेतु रू. 15,45,4160.00 का अवार्ड भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज द्वारा पारित किया गया एवं विभाग द्वारा यह राशि भू-अर्जन अधिकारी को प्रदान की गई है। पारित राशि में 27 कृषकों को मुआवजा वितरित कर दिया गया है। शेष दो कृषकों को भुगतान नहीं हुआ है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :- 1. ग्राम पहेरिया-रामरतन, रामदयाल आत्मज श्री छोटेलाल राशि रू. 8405.00 2. भगो बाई बैबा रतीराम, कन्हैयालाल आत्मज श्री अमान सिंह, मुलिया बैबा श्याम लाल, मुन्ना, सीताराम, मुल्लू, रेबाराम पुत्र गण श्यामलाल रू. 263383.00 उपरोक्त खातेदारों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज द्वारा दिनांक 19.11.2004, 05.01.2005 को सूचित किया गया है, कि समस्त सह खातेदारों सहित कैम्प सिलवानी में उपस्थित होकर मुआवजा राशि का चैक प्राप्त करें, परंतु एकसाथ समस्त खातेदार उपस्थित न होने के कारण उक्त दोनों चैको का वितरण नहीं किया जा सका है। समस्त सह खातेदार के एकसाथ उपस्थित होने पर ही भुगतान कर दिया जावेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज द्वारा दो कृषको के सभी सह खातेदारों को उपस्थित होने हेतु चार बार नोटिस दिया गया लेकिन दिनांक 25.07.2008 तक उपस्थित नहीं हुये, इस कारण भुगतान नहीं हुआ है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-35/2001/सा/ 19,** **दिनांक 18.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
34.	95	परि.ता.प्र.सं.79 (क्र.4491) दि. 07.09.2001	खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में शासकीय सामुदायिक चिकित्सालय भवन के अमानक स्तर के निर्माण की जांच एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच कराई जाकर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	कार्य की जांच कराई गई। दीवारों में पाये गये क्रेक्स ठेकेदार द्वारा ठीक कराये गये। पैराफिट की गिरी दीवार को ठेकेदार के व्यय से बना दिया गया है। वर्ष 1996 से 2000 के बीच भवन का निर्माण किया गया था, जिसकी वर्तमान में भी स्थिति संतोषजनक है, एवं कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। चलते कार्य के समय ही सुधार कार्य हो जाने से किसी को दोषी पाये जाने जैसी स्थिति नहीं पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **628/190/2012/ यो/19,** **दिनांक 25.01.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.	96	अता.प्र.सं.01 (क्र.708) दि. 07.09.2001	बैतूल जिला अंतर्गत मीडिया सेंटर के निर्माण कार्य को रोके जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षण उपरांत समुचित कार्यवाही की जावेगी।	1. भूतल का भवन कार्य पूर्ण कर संबंधित को भवन दिनांक 18.07.2001 को सौंपा गया। प्रथम तल के निर्माण कार्य के संबंध में तकनीकी परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रथम तल पर भवन निर्माण कार्य किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रथम तल का निर्माण कार्य कराया गया तथा भवन का सिविल एवं विद्युतीकरण कार्य फरवरी-2005 में पूर्ण किया जा चुका है। 2. तकनीकी दोष का परीक्षण किया गया अथवा नहीं:- इस संबंध में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री ए.के. शाह के अनुसार प्रथम तल पर निर्माण सुरक्षित नहीं है, तथा उनके पूर्व तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री नागेश शर्मा द्वारा आर.सी.सी. छत को उचित नहीं माना गया। जिस आधार पर श्री ए.के. शाह कार्यपालन यंत्री द्वारा ठीक नहीं माना गया। श्री आर.पी. दुबे कार्यपालन यंत्री द्वारा भूतल कार्य 04.05.98 को पूर्ण करने के पश्चात् प्रथम तल का कार्य 01.07.99 से बंद कर दिया गया। कार्यपालन यंत्री से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा परीक्षण नहीं किया गया। 3. यदि परीक्षण किया गया है तो कौन दोषी पाया गया :- जी नहीं। 4. यदि कोई दोषी पाया गया तो क्या कार्यवाही की गई :- कोई कार्यवाही नहीं की गई। 5. इसके साथ ही आश्वासन के निराकरण में विलंब के कारणों पर टीप दी जावे :- मीडिया सेंटर के रूपाकंन के परीक्षण करने हेतु आर.डी.डी. द्वारा मना किया गया। रूपाकंन एवं विस्तृत जांच के समय विभिन्न स्तरों पर लगा। फरवरी 2005 में निराकरण हो चुका था। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **5333/7242/19/यो,** **दिनांक 11.09.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.	98	अता.प्र.सं.42 (क्र.3863) दि. 07.09.2001	टीकमगढ़ छतरपुर, पन्ना आदि जिलों में क्रय पर प्रतिबंध के बावजूद भी क्रय आदेश प्रसारित करने एवं एक ही व्यक्ति को 5-5 हजार रूपये से अधिक सप्लाई आर्डर टुकडों का देने का जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षणोपरांत बताया जाना संभव होगा।	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्या. मुख्य अभियंता (अ) लो.नि.वि. ग्वालियर द्वारा जांच की गई। जिसमें कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय लेखा अधिकारी को उत्तरदायी बताया गया, संबंधितों के विरूद्ध आरोप पत्रादि तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 1-135/2001/बी/ 19,** **दिनांक 04.04.2003** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.19789/वि.स./आश्वा./2003, दि.31.07.2003 के द्वारा विभाग से निम्नानुसार जानकारी चाही गई:- ***लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर द्वारा की गई जांच में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
37.	99	अता.प्र.सं.59 (क्र.4484) दि. 07.09.2001	बालाघाट जिले के उपखंड कटंगी, तिरोड़ी एवं कोचेवाही में शासकीय कार्यालय भवन में नियम विरूद्ध वर्क आर्डर पर कार्य कराने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षणोपरांत समुचित कार्यवाही की जावेगी।	बालाघाट जिले के उपखण्ड कटंगी तिरोड़ी एवं कोचेवाही में वित्तीय वर्ष 01-02 में किसी भी शासकीय कार्यालय भवन में वर्क आर्डर (पीस वर्क) पद्धति से कोई कार्य नहीं कराया गया है। अत: किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4697/4489/05/यो/ 19,** **दिनांक 16.06.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
38.	103	ता.प्र.सं.06 (क्र.6095) दि. 14.09.2001	भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर परिक्षेत्र में प्रतिबंधित अवधि में भुगतान करने वाले कार्यपालन यंत्रियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही। निलंबन अवधि में फील्ड पदस्थापना से आफिस अटैच किया जाना।	(1) जिन्होने भुगतान पर प्रतिबंध के बावजूद भी भुगतान किये है उन सब को चार्जशीट कर दी गई उनके ऊपर वही कार्यवाही की जायेगी जो वर्मा के ऊपर की जा रही है। (2) हां फील्ड में से उनको हटा देंगे, हम।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
39.	104	ता.प्र.सं.08 (क्र.3857) दि. 14.09.2001	छतरपुर जिले में विक्रमपुर राजनगर रोड की पुरानी माप पुस्तिका क्र. 452 के पेंज नं. 17 से 24 को गायब कर पुन: नई पुस्तिका बनाकर भुगतान करने की जांच एवं कार्यवाही।	परीक्षणोपरांत समुचित कार्यवाही किया जाना संभव होगा।	विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17-50/2003/स्था./ 19, दिनांक 25.11.2003 द्वारा संबंधित अधिकारियों सर्वश्री एस.के. श्रीवास्तव, तत्का. कार्यपालन यंत्री, एन.पी. लटोरिया, तत्का. सहायक यंत्री को असावधानी के लिए सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-79/2005/ स्था./ 19,** **दिनांक 30.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40.	108	ता.प्र.सं.19 (क्र.5262) दि. 24.09.2001	भोपाल बायपास मार्ग पर अनियमित तरीके से जलक्रीड़ा केन्द्र के निर्माण करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही।	जांचोपरांत ही बताया जा सकेगा।	भोपाल में जलक्रीड़ा केन्द्र का निर्माण करने वाले अधिकारी के विरूद्ध जांच की कार्यवाही लोकायुक्त संगठन द्वारा की जा रही है। जांच निष्कर्ष उपरांत कार्यवाही संभव हो सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18/41/2001/ सा/19,** **दिनांक 10.08.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.14892/वि.स./आश्वा./2005 दि.13.07.2005 के द्वारा विभाग से निम्नानुसार जानकारी चाही गई:- ***भोपाल बायपास मार्ग पर अनियमित तरीके से जलक्रीड़ा केन्द्र के निर्माण की जांच उपरांत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
41.	111	परि.ता.प्र.सं.60 (क्र.5459) दि. 14.09.2001	जिला पन्ना अंतर्गत पवई के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना कार्य कराये 5.0 लाख आहरित करने पर दोषी विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षण उपरांत बताना संभव होगा।	प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के पत्र क्र. स्था/क्वा/स/ 04-05/35/02/480मो. दि.15.06.07 द्वारा अनियमितताओं की जांच कर संबंधितों को आरोप पत्र जारी किये गये एवं संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी की एक एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **5433/7600/2012/ 19/यो,** **दिनांक 13.09.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
42.	115	अता.प्र.सं.01 (क्र.2093) दि. 14.09.2001	पन्ना एवं छतरपुर जिले में एक ही वस्तु के 5000/- रू. के एक से अधिक सप्लाई आदेश दिये जाने पर कार्यवाही।	परीक्षणोपरांत बताया जाना संभव होगा।	जांच के दौरान कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय लेखा अधिकारी दोषी पाये गये हैं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 1-118/2001/बी/ 19,** **दिनांक 28.04.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.14892/वि.स./आश्वा./2005, दि.13.07.2005 के द्वारा विभाग से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***जांच में दोषी पाये गये कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय लेखा अधिकारी के विरूद्ध की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
43.	116 ''अ''	अता.प्र.स.12 (क्र.3859) दि.14.09.2001	पन्ना छतरपुर टीकमगढ़ दमोह से मास्टर रोल में रखने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए जाने की जांच एवं कार्यवाही।	जांचोपरांत ही बताया जावेगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.	117	अता.प्र.सं.13 (क्र.3861) दि. 14.09.2001	टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में प्राप्त साख पत्र के विपरीत मदों में किए गये भुगतान की जांच एवं कार्यवाही।	जांच उपरांत ही बताया जा सकेगा।	म.प्र.शासन वित्त विभाग के पत्र क्र. 1272/32/ 2000/सी/चार/ भोपाल, दि.20 जून 2000 में दिये निर्देशों के तहत कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन में एल.ओ.सी. साख पत्र कम होने एवं शीर्ष एक होने के कारण वेतन डी.पी.एफ./जी.पी.एफ. के देयक पारित/परीक्षण हेतु कोषालय को भेजे गये पारित होने पर कोषालय के माध्यम से भुगतान कराये गये। उक्त अवधि में भुगतान संबंधी प्रतिबंध नहीं था। जांच की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **7172/स्था/2015/19,** **दिनांक 18.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।
45.	119	अता.प्र.सं.33 (क्र.4764) दि.14.09.2001	अजयगढ़ घाटी का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाना।	प्राप्त आवंटन अनुसार कार्य कराया जायेगा।	म.प्र.शासन, लो.नि.वि. के पत्र क्रमांक 8505/6949/19/ यो/05, दिनांक 22.10.2005 के माध्यम से प्रशासकीय स्वीकृति एवं पत्र क्रमांक 2476/6691/19/यो/07, दिनांक 29.03.2007 के माध्यम से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। निविदा आदि औपचारिकताओं के उपरांत कटनी-पवई-अमानगंज मार्ग, पन्ना-अमानगंज मार्ग एवं सिमरिया-गैसाबाद मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। अजयगढ़ घाटी पन्ना-अजयगढ़ मार्ग का हिस्सा है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4732/11754/19/यो/00,** **दिनांक 17.08.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।।
46.	120	अता.प्र.सं.36 (क्र.4794) दि. 14.09.2001	शहडोल जिले में अनुविभागीय अधिकारी, बुढ़ार अंतर्गत एस.डी.ओ. श्री ए.के. सिंह तथा वर्तमान में शहडोल एवं उमरिया में ई.ई. के पद पर पदस्थ हैं, के विरूद्ध अनियमितता संबंधी शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण में कलेक्टर शहडोल द्वारा गठित जांच समिति द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रकरण में वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया। दोषी पाये गये अधिकारी श्री ए.के. सिंह, अनुविभागीय अधिकारी बुढ़ार, श्री एस.एन. मिश्रा, उपयंत्री एवं श्री रविन्द्र सिंह जादौन, समयपाल द्वारा शासन को पहुंचाई गई वास्तविक हानि की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-150/2001/ स्था./19,** **दिनांक 09.02.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.14892/वि.स./आश्वा./2005, दि.13.07.2005 के द्वारा विभाग से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***जांच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये अधिकारियों से राशि वसूली की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47.	105	ता.प्र.सं.04 (क्र.5407) दि.14.09.2001	(1) सागर अंतर्गत की जानकारी वल्लभ ट्रस्ट की सम्पत्ति पर अतिक्रमण की उच्च स्तरीय जांच । (2) मंदिर की जमीन से अतिक्रमणधारियों को हटाकर पुन: जमीन का कब्जा मंदिर को दिलाया जाना तथा प्रकरण की जांच समय सीमा में की जाना ।	(1) विधायक जी के आदेश पर कमिश्नर से हम इसकी जांच करा देंगे । (2) जांच के उपरांत जो रिपोर्ट आयेगी और उस रिपोर्ट में मंदिर की भूमि पाई जायेगी तो मंदिर को कब्जा दिलायेंगे । (3) 03 माह में इसकी जांच पूरी कराकर कार्रवाई करा दी जायेगी। (4) इसका 03 माह में निराकरण करवा दूंगा ।	(1) आयुक्त सागर संभाग के पत्र दिनांक 23.11.2002 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । (2) जांच रिपोर्ट में मंदिर भूमि पर अतिक्रमण होना नहीं पाया गया है । राजस्व अभिलेख में दर्ज मकान नं. 11 पर मंदिर का ही कब्जा है । अत: अतिक्रमण हटाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 6/92/छ:/03,** **दिनांक 25.03.2003**	कोई टिप्पणी नहीं ।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
वन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
48.	127	ता.प्र.सं.15 (क्र.1585) दि. 04.09.2001	पन्ना जिले के अजयगढ़ रेंज में वीर, घुरेहा, सब्बुआ, वनहरी, रायपुरपाठा, अजयगढ़, नन्ही बनहरों का खेहो, बनहरा का सर्राहरा, वनहारी की दोविदन की भाटिया के पीछे, अमर चुआ और छतर के जंगलों के कटाई एवं विश्रामगंज में वनों का अवैध कटाई करने वाले की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	1. सदस्य ने जो अन्य बीटों के संबंध में शिकायत की हैं उसकी विस्तृत जांच चल रही हैं उसके जो भी परिणाम होगे में सदस्यों को अवगत कराऊंगा और जो दोषी होगें उन पर विधिवत पूरी कार्यवाही करेगें। 2. इसमें जो भी दोषी, सब पर कार्यवाही करेंगे।	1. अजयगढ़ परिक्षेत्र में बीट धुरहो, सबदूआ, बनहरी, रामपुर, पाठा, अजयगढ़, नन्ही वनहरी का खोहो, वनहरी का सराहार, वनहरी की देविदन की भाटिया के पीछे, अमरचुआ और छापर के जंगलों में किसी भी अवैध कटाई में कोई शुद्ध हानि नहीं पाई गई। 2. परिक्षेत्र विश्रामगंज के विभिन्न बीटों में अवैध कटाई से हुई हानि के लिए 9 अधिकारियों/कर्मचारियों की दोषी पाया गया, तथा उनके विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गई :- **(एक) :-** 1. श्री बाबूलाल पाण्डे, उपवनक्षेत्रपाल 2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, तत्का. बीट छापर 3. श्री कृष्ण कुमार वाल्मिक, वनरक्षक 4. श्री रमन शर्मा, वनरक्षक 5. श्री के.पी. मिश्रा, वनरक्षक 6. श्री गोरेलाल कुशवाह, वनरक्षक विभागीय जांच पूरी कर दंडित किया गया/प्रकरण समाप्त किया गया। **(दो) :-** 1. श्री प्रागीलाल अहिरवार, तत्का.परिक्षेत्र अधिकारी, विश्रामगंज निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई तथा दक्षिण वनमण्डलाधिकारी, पन्ना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। 2. श्री आर.डी. मिश्रा, तत्का. प.स.का. आसेहा विभागीय जांच संस्थित की गई, वनमण्डलाधिकारी पन्ना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। 3. श्री सुन्दरलालभाट, तत्का. बीटगार्ड छापर निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई तथा उपवनमण्डलाधिकारी, पन्ना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया हैं, जिसमें समय लगना स्वाभाविक हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-13/55/2001/ 10-1,** **दिनांक 15.02.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.11.2014 द्वारा विभाग से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***वनों की अवैध कटाई में पाये गये दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49.	128	ता.प्र.सं.10 (क्र.2308) दि. 04.09.2001	उत्तर वनमंडल शहडोल अंतर्गत ब्यौहारी परिक्षेत्र (पश्चिम) के कक्ष क्र. 105 में मई-जून 99 में पथरहटा सर्किल के छतवा बीट में साल वृक्षों की अवैध कटाई में रेंजर व एस.डी.ओ. को निलंबित किया जाना।	जांच उपरांत जांच निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।	श्री आर.पी.सिंह सहायक वन संरक्षक तत्का. उप वनमंडलाधिकारी पश्चिम ब्यौहारी के विरूद्ध विधिवत विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच में दोषी पाए जाने पर पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत विभाग के आदेश क्रमांक एफ-09/14/2004/10-1 दिनांक 09.03.2006 द्वारा श्री आर.पी.सिंह की 20 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकी गई है। श्री बी.एन.साकेत तत्का. परिक्षेत्राधिकारी ब्यौहारी के विरूद्ध विधिवत विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच में दोषी पाए जाने पर पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत विभाग के आदेश क्रमांक एफ-09/4/2004/10-1 दिनांक 03.10.2005 द्वारा श्री उनकी 20 प्रतिशत पेंशन 10 वर्ष के लिए रोकी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22/235/2007/ 10-2,** **दिनांक 23.09.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
50.	136	अता.प्र.सं.79 (क्र.6010) दि. 18.09.2001	कटनी जिला अंतर्गत वन परिक्षेत्राधिकारी के कार्यप्रणाली के विरूद्ध शिकायतों की जांच तथा कार्यवाही।	शिकायत की जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	शिकायत की जांच श्री एच.के.दवे, उप वन मण्डलाधिकारी, द्वारा की गई तथा वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किये गये कार्य को नियम निर्देशों के तहत पाया गया। अत: उनके विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-77/2001/10-1,** **दिनांक 03.11.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
आदिम जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51.	140	परि.अता.प्र.सं.59 (क्र.1107) दि. 27.08.2001	आदिम जाति हरिजन कल्याण आश्रम ग्राम सादपुर विकासखंड बटियागढ़, दमोह में पदस्थ उ.श्रे.लि. श्री कृष्ण कुमार असाटी के विरूद्ध शिकायतों पर कार्यवाही।	शिकायतों की जांच पश्चात सही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	कलेक्टर जिला दमोह के आदेश क्र. स्था./02/841, दि. 10.09.2001 द्वारा एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिये रोक कर दंडित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **23-79/2002/25-1,** **दिनांक 20.01.2006**	कोई टिप्पणी नहीं।
52.	141	अता.प्र.सं. (क्र.4579) दि. 27.08.2001	सतना जिले के जिलाध्यक्ष को श्री जग प्रसाद वर्मा प्रधानाध्यापक के विरूद्ध फर्जी जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के संबंध में।	जांच जारी है। जांच उपरांत ही दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण एवं पुलिस अधीक्षक सतना से जांच कराई गई। जांच में शिकायत असत्य पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-30/2001/25-5,** **दिनांक 25.04.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53.	148	परि.अता.प्र.सं.19 (क्र.319) दि. 27.08.2001	भिण्ड से सेवानिवृत्त व्याख्याताओं के स्वत्वों का भुगतान किया जाना।	श्रीमती सक्सेना के शेष रहे स्वत्व जी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान महालेखाकार ग्वालियर से जी.पी.ओ. प्राप्त होने पर दिया जावेगा।	1. महालेखाकार, ग्वालियर से प्राप्त जी.पी.ओ. क्रमांक निधि/70/ 314 ग्वा. दिनांक 09.05.2002 के अनुसार कार्या. देयक क्रमांक 43/1-6-02 के अनुसार द्वारा रूपये 584795/- का भुगतान किया जा चुका है दिनांक 19.06.2002 को। 2. पुन: महालेखाकार के पुनरीक्षित जी.पी.ओ. क्रं. निधि-70/2525 दिनांक 27.01.2004 के अनुसार कार्य. देयक क्रमांक 147/4-3-04 के द्वारा रूपये 10060/- का दि. 10.03.2004 को भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-30-45/2005/20-4, दिनांक 16.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
54.	149	परि.अता.प्र.सं.20 (क्र.320) दि. 27.08.2001	वेतन भुगतान के लंबित प्रकरण पर न्यायालय के निर्णय के उपरांत भी श्री एस.एम. त्रिपाठी व्याख्याता जिला भिण्ड के 20 वर्ष से अधिक अवधि से निपटारा न करने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	दोषी पाये जाने पर दोषियों के विरूत्र नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	श्री एस.एम. त्रिपाठी, व्याख्याता नवंबर 80 से अक्टूबर 81 तक शास.उ.मा.वि. गोहद, भिण्ड में कार्यरत होकर वेतन व्यवस्था शास.उ.मा.वि. तिरोडी जिला बालाघाट से की गई थी। प्राचार्य शास.उ.मा.वि. तिरोडी जिला बालाघाट के पत्र दिनांक 12.12.2001 द्वारा श्री एस.एम. त्रिपाठी, व्याख्याता को दिनांक 11/80 से 10/81 तक का वेतन राशि रूपये 39,837/- का बैंक ड्राफ्ट क्र.-396773, दिनांक 19.11.2001 द्वारा भुगतान किया जा चुका है। वेतन भुगतान में विलंब करने वाली संस्था-शास.उ.मा.वि. तिरोडी जिला बालाघाट के तत्कालीन प्राचार्य श्री एस.पी.सिंगमारे माह नवम्बर 2003 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में उक्त प्राचार्य के विरूद्ध विलंब के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करना अब संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-30-95/05/20-4, दिनांक 06.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
55.	158	ता.प्र.सं.07 (क्र.1497) दि. 03.09.2001	म.प्र. में संस्कृत स्नातकोत्तर सहायक शिक्षक व शिक्षकों की व्याख्याता के पद पर पदोन्नति।	पदोन्नति से व्याख्याता पद उपलब्ध होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाने की कार्यवाही की जावेगी।	संस्कृत विषय के उपलब्ध रिक्त पद अनुसार पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर व्याख्याता संस्कृत के पद पर पदोन्नति की गई है। यह एक सतत् कार्यवाही है। अंतिम पदोन्नति आदेश दिनांक 01.08.2009 को जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1453/1607/2011/ 20-1, दिनांक 28.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56.	163	अता.प्र.सं.09 (क्र.703) दि. 03.09.2001	जिला बैतूल के अंतर्गत अपात्र अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द किये जाने की कार्यवाही।	जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	1. जांच समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई। जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल के आदेश क्र./जांच/मान्यता/ 2001/5570/बैतूल, दि.30.10.2001 द्वारा 09 प्रशासकीय शिक्षण संस्थाओं की मान्यता बहाल की गई। 2. आदेश क्र./जांच/मान्यता/01/150/बैतूल, दिनांक 11.01.02 द्वारा 03 अशासकीय संस्थाओं की सशर्त मान्यता बहाल की गई। उपरोक्त 12 संस्थाओं से अंडरटेकिंग की जाकर निम्नांकित शर्तो की पूर्ति करेंगे इनकी सशर्त मान्यता बहाल की गई। (1) अशासकीय संस्था निरीक्षण में पाई गई कर्मियों की पूर्ति एक माह के भीतर कर अभिलेखों सहित जिला कार्यालयों में लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। (2) इसके पश्चात पुन: निरीक्षण कराया जावेगा । यदि निरीक्षण में यह पाया गया कि उल्लेखित कर्मियों की पूर्ति नियमानुसार नहीं की गई है तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी रहेगी। (3) इसके बाद किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **402/484/2014/20-3,** **दिनांक 20.05.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।
57.	164	अता.प्र.सं.14 (क्र.934) दि. 03.09.2001	सीधी जिला सिंगरौली तहसील के अंतर्गत शा.कन्या उ.मा.वि. बैढन के प्रभारी प्राचार्य श्री राजेश्वरी प्रसाद पाण्डे द्वारा दो विवाह किए जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण में जांच की जा रही है प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	संचालनालय के आदेश क्रं./सत./फ/विजा/ए/4/ 01/ 2048-49, दिनांक 11.12.2008 से अपचारी श्री पाण्डे को सेवानिवृत्त हुए 03 वर्ष 08 माह हो जाने के कारण तथा विभागीय जांच नियम 1966 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार नहीं होने की स्थिति में श्री राजेश्वरी प्रसाद पाण्डे की विभागीय जांच बिना कोई कार्यवाही किये समाप्त की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-34/2009/20-4,** **दिनांक 01.12.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.	171	ता.प्र.सं.08 (क्र.2745) दि. 10.09.2001	लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्राचार्य सीधी भर्ती के पदों पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाये जाने के प्रकरण पर दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया जाना।	1. इसका थोड़ा सा परीक्षण करवा ले। जैसी स्थिति परीक्षणोपरांत होगी उस पर विचार करेंगे। 2. एक बार डी.ई. संस्थित होने के बाद जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेगें।	वर्ष 1994 में सीधी भर्ती द्वारा चयनित 17 प्राचार्यों के प्रकरण में अपेक्षित पूर्तियां (अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापित होना) प्रारंभिक जांच परीक्षण उपरांत 04 प्राचार्यो की बीएड/एम.एड. अवधि के शिक्षण अनुभव को मान्य किया गया है। 02 प्राचार्यो की विभागीय जांच प्रारंभ की गई इनमें से एक प्रकरण में न्यायालयीन स्टे होने से कार्रवाई लंबित है। शेष 11 प्रकरणों में शासन निर्णयानुसार स्थल जांच की कार्रवाई की गई । दस प्रकरणों में स्थल जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर 05 प्राचार्यो के वांछित अनुभव की पुष्टि होती है। 05 प्राचार्यो के वांछित अनुभव की पुष्टि नहीं हुई। इनमें से चार प्राचार्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ संवर्ग में है। अत: इनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ शासन को प्रतिवेदित किया गया है। शेष एक प्राचार्य के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। एक प्राचार्य श्री सत्येन्द्र कुमार त्रिपाठी से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह जांच शीघ्र पूर्ण कर कार्रवाई की जाएगी। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 30-207/06/20-1,** **दिनांक 20.06.2006** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र दिनांक 16.07.2006 के माध्यम से विभाग के निम्नांकित कथन पर अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***एक प्रा. श्री सत्येन्द्र कुमार त्रिपाठी से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह जांच शीघ्र पूर्ण कर कार्रवाई की जायेगी।*** तदुपरांत विभाग द्वारा निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध कराई गई :- ***एक प्रा. श्री सत्येन्द्र कुमार त्रिपाठी से संबंधित जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गयी कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** श्री डी.एस.कुशवाह, सहायक संचालक एवं जांचकर्ता अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में प्रतिवेदित किया है कि श्री सत्येन्द्र कुमार त्रिपाठी का अनुभव प्रमाण पत्र में दिनांक 08.07.86 से दिनांक 20.06.94 तक की निरंतर सेवा अवधि बी.एन.बी. इंटर कालेज में उपलब्ध वेतन पत्रकों के आधार पर प्रमाणित नहीं हो सकी है, केवल दिनांक 01.07.91 से दिनांक 20.06.94 तक की अवधि ही	समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्राचार्यो के सीधी भर्ती के पदों पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाए जाने के संबंध में विगत 15 वर्ष की अवधि में विधान सभा के विभिन्न सत्रों में पूछे गये प्रश्नों से अनेक आश्वासन (लगभग 10 से अधिक) उदभूत हुये हैं, किन्तु इनके प्रकरणों का विधिवत् अभी तक निराकरण नहीं हो सका है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अवधि में इन आश्वासनों के निराकरण के संबंध में सतत् पत्राचार किये जाने के साथ ही समय-समय पर अनेक अवसरों पर विभागीय अधिकारियों की साक्ष्य भी हो चुकी है, किन्तु इसके बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। समिति की यह स्पष्ट मंशा है कि यदि किसी की फर्जी नियुक्ति हुई है तो उसके विरूद्ध तदनुरूप कार्रवाई हो, किन्तु यदि कोई इसमें दोषी नहीं पाया जाता है तो उसके स्वत्वों का हनन भी नहीं होना चाहिए। ***अत: समिति अपेक्षा करती है कि विभागीय अधिकारियों के साथ ही मा.मंत्री भी इस प्रकरण का संज्ञान लें, जिससे विधिसम्मत निराकरण समक्ष में आ सके।***

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					निरंतर सेवा अवधि के रूप में पाई गई। प्रकरण का परीक्षण करने पर प्रमाणित अवधि 5 वर्ष 9 माह (लगभग) है, जो कि म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के विज्ञापन दिनांक 05.08.93 में उल्लेख अनुसार वांछित अवधि 5 वर्ष से अधिक है, परंतु सेवा अवधि निरंतर नहीं है। प्रकरण के परीक्षण उपरांत कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 353/215/2015/20-1, दिनांक 24.02.2015**	
59.	172	ता.प्र.सं.07 (क्र.4646) दि. 10.09.2001	परासिया विकासखंड के शा.उ.मा. विद्यालयों में विषयवार व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति।	इन विद्यालय में विषयमान से अतिशेष व्याख्याताओं से पूर्ति की जाएगी।	छिन्दवाड़ा जिले में अतिशेष व्याख्याता न होने के कारण उ.मा.वि. चांदामेटा, पलटवाड़ा एवं टिघौरा में पद पूर्ति नहीं की गई तथा उक्त संस्थाओं का संचालन हाईस्कूल में उपलब्ध स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-30-233/2002/ बीस-1, दिनांक 31.03.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
60.	177	अता.प्र.सं.21 (क्र.2870) दि. 10.09.2001	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर से प्राप्त प्रतिवेदन की जांच एवं कार्यवाही।	प्रतिवेदन में निहित तथ्यों के गुण दोषों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संबंधित अधिकारी श्री मनोहर दुबे को जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर के आदेश क्रमांक स्था-1/03/40-41, दि.16.01.2003 के द्वारा सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद से प्र.अ. के पद पर सिंधी मा.वि. क्रमांक 22 में पदस्थ कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2244/2258/2012/ बीस-2, दिनांक 07.11.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
61.	188	परि.अता.प्र.सं.40 (क्र.4420) दि. 17.09.2001	संविदा शिक्षकों को नियुक्तियों में पाई गई अनियमितताओं की जांच तथा कार्यवाही।	गुण-दोष के आधार पर यथास्थिति नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश क्रमश: 30.07.02 द्वारा श्री सुबोध दीक्षित, सीईओ जनपद दतिया को भविष्य के लिये सचेत करते हुये विभागीय जांच समाप्त की गई। आदेश दिनांक 28.03.05 द्वारा श्री आर.डी. त्रिपाठी, बीईओ दतिया से.नि. होने से दोषमुक्त कर विभागीय जांच समाप्त की गई। आदेश दिनांक 01.01.05 द्वारा श्री आर.एम.स्वामी सीईओ सेवढ़ा को सचेत करते हुये जांच समाप्त की गई। आदेश दिनांक 14.05.03 द्वारा श्री एस.के. श्रीवास्तव सीईओ भाण्डेर को परिनिंदा की शास्ति दी जाकर जांच समाप्त की गई। आदेश दिनांक 01.01.05 द्वारा श्री के.ए. जैदी बीईओ सेवढ़ा को सचेत करते हुये जांच समाप्त की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1617/2061/2011/ 20-1, दिनांक 02.09.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62.	192	अता.प्र.सं.05 (क्र.1978) दि. 17.09.2001	खातेगांव विकासखंड कन्नौद के ग्राम माथनी में फर्जी अंक सूची के आधार पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षाकर्मी यास मोहम्मद शेर मोहम्मद के खिलाफ थाने में अपराध पंजीबद्ध करने एवं वेतन की वसूली।	कार्यवाही प्रचलन में है । नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।	प्रकरण में श्री यास मोहम्मद पिता श्री शेर खां, तत्कालीन शिक्षाकर्मी वर्ग-3, प्राथमिक विद्यालय कोलारी की सेवा समाप्त की जाकर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी । श्री यास मोहम्मद का न्यायालयीन अपराधिक प्रकरण क्रमांक 456/04 शासन विरूद्ध मान. न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कन्नौद जिला देवास में प्रचलित है । प्रकरण अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा धारा 417,467 भा.द.वि. में जप्त शुदा दस्तावेज की मूल प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत करने हेतु नियम पेशी दिनांक 27.01.2011 को निर्देशित किया गया था । निर्देशों के पालन में कार्यालय जनपद पंचायत कन्नौद द्वारा वांछित अभिलेख दिनांक 30.03.2011 को जमा कर दिये गये है । प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1328/1724/2011/ 20-1,** **दिनांक 18.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं ।
63.	196	अता.प्र.सं.86 (क्र.5645) दि. 17.09.2001	संचालक लोक शिक्षण भोपाल के स्थानांतरण सूची दिनांक 30.07.94 से स्थानांतरित व्याख्याताओं को वेतनवृद्धि का भुगतान ।	दो व्याख्याताओं का वेतन भुगतान हेतु कार्यवाही प्रचलित है ।	दोनों व्याख्याताओं की वेतन भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सूची से विलोपित करने का अनुरोध है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-180/2009/ 20-1,** **दिनांक 23.01.2010**	कोई टिप्पणी नहीं ।
64.	199	ध्यानाकर्षण दि. 21.09.2001	दतिया जिले में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में कलेक्टर एवं कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	1. जी हाँ । 2. कमिश्नर खुद तथ्य पूर्ण रिपोर्ट मंगवायेगें । 15 दिन में अपने आप कठोर से कठोर कार्यवाही होगी ।	आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश क्रमशः दिनांक 30.07.2002 द्वारा श्री सुबोध दीक्षित, सीईओ, जनपद पंचायत, दतिया को भविष्य के लिए सचेत करते हुए विभागीय जांच समाप्त की गई । आदेश दिनांक 28.03.2005 द्वारा श्री आर.डी. त्रिपाठी बी.ई.ओ. दतिया से.नि. होने से दोषमुक्त कर विभागीय जांच समाप्त की गई । आदेश दिनांक 01.01.2005 द्वारा श्री आर.एम. स्वामी, सी.ई.ओ. सेवढ़ा को सचेत करते हुए जांच समाप्त की गई । आदेश दिनांक 11.05.2003 द्वारा श्री एस.के. श्रीवास्तव, सी.ई.ओ. भाण्डेर को परिनिंदा की शास्ति की जाकर जांच समाप्त की गई । आदेश दिनांक 01.01.2005 द्वारा श्री के.ए. जैदी, बी.ई.ओ. सेवढ़ा को सचेत करते हुए जांच समाप्त की गई । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1849/2274/2012/ 20-1,** **दिनांक 21.09.2012**	कोई टिप्पणी नहीं ।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
65.	200	परि.अता.प्र.सं.20 (क्र.266) दि. 21.08.2001	जिला थोक उप.सह.भं., भोपाल में नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन न करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बी.के. चतुर्वेदी को उत्तरदायी ठहराया, उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी चाही गई जो निम्नांकित हैं :- जिला थोक उप.सह.भं., मर्या. भोपाल में नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन न करने संबंधी जांच प्रतिवेदन का सूक्ष्म परीक्षण अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र. के द्वारा किया गया है। सूक्ष्म परीक्षण में अपर पंजीयक द्वारा श्री बी.के. चतुर्वेदी, उप पंजीयक एवं तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी को उत्तरदायी बताया गया था, किंतु उनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के प्रावधान के तहत 4 वर्ष पूर्व घटित घटना हेतु कार्यवाही नहीं किए जा सकने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1571/308/2014/15-1,** **दिनांक 12.08.2014** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 28.10.2014 को अद्यतन जानकारी चाही गई है :- ***जांच में अनावश्यक विलंब किया गया है, जांच में विलंब के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही, श्री चतुर्वेदी कब सेवा निवृत्त हुए और सेवा में रहते उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं तो क्यों? समिति चाही गई अद्यतन जानकारी से अवगत होना चाहेगी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	विभाग से अद्यतन जानकारी न आना, उचित नहीं है। समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है। चूंकि संबंधित सेवानिवृत्त हो चुके है। अत: कोई अग्रेतर टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
66.	201	परि.अता.प्र.सं.64 (क्र.1040) दि. 21.08.2001	शिवपुरी जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं उसकी शाखाओं एवं संस्थाओं का वर्ष का आडिट पूर्ण किया जाना।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शिवपुरी एवं उसकी सभी 16 शाखाओं का वर्ष 2000-01 का अंकेक्षण 30.09.01 तक पूर्ण हो जावेगा, बैंक से सम्बद्ध संस्थाओं का अंकेक्षण वार्षिक अंकेक्षण होने के कारण 01-02 को समाप्ति अर्थात मार्च 2002 तक संस्थाओं का रिकार्ड उपलब्ध कराने एवं वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने की दशा में पूर्ण कराया जा सकेगा।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शिवपुरी एवं उसकी समस्त शाखाओं का वर्ष 2000-2001 तक का अंकेक्षण पूर्ण कराया जा चुका है। बैंक से सम्बद्ध समस्त 89 संस्थाओं को भी अंकेक्षण पूर्ण कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-307/2001/ 15-1,** **दिनांक 02.12.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।
67.	202	अता.प्र.सं.19 (क्र.436) दि. 21.08.2001	साकेत गृह निर्माण समिति होशंगाबाद की उप पंजीयक द्वारा दी गई अंकेक्षण रिपोर्ट पर कार्यवाही।	अंकेक्षक को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने एवं अधिनियम की धारा 58(बी) के अंतर्गत विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।	म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58(बी) के अंतर्गत विशेष प्रतिवेदन प्राप्त कर दोषी अधिकारियों श्री एन.के. तिवारी, संस्था अध्यक्ष, श्रीमती विनीता गौड़, उपाध्यक्ष एवं कु. शशि शर्मा, शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, होशंगाबाद के विरूद्ध दिनांक 12.09.2001 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3321/1699/2010/ 15-1,** **दिनांक 27.11.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
68.	203	परि.अता.प्र.सं.62 (क्र.1890) दि. 29.08.2001	सहकारी सूत मिल मर्या, बहादुरपुर जिला खण्डवा में कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान।	बकाया वेतन एवं अन्य दावों का भुगतान परिसमापक द्वारा संस्था की आस्तियों का निपटारा कर दिया जावेगा।	संबंधित सहकारी सूत मिल के पास कोई चल तथा अचल संपत्ति नहीं होने के कारण श्रमिकों/ कर्मचारियों को बकाया वेतन एवं अन्य देयताओं का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-318/2001/ 15-1,** **दिनांक 20.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
69.	204	अता.प्र.सं.17 (क्र.1266) दि. 05.09.2001	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सतना द्वारा जीप क्रमांक एम.पी.19/5159 के फायनेंस की जब्ती तथा पर्यवेक्षक को पदच्युत कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना।	1. विवाद प्रकरण में निर्णय होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। 2. जांच पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर योग्य कार्यवाही की जायेगी।	बैंक द्वारा जो ऋण दिया गया था उसमें कोई त्रुटि नहीं पायी गई। ऋणी द्वारा एकमुश्त समझौता योजनांतर्गत संपूर्ण राशि जमा कर दी गयी है। संपूर्ण ऋण की वसूली हो जाने से अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। श्री रामनरेश पूर्व समिति प्रबंधक, डांडी-टोला के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण 922/2001 दि. 31.12.2001 थाना कोलगवां द्वारा दर्ज किया गया। प्रकरण में न्यायालय ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना के यहां दि. 21.10.2004 को चालान पेश किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-316/2001/ 15-1,** **दिनांक 05.03.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70.	205	अता.प्र.सं.100 (क्र.4255) दि. 05.09.2001	गृह निर्माण समिति खण्डवा के सदस्यों को पूरी किश्ते जमा करने के बाद भी दस्तावेज न दिये जाने संबंधी प्रकरण का निराकरण।	शेष सदस्यों के दस्तावेज संस्था एवं आवास संघ के मध्य विवाद के निराकरण पश्चात वापिस किये जावेंगे।	संस्था के कुल 185 सदस्यों को ऋण प्रदान किया गया था। वर्तमान में तक 95 सदस्यों के प्रकरणों में संस्था ने खातों का मिलान कर आवास संघ से संबंधित सदस्यों से संपूर्ण ऋण जमा होने से मूलपत्रक वापस किये हैं। शेष 63 सदस्यों की वसूली हेतु संस्था एवं आवास संघ स्तर पर प्रयास किये जा रहे है। प्रकरण न्यायालय में लंबित होने व प्रक्रियाधीन होने से संबंधितों के मूल पत्रक वापिस नहीं किये जा सके है। इस कारण समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-375/2001/ पन्द्रह-1,** **दिनांक 03.09.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।
71.	206	परि.अता.प्र.सं.08 (क्र.1828) दि. 12.09.2001	जिला सहकारी बैंक मर्यादित शहडोल में गबन के लिये उत्तरदायी के विरूद्ध 5 आर्थिक अपराध के अंतर्गत पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाना।	नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	विधानसभा सचिवालय के पत्र क्र. 429 दि. 07.01.2014 द्वारा प्रकरण पुलिस में दर्ज होने के उपरांत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई है वांछित जानकारी निम्नानुसार है :- 1. श्री मिथिला प्रसाद शर्मा, लैम्पस प्रबंधक, आखेटपुर सेवा से पृथक न्यायालयीन प्रकरण निराकृत, आरोपित राशि 0.16 लाख संबंधित से वसूल की जा चुकी है। 2. श्री गया प्रसाद शुक्ला, लैम्पस प्रबंधक, आखेटपुर-सेवानिवृत्त, न्यायालयीन प्रकरण समाप्त, आरोपित राशि वसूल की जा चुकी है। 3. श्री दीनबंधु मिश्रा, लैम्पस प्रबंधक, कोठी-सेवा से पृथक, न्यायालयीन प्रकरण मान.उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, आरोपित राशि 0.65 लाख वसूली हेतु शेष है। 4. श्री भैयालाल त्रिपाठी, लैम्पस प्रबंधक, जैसिंहनगर- श्री त्रिपाठी की मृत्यु हो चुकी है, न्यायालयीन प्रकरण निराकृत, श्री भैयालाल त्रिपाठी के वारसान द्वारा न्यायालय के निर्णय के आधार पर राशि समायोजन करने की कार्यवाही की जा रही है। 5. श्री जवाहरलाल कोल, समिति सेवक, मलगा-सेवा से पृथक, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, संबंधित से राशि वसूल हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10/337/2001/ पन्द्रह-1,** **दिनांक 22.01.2015**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72.	208	ता.प्र.सं.05 (क्र.3817) दि. 19.09.2001	मझगवां के सरपंच के विरूद्ध फर्जी प्रमाण पत्र देने पर कार्यवाही ।	जो सरपंच है मझगवां के इनके खिलाफ अगर प्रमाण पत्र फर्जी प्रमाणित होता है तो वैधानिक कार्यवाही के निर्देश देगें ।	विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकण में ''थाना मझगवां में दर्ज कराने के पश्चात'' अद्यतन स्थिति की चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :- 1. मछुआ सहकारी समिति मर्यादित गिदुरहा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राम मनोहर के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 153/03 न्यायिक मजिस्ट्रेट सिहोरा प्रथम श्रेणी श्री अमित निगम के न्यायालय में विचाराधीन है । 2. उपरोक्त प्रकरण गवाही की अवस्था में है । प्रकरण में कुल 38 गवाही होना थी, जिसमें से 07 शेष है, गवाह उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा अनुपस्थित गवाहों के विरूद्ध रू. 500/- का जमानती वारंट जारी किये गये है । प्रकरण न्यायाधीन है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **216/200/2015/ पन्द्रह-1,** **दिनांक 24.01.2015**	कोई टिप्पणी नहीं ।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73.	226	परि.ता.प्र.सं.41 (क्र.913) दि. 23.08.2001	ग्रामीण जलप्रदाय योजना हेतु प्राप्त राशि से कराये गये कार्य की कार्यपालन यंत्री कटनी द्वारा की गई जांच में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यवाही संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा।	जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत आदेश क्र. एफ 5-14/02/1/34, दिनांक 24.01.2012 द्वारा श्री जे.एस.बघेल, सहायक यंत्री (सेवानिवृत्त) की 15 प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से रोकने संबंधी दण्डादेश जारी किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 3775/4244/2014/1/ 34, दिनांक 10.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।
74.	228	ता.प्र.सं.03 (क्र.1181) दि. 30.08.2001	बैरागढ़ भोपाल में जलावर्धन योजना का कार्यान्वयन एवं उक्त योजना में गांधीनगर एवं डिफेन्स कालोनी को शामिल किया जाना।	1. लागत से ही आंकलन के पश्चात ऋण प्राप्त कर योजना निर्माण प्रारंभ किया जा सकेगा। 2. शहर से संबंधित जो कालोनियां है उसका समावेश इसमें रहेगा।	बैरागढ जल आवर्धन योजना का कार्य वर्ष 2003 में प्रारंभ होकर उसका संपूर्ण क्रियान्वयन वर्ष 2008 में पूर्ण हो गया था। बैरागढ़ जल आवर्धन योजना के क्रियान्वयन कार्य नगर निगम भोपाल के द्वारा संपादित किया गया था। उपरोक्त योजना के अंतर्गत गांधी नगर क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराया गया। डिफेंस कॉलोनी (रक्षा विहार) को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मूल बैरागढ़ की जल आवर्धन योजना में शामिल नहीं था, चूंकि रक्षा विहार कॉलोनी भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई थी, अत: इस कॉलोनी में बैरागढ जल आवर्धन योजना से पेयजल उपलब्ध कराने में होने वाले व्यय का वहन या तो भोपाल विकास प्राधिकरण करें या शासन ? ऐसी मंशा नगर निगम भोपाल की थी। इस बीच भोपाल विमानतल की विस्तार योजना के अंतर्गत डिफेंस कॉलोनी का संपूर्ण क्षेत्र इस योजना में शामिल हो गया, अत: डिफेंस कॉलोनी को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2535/1979/2012/ 2/34, दिनांक 12.06.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
75.	229	ता.प्र.सं.06 (क्र.339) दि.	सागर नगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु सागर जल प्रदाय योजन के कार्य को पूरा किया जाना।	हुडकों से ऋण प्राप्त होते ही कार्य शुरू हो जायेगा।	नगर निगम सागर को हुडकों से रू.3566.08 लाख का ऋण दिनांक 23.05.2001 को स्वीकृत हुआ है। हुडकों से प्रथम किस्त की राशि रू.225.00 लाख दिनांक 11.12.01 को मुक्त की है। बांध, ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बी.पी.टेंक की निविदा स्वीकृति हो चुकी है। शुद्ध जल पंपिंग मेन, ग्रेविटीमेन, उच्चस्तरीय टंकी की निविदाएं प्राप्त हो गई है एवं विचाराधीन है। इस प्रकार हुडकों से ऋण प्राप्त कर कार्य पूर्ण गति से शुरू कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 13/6/34/2/2002, दिनांक 06.02.2002**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
76.	233	ता.प्र.सं.10 (क्र.1100) दि. 06.09.2001	दमोह जिले में नलकूप खनन एवं ग्रामीण नलजल योजना के लंबित कार्य को पूर्ण किया जाना।	ये कार्य वित्तीय वर्ष में हो जायेंगे।	प्रश्न में वर्णित 86 ग्रामों में 86 नलकूप खनन के अंतर्गत 58 ग्राम जनसंख्या के मान से पूर्ण श्रेणी में होने के कारण नलकूप खनन कराया जाना संभव नहीं है। शेष 28 ग्रामों में 28 नलकूप वर्ष 2001-02 में खनन कराये गये है। प्रश्न में वर्णित 9 ग्रामों की नलजल योजनाओं में से 03 ग्रामों की जनसंख्या 2000 से कम होने व ग्रामों में पर्याप्त हैण्डपंप स्थापित होने व ग्रामों में पर्याप्त हैण्डपंप स्थापित होने से योजना तैयार नहीं की गई है। शेष 6 ग्राम क्रमश: इमलाई, बिलाई, बलारपुर, चौपरा खुर्द, बालाकोट एवं हिरदेपुर की योजना पूर्ण की जा चुकी है। कुआं निर्माण हेतु प्रश्न में वर्णित 6 ग्रामों में जनसंख्या के मान से पर्याप्त हैण्डपंप स्थापित होने से कुआं उत्खनन कराया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2129463/2012/2/ 34,** **दिनांक 25.05.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
77.	235	अता.प्र.सं.02 (क्र.131) दि. 06.09.2001	बैतूल विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2000 से जुलाई, 2001 में स्वीकृत एवं प्रस्तावित नलजल योजनाओं की स्वीकृति।	विश्वसनीय स्रोत विकसित होने पर स्वीकृति एवं आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।	बैतूल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2000 से जुलाई, 2001 में स्वीकृत एवं प्रस्तावित 32 नलजल योजनाओं में से 31 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 01 योजना का कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-293/04/2/ 34,** **दिनांक 30.09.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
78.	239	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र.3196) दि. 13.09.2001	खान नदी का प्रदूषित जल क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकने की कार्यवाही।	स्वीकृत के उपरांत कार्य किये जा सकेगें।	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत स्वीकृत खान नदी शुद्धिकरण योजना इंदौर के स्वीकृत निम्नलिखित कार्य पूर्ण कर लिये गये है :- 1. अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन के सभी कार्य। 2. मुख्य पंपिंग स्टेशन का निर्माण 78 एम.एल.डी. क्षमता। 3. मय जल शुद्धिकरण का संयंत्र का निर्माण – 78 एम.एल.डी. क्षमता एवं 12 एम.एल.डी. क्षमता का कार्य। उक्त योजना संधारण एवं संचालन हेतु नगर पालिका निगम इंदौर को हस्तांतरित की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-106/2013/2/ 34,** **दिनांक 11.12.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
79.	240	अता.प्र.सं.82 (क्र.5700) दि. 13.09.2001	1 अप्रैल 98 से 31 मार्च, 2000 तक बिना उचित कारण आवंटन से अधिक व्यय करने वाले कार्यपालन यंत्रियों पर कार्यवाही ।	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध उपर्युक्त कार्यवाही सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के अंतर्गत की जावेगी ।	प्रकरण से जुड़े एक कार्यपालन यंत्री को इस विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 5-15/2009/1/34 दिनांक 31.03.2009 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है एवं शेष 11 अधिकारियों से समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 31.03.2009 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1858/2497/2009/1/चौंतीस,** **दिनांक 26.06.2009** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.23347/वि.स./आश्वा./2010, दि.22.11.2010 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***कार्यपालन यंत्री को दिये गये कारण बताओ नोटिस के पश्चात् की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एवं 11 अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति ।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है ।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
80.	242	परि.ता.प्र.सं.88 (क्र.6975) दि. 20.09.2001	मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के चंदेरी विकासखण्ड में बिना स्वीकृति के तालाब निर्माण कराने एवं राशि का भुगतान करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही।	संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	चंदेरी विकासखण्ड के ग्रामों में परलोकेशन टैंक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्यपालन यंत्री गुना द्वारा प्रदान की गई थी । कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संक्षेपिका पेयजल आपूर्ति उप समिति गुना ने दिनांक 19.09.2001 को अनुमोदित की है । जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 12.04.02 में किये गये अनुमोदन अनुसार कलेक्टर गुना के आदेश क्र. 1143 दिनांक 02.05.02 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है । पत्र की छायाप्रति संलग्न है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **293/04/2/34,** **दिनांक 30.09.2006**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81.	243	ता.प्र.सं.91 (क्र.6980) दि. 20.09.2001	सागर जिले में पूर्व में पदस्थ कार्यपालन यंत्री श्री पी.डी. चतुर्वेदी द्वारा जिला पंचायत के अनुमोदन के बिना हैण्डपंप खनन कराये व सामग्री क्रय की शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जांच के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	श्री पी.डी. चतुर्वेदी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड सागर के विरूद्ध जिला पंचायत के अनुमोदन के बिना हैण्डपंप खनन करने व सामग्री क्रय संबंधी शिकायत की जांच कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के आदेश पृ.क्र. 2143/3/स.अ./2001, दिनांक 30.10.2001 द्वारा अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सागर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13/20/34/2/ 2002,** **दिनांक 18.02.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचि. के पत्र क्र.23347/वि.स./आश्वा./2010, दि.22.11.2010 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुमोदन के बिना हेतु पंप खनन कराने व सामग्री क्रय की शिकायत की जांच की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
82.	246	अता.प्र.सं.60 (क्र.6460) दि. 20.09.2001	पन्ना जिले में नलजल योजनाओं का कार्य समयावधि में पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही।	जिन ठेकेदारों ने अनुबंध की निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया है उनके विरूद्ध अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	पन्ना जिले की 5 नलजल योजनाओं के अंतर्गत लंबित 7 कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :- 1. पटना तमोली जलप्रदाय योजना हेतु पाइप लाइन के कार्य हेतु ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि राजसात की गई है। विभागीय तौर से कार्य पूर्ण किया गया है। 2. गंज जमराय जलप्रदाय योजना के अंतर्गत पाइप लाइन के कार्य हेतु ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि राजसात की गई है। विभागीय तौर से कार्य पूर्ण किया गया है। 3. उमरिया ग्यावर जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पाइप लाइन के कार्य हेतु ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर धारोहर राशि राजसात की गई है एवं अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया है। 4. रैपुरा के आर.सी.सी. सर्विस रिजरवायर के निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार को अनुबंध के अनुसार नोटिस दिया गया था तदोपरांत ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया है। 5. पटना तमोली जल प्रदाय योजना हेतु उच्च स्तरीय टंकी निर्माण का कार्य के संबंध में ठेकेदार को अनुबंध के अनुसार नोटिस दिया गया था एवं उसी ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया है। 6. गंज जमराय जलप्रदाय योजना के अंतर्गत पंप हाऊस निर्माण का कार्य हेतु ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि राजसात की गई है एवं अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया है। 7. देवेन्द्र नगर जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पाइप लाइन के कार्य हेतु ठेकेदार को अनुबंध के अनुसार नोटिस दिया गया था एवं उसी ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **211/3101/2012/2/ 34, दिनांक 24.01.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
आवास एवं पर्यावरण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83.	249	ता.प्र.सं.04 (क्र.4901) दि. 10.09.2001	भोपाल शहर में भोजवेट लैण्ड परियोजना से कार्यों को पूर्ण किया जाना एवं भदभदा के पुल का निर्माण किया जाना।	1. हमारा निश्चित रूप से यह प्रयास है कि मार्च 2000 में यह स्कीम हमारी हो जाएगी। 2. इसका एक प्रस्ताव बनाकर हम परीक्षण करा लेंगे।	परियोजना से संबंधित आश्वासन क्र. 249 यथा ''भोज वेटलैण्ड परियोजना के कार्यों को मार्च 2002 तक (त्रुटिवश मार्च 2000 अंकित है) पूर्ण किये जाने का निश्चित प्रयास किया जायेगा।'' इस तारतम्य में लेख है कि भोजवेट लैण्ड परियोजना की अवधि जे.बी.आई.सी. जापान द्वारा जून 2004 निर्धारित की गई थी। परियोजना मई 2004 को समाप्त हुई। परियोजनान्तर्गत भदभदा के समीप नए पुल के निर्माण का कार्य मार्च 2004 में सम्पन्न हो चुका है एवं आवागमन हेतु खोला जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 9-193-2001-32, दिनांक 22.03.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
84.	252	परि.अता.प्र.सं.92 (क्र.4453) दि. 10.09.2001	भोपाल विकास प्राधिकरण को हुई हानि का आंकलन कर उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने संबंधी प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।	भोपाल विकास प्राधिकरण को हुई वित्तीय हानि रूपये 1,45,310 /- (एक लाख पैतालीस हजार तीन सौ दस मात्र) में से रूपये 1,16,804/- (एक लाख सोलह हजार आठ सौ चार मात्र) की राशि अंतिम देयक से काटकर राजसात की गई तथा श्री एम.एस. खॉन, अधीक्षण यंत्री को देय स्वत्वों में से रूपये 28,506/- (रूपये अठ्ठाइस हजार पॉच सौ छः मात्र) की वसूली की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2683/2012/32-1, दिनांक 22.07.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
85.	256	अता.प्र.सं.27 (क्र.4253) दि. 17.09.2001	टिमरनी में गृह निर्माण मण्डल द्वारा 50 शैया वाले छात्रावास भवन के निर्माण कार्य में विलंब के लिए दोषी पर कार्यवाही।	कार्यपालन यंत्री दोषी हैं, उनके विरूद्ध तीन माह में कार्यवाही की जावेगी।	श्री एस.पी. खरे, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री पर आदेश क्रमांक जी-15 दि. 07.01.2003 द्वारा रू. 30,000/- की वसूली की शस्ति अधिरोपित की गई थी। श्री खरे द्वारा उक्त राशि रसीद क्रमांक 147/87 दिनांक 19.09.2006 के द्वारा जमा कराई जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 20-56/2009/32-1, दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
86.	265	ता.प्र.सं.08 (क्र.2068) दि. 31.08.2001	शिवपुरी जिले में शेष 24 ग्रामों को विद्युत लाइन से जोड़ने का कार्य तथा विद्युतीकरण में विलंब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही।	1. कुल पांच लोग हैं, उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। 2. हम इस बात का प्रयास करेंगे कि ये 24 गांव जल्दी से संयोजित हो जायें और यथा संभव इस बात की भी कोशिश की जायेगी कि जल्दी से जल्दी इस काम को करके लोगों को बिजली की सप्लाई दी जावे।	(1) श्री विनोद श्रीवास्तव (2) श्री एस.के. पटेरिया (3) श्री डी.एन.एस. राठौर (4) श्री जे.एन. उपाध्याय (समस्त कनिष्ठ यंत्री) को प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुये निलंबित किया जाकर प्रकरण की विभागीय जांच कराई गई । किंतु जांचोपरांत उक्त कनिष्ठ यंत्री दोषी नहीं पाये गये। एक अन्य वरिष्ठ यंत्री श्री एन.डी. स्वर्णकार प्रथम दृष्टया दोषी नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित नहीं की गई। 2. वर्तमान में 20 ग्रामों का विद्युत प्रदाय सुचारू है, शेष 4 ग्रामों को चालू करने हेतु सिस्टम स्ट्रेथनिंग योजना के तहत प्राक्कलन क्र. 59-0226-3846-07-0177 दि 05.02.08 राशि 12.06 करोड़ स्वीकृत हो चुका है तथा प्रक्रिया उपरांत कार्य वर्ष 2008-09 के वर्षान्त तक पूर्ण होने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ/11/970/01/13,** **दिनांक 23.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
87.	273	परि.अता.प्र.सं.37 (क्र.4654) दि. 14.09.2001	ग्वालियर शहर एवं जिले में दिनांक 16 जून 2001 को बिना पूर्व सूचना के 3 घण्टे बिजली बंद करने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	विभागीय जांच की कार्यवाही संपादित होने पर जिम्मेदारी तय कर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।	मण्डल द्वारा सक्षम अधिकारी से जांच कार्यवाही कराई गई। जांचोपरांत पाया गया कि भीड में से किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा बिजली बंद की गई । अतः मण्डल का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिजली बंद करने में दोषी नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **442/एफ-11/970/13/ 01,** **दिनांक 28.01.2006**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
गृह विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88.	285	परि.अता.प्र.सं.69 (क्र.1085) दि. 21.08.2001	मुलताई गोली चालन में दर्ज प्रकरणों में से गुणदोष के आधार पर मुकदमे वापिस लेने की कार्यवाही।	तीन प्रकरणों में गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	अपराध क्रमांक 4/98 धारा 186, 147, 148, 149, 506 भादंवि, प्रकरण माननीय जेएमएफसी आमला द्वारा 321 जाफौ के तहत दिनांक 01.05.08 को वापिस लिया जाकर कार्यवाही समाप्त की गई। शेष 02 प्रकरण वापिस नहीं लिये जाने के बाद न्यायालय में लंबित हैं तथा इनका निराकरण न्यायालय से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आश्वासन पर कोई कार्यवाही विभाग स्तर पर नहीं की जानी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 34-36/2011/दो/ सी-2, दिनांक 21.02.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
89.	296	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 04.09.2001	मुरैना जिले के थाना अम्बाह के अंतर्गत सरस्वती नगर में दिनांक 10.06.2001 को श्रीमती रेखा चौहान की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी किया जाना।	अतिशीघ्र पकड़ लिया जायेगा। पुलिस कार्यवाही कर रही है। मुल्जिमों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जायेगी।	मुरैना जिले के थाना अम्बाह के अंतर्गत सरस्वती नगर में दिनांक 10.06.2001 को श्रीमती रेखा चौहान की हत्या के संबंध में थाना अम्बाह में अप.क्र. 238/2001 धारा 460 ता.हि. का अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसमें धारा 302 ता.हि. इजाफा की जाकर आरोपियों की पतारसी के हरसंभव प्रयास किये गये। आरोपियों की पतारसी न होने पर प्रकरण में खात्मा क्र. 73/02 दिनांक 23.10.02 को कता किया जाकर मान. न्यायालय में पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4796/3982/2011/बी-1/दो, दिनांक 23.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
90.	302	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 07.09.2001	जिला मुरैना के ग्राम सकतपुर में 10.07.2001 को कृषक बैजनाथ कुशवाह के हत्या में लिप्त पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही घटना की सी.आई.डी./मजिस्टीरियल जांच एवं अपराधियों की गिरफ्तारी।	अगर पुलिस भी उसमें दोषी पाई जायेगी तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। 2. सी.आई.डी. जांच करायेंगे, किसी भी वरिष्ठ संस्था से जांच करा लेंगे। 3. उन्हें हम अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे जांच के बाद 4. आप जांच से संतुष्ट न हो तो दुबारा जांच करवा लेगें, सी.आई.डी. की जांच रिपोर्ट आ जाये उसके बाद जो कहेंगे हम तैयार हैं।	थाना बागचीनी में पंजीबद्ध अप.क्र. 71/01, धारा 302,34 भादवि के प्रकरण में आरोपी उप निरीक्षक, मनीष मिश्रा की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर चालान क्र. 118/05 दि. 29.09.05 तैयार कर मान. न्यायालय में पेश किया गया जिसका प्रकरण क्र. 737/08 दिनांक 14.10.2008 है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच भी पूर्ण में की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 7015/6057/2011/बी-1/दो, दिनांक 05.12.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91.	303	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 07.09.2001	धार जिले के ग्राम जामनिया में दिनांक 08.06.2001 को श्री गंगा राम आदिवासी (भील) की हत्या के प्रकरण में मर्ग कायम न कर, करंट से मृत्यु होने संबंधी रिपोर्ट लिखी । सी.एस.पी. के खिलाफ 201 के प्रकरण का कागजी घटना के साक्ष्य मिटाने की कोशिश करने वाले प्रधान आरक्षक और ए.एस.आई. के साथ ही सी.एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही।	(1) अगर दोषी पाये जायेगें तो निश्चित कार्यवाही की जावेगी। (2) कर लेंगे। (3) दे देंगे। (4) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, अभी प्रकरण विवेचनाधीन है जैसे ही यह प्रकरण निपटता है, जो पात्रता आती है, उस अनुसार कार्यवाही करेंगे।	(1) थाना अजाक धार में अपराध क्रमांक 124/2001, धारा 302, 201, 374 भादवि एवं 18 बंधुआ मजदूरी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। (2) प्रकरण की विवेचना अ.अ.वि. द्वारा की गई है । धारा 173(8) जा.फौ. के तहत विवेचना उप पुलिस अधीक्षक बी.एस.कांग के नेतृत्व में गठित टीम से करायी गई। विवेचना में तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाये जाने से प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। (3) विवेचना उपरांत अ.अ.वि. द्वारा अभियोग पत्र क्रमांक 192/2001 तैयार कर विशेष न्यायालय धार में प्रस्तुत किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2362/2022/2006/बी-4/दो,** **दिनांक 02.05.2006**	कोई टिप्पणी नहीं।
92.	310	अता.प्र.सं.23 (क्र.2624) दि. 12.09.2001	वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मुरई में फर्जी ऋणों की प्रारंभिक जांच में दोषी पाये गये लोगों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण में जांच विवेचना निष्पक्ष की जा रही है।	दि. 22.09.01 का ई.ओ.डब्ल्यू. के अपराध क्र. 1501 धारा 467, 468, 471, 420, 34 ता.हि. पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण ई.ओ.डब्ल्यू. में विवेचनाधीन है। थाना कटंगी में जांच के दोषी पाये गये लोगों के विरूद्ध अप.क्र. 38/01 धारा 467, 468, 471, 420, 34 ता.हि. का पंजीबद्ध किया जाकर ई.ओ.डब्ल्यू. को स्थानांतरित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2438/12406/2005/ बी-1/दो,** **दिनांक 01.06.2006**	कोई टिप्पणी नहीं।
93.	314-अ	परि.अता.प्र.सं.103 (क्र.6819) दि. 19.09.2001	01 जनवरी, 99 से 15 अगस्त, 2000 की समयावधि में विदिशा जिले में हत्याकाण्डों के आरोपियों की गिरफ्तारी एवं जांच।	प्रकरण में विवेचना एवं सूक्ष्मता से जांच अनुभवी पुलिस अधिकारियों से कराई जा रही है।	विदिशा जिले में 01 जनवरी, 99 से 15 अगस्त, 2000 तक की समयावधि में हत्याकाण्ड के 73 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, जिनमें से 63 प्रकरणों में 134 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया एवं 10 प्रकरणों में आरोपी अज्ञात होने से 8 प्रकरणों में खात्मा एवं 02 प्रकरणों में खारिजी कता की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **7035/5844/2011/बी-1/दो,** **दिनांक 05.12.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
94.	319	अता.प्र.सं.129 (क्र.6799) दि. 19.09.2001	शिवपुरी नगर में दि.25.07.2001 को कपड़ा व्यवसायी श्री अनुराग जैन के हत्यारों की गिरफ्तारी।	गिरफ्तारी के सतत प्रयास जारी है।	प्रकरण का एक मात्र फरार आरोपी धर्मवीर खटीक की झांसी के पास एन्काउण्टर में मृत्यु हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **875/3929/2011/बी-1/दो,** **दिनांक 11.03.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
95.	323	परि.अता.प्र.सं.01 (क्र.14) दि. 21.08.2001	दमोह जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत प्रस्तावित मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना।	यथाशीघ्र प्रारंभ करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	दमोह जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रथम चरण में 14 मार्गों को पैकेज क्र. एम.पी. 0803,805 एवं 808 में सम्मिलित किया गया था। जिसमें पैकेज क्र. एम.पी. 0803 को दिनांक 30.12.03 पैकेज क्र.एम.पी. 805 को दिनांक 31.07.05 एवं पैकेज क्र. एम.पी. 808 को दिनांक 29.08.04 को पूर्ण करा लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9396/22/वि.12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-6/वि.स. आश्वासन 1323/09-02,** **दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
96.	324	परि.अता.प्र.सं.36 (क्र.566) दि. 21.08.2001	स्मिता बिल्डर्स द्वारा ग्राम रतनपुर एवं सूर्या कालोनाइजर्स द्वारा कोलार रोड पर निर्मित आवासों में क्रमश: सड़क डामरीकरण एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न कराने पर कलेक्टर भोपाल को की गयी शिकायत पर कार्यवाही।	तहसील हुजूर द्वारा कार्यवाही भू-राजस्व संहिता के प्रावधान अनुसार की जा रही है।	कलेक्टर, भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुजा विलेज में पेयजल व्यवस्था हेतु 2 ट्यूबवेल है। पाईप लाईन डली है, वर्तमान में व्यवस्था कॉलोनीवासियों की सोसायटी चला रही है। सेप्टिक टैंक बना है, सिवेज लाईन व चेम्बर हैं। सीवेज लाईन मैन टैंक से जुड़ी है। विद्युत व्यवस्था हेतु 3 ट्रांसफार्मर लगे हैं जिनमें 2 चालू है। स्ट्रीट लाईट है। नाली, पार्क के लिये भूमि सुरक्षित है। कालोनाईजर के विरूद्ध धारा 172(4) का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। सुनवाई के दौरान कालोनीवासी एवं कालोनाईजर के बीच दिनांक 10.07.2005 को चर्चा कराई गई। कालोनाईजर द्वारा पेयजल व्यवस्था, सड़क सुधार कार्य करने का आश्वासन दिया गया एवं चार मकान बेचकर कार्य कराने की सहमति दी है। मकान के बिक्री की कार्यवाही की जा रही है। राशि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 15-143/2001/ 22/पं-21,** **दिनांक 22.07.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.19670/वि.स./आश्वा./10, दि.29.09.2010 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई है :- ***पेयजल व्यवस्था सड़क सुधार करने हेतु भू-राजस्व संहिता के अनुसार की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
97.	325	परि.अता.प्र.सं.47 (क्र.827) दि. 21.09.2001	ग्राम पंचायत मुर्रई पाटन के श्री प्रदीप पटेल पूर्व सरपंच पर बकाया राशि के वसूली के लिए धारा 92 की कार्यवाही में ढिलाई बरने वाली के विरूद्ध कार्यवाही।	यथाशीघ्र	ग्राम पंचायत मुर्रई पाटन के पूर्व सरपंच श्री प्रदीप पटेल से बकाया राशि रूपये 31,419/- की वसूली म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी, जो कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हैं, के द्वारा दिनांक 05/10/2005 को की जा चुकी है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पाटन में यह प्रकरण 03/02/2001 से 29/09/2005 तक चला है। इस अवधि में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भविष्य में प्रकरणों में विलंब न करने के लिए सचेत किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6223/NREGS-MP/NR-11/वि.स./2010,** **दिनांक 22.06.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
98.	327	परि.अता.प्र.सं.09 (क्र.323) दि. 29.08.2001	भिण्ड जिले में 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की सड़कों का निर्माण कर मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया जाना।	वित्त वर्ष 2000-2001 हेतु स्वीकृत कार्यों की निविदाओं पर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है एवं शीघ्र कार्य प्रारंभ किये जावेगें। वित्त वर्ष 2001-2002 हेतु प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु कुल 12 मार्गों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें समस्त मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कुल 21 मार्गों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी स्वीकृति उपरांत समस्त मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करा लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9404/22/वि.12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-6/वि.स.आश्वासन/327/08-01,** **दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
99.	328	परि.अता.प्र.सं.34 (क्र.1247) दि. 29.08.2001	सीधी जिले में 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़े जाने के कार्य प्रारंभ किये जाना।	स्वीकृत उपरांत कार्य किया जावेगा।	वर्ष 2000-2001 में 2 पैकेजों अंतर्गत 10 मार्गों एवं वर्ष 2001-2002 में 7 पैकेजों अंतर्गत 18 मार्गों की स्वीकृत प्राप्त हुई थी जो सभी प्रारंभ कर पूर्ण कर लिये गये हैं। जिनसे कुल 500 से अधिक आबादी के 46 ग्राम दिनांक 30.06.2006 को जोड़े जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9661/22//वि.12/ ग्रा.स.वि.प्रा./टी-6/वि.स.आश्वासन/328/08-09-01,** **दिनांक 06.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
100.	330	परि.अता.प्र.सं.47 (क्र.1500) दि. 29.08.2001	बैतूल जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य प्रारंभ किये जाना।	कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा।	बैतूल जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 2000-2001 के स्वीकृत पैकेज क्र. एमपी. 0401 तथा एमपी. 0402 कुल 10 मार्गों का कार्य प्रारंभ कर पूर्ण कर लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9545/22/वि.12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-6/वि.स.आश्वासन/330/08-01** **दिनांक 04.07.2001**	कोई टिप्पणी नहीं।
101.	331	परि.अता.प्र.सं.53 (क्र.158) दि. 29.08.2001	जिला जबलपुर के ग्राम रिछाई में वर्ष 97-98 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो की सर्वे सूची में अनियमितता की जांच, दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही एवं सर्वे सूची का सुधार।	अनियमितता पाये जाने पर संबधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जांच उपरांत सुधार की कार्यवाही की जावेगी।	जांच कराई गई। जांचोपरांत 5 अपात्र पाये गए परिवारों के नाम सर्वे सूची से पृथक कर दिए गए हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा प्रगणक की गलत जानकारी देने के कारण और कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण इनके नाम सर्वे सूची में शामिल कर लिए गए थे। अत: कोई दोषी नहीं है। सर्वे सूची में उक्तानुसार सुधार कर लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **58/22/वि-6/वि.स./ 200,** **दिनांक 02.01.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
102.	332	परि.अता.प्र.सं.86 (क्र.86) दि. 29.08.2001	ग्राम पंचायत अमेडा जिला बालाघाट में संतोष व. भागवत नगपुरे को नियम विरूद्ध लाख का ठेका देने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षण पश्चात् दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	ग्राम पंचायत अमेडा (पा) में लाख ठेका दिये जाने में पंचायत को हुई आर्थिक हानि का परीक्षण खंडस्तरीय जांच समिति से जांच कराई गई। जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार श्री संतोष कुमार वल्द भागवत नगपुरे से ग्राम पंचायत को आर्थिक हानि होने की बात प्रमाणित नहीं हुई है। जिसकी पुष्टि ग्राम सभा के सम्मिलन दिनांक 10.12.2001 में की गई है। जांच समिति के प्रस्तावित प्रतिवेदन अनुसार पौध विशेषज्ञ से पंचायत को हुई आर्थिक हानि का आंकलन कराया जा रहा है। सरपंच के विरूद्ध धारा 40 के तहत कार्यवाही प्रारंभ है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **15-158/2001/22/पं.-2 01,** **दिनांक 20.03.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.19670/वि.स./आश्वा./10, दि.29.09.2010 के द्वारा अद्यतन जानकारी चाही गई है :- ***जांच समिति के परीक्षण के पश्चात् दोषी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
103.	334	अता.प्र.सं.24 (क्र.1189) दि. 29.08.2001	पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 में पंचायतों द्वारा नीलाम किए गए पट्टों में पट्टेदार द्वारा राशि जमा न कर ठेके की अवधि पूर्ण करने पर संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों से राशि वसूली।	उत्तरदायी ठेकेदार से राशि वसूली की जावेगी।	विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1189 का उत्तर देने की दिनांक 17.08.2001 को जनपद पिपरिया एवं बनखेड़ी के 09 नीलामी ठेकों की राशि वसूली होना शेष थी परंतु नीलामी ठेकेदारों से वसूली की कार्यवाही की गई है। जमा की स्थिति निम्नानुसार है:- (तालिका नीचे)	कोई टिप्पणी नहीं.

क्र.	**ठेको का नाम**	**कुल राशि वसूल की जानकारी**	**कुल वसूली की गई राशि**	**शेष राशि**
(जनपद पंचायत पिपरिया)				
1.	सहलवाड़ा-नावघाट	600.00	600.00	-
2.	ग्राम रिछेड़ा-शालेय भूमि	250.00	250.00	-
3.	खापरखेड़ा रेत खदान	10000.00	10000.00	-
(जनपद पंचायत बनखेड़ी)				
1.	बकरा-बकरी ठेका	4050.00	4050.00	-
2.	अनाज गल्ला ठेका	1550.00	1550.00	-
3.	अनाज व्हील ठेका	9500.00	9500.00	-
4.	गुडतोल ठेका	2000.00	2000.00	-
5.	बांस बर्तन ठेका	2150.00	2150.00	-
6.	मिर्च तोल ठेका	2100.00	2100.00	-

इस आश्वासन में अब शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विभागीय पत्र क्रमांक –
एफ 15-141/22/प.2/01,
दिनांक 01.03.2004

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>104.</td><td>335</td><td>अता.प्र.सं.32
(क्र.1480)
दि. 29.08.2001</td><td>इंदौर जिले के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि।</td><td>कार्यादेश जारी करने से 9 माह की समयावधि में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।</td><td>इंदौर जिले के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में पैकेज क्रमांक एम.पी. 2201 की स्वीकृति वर्ष 2001 में प्राप्त हुई थी जिसमें सांवेर विकासखण्ड की 4 सड़कें एवं इंदौर विकासखण्ड की 3 सड़कें सम्मिलित थी। उक्त पैकेज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जानकारी निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>सड़क का नाम</th><th>विकासखण्ड</th><th>कार्यपूर्णता की तिथि</th></tr>
<tr><td>बरदरी से लम्बोदागारी</td><td>इंदौर</td><td>31.12.02</td></tr>
<tr><td>ए.बी. रोड़ से कैलोदहाला</td><td>इंदौर</td><td>03.09.02</td></tr>
<tr><td>दुधिया उमरिया मार्ग</td><td>इंदौर</td><td>17.05.02</td></tr>
<tr><td>परदेशीपुरा से भाग्या</td><td>सांवेर</td><td>10.12.02</td></tr>
<tr><td>पलासिया से डकाच्या</td><td>सांवेर</td><td>21.08.02</td></tr>
<tr><td>मगरखेड़ा पहुंच मार्ग</td><td>सांवेर</td><td>15.12.02</td></tr>
<tr><td>माता बरोड़ी से पितावली</td><td>सांवेर</td><td>31.12.02</td></tr>
</table>
विभागीय पत्र क्रमांक –
9442/22/वि.12/ग्रा.स.वि.प्रा.टी-6/वि.स. आश्वासन/335/08-01,
दिनांक 02.07.2011</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>105.</td><td>337</td><td>अता.प्र.सं.59
(क्र.2184)
दि. 29.08.2001</td><td>जबलपुर जिले के ग्राम ढोड़ा में राजीव गांधी जलग्रहण प्रबंधन मिशन के तहत निर्मित कराये गये वाटरशेड प्रोजेक्ट में राशि के दुरूपयोग की शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।</td><td>जांच समिति से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।</td><td>जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम ढोड़ा में राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के तहत कराये गये वाटरशेड कार्यों में राशि के दुरूपयोग की अनियमितता नहीं पाई गई।
विभागीय पत्र क्रमांक –
15542/22/वि-9/आर.जी.एम./2012,
दिनांक 10.12.2012</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>106.</td><td>338</td><td>परि.अता.प्र.सं.02
(क्र.3738)
दि. 05.09.2001</td><td>डबरा अनुभाग में सरपंचों द्वारा की गई अनियमितताओं की कथित शिकायतों की जांच।</td><td>जहां तक डबरा अनुभाग की बात है, मैं अवश्य यहां से अधिकारी भेजकर वहां के सरपंच के खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाही हुई तो जांच करवा लेंगे।</td><td>अनुभाग डबरा एवं भितरवार के कुल 21 सरपंचो से निर्माण कार्यो की राशि रूपये 10,97,175/- वसूली के प्रकरणों में से 14 पूर्व सरपंचों से राशि रूपये 3,92,009/- वसूली की गई है। 2 पूर्व सरपंचों से राशि रूपये 4,06,566/- (चार लाख छः हजार पांच सौ छियासठ मात्र) चल अचल संपत्ति नहीं होने से वसूली नहीं की जा सकी। शेष 5 सरपंचो से राशि 2,98,600/- (दो लाख, अठान्वे हजार छः सौ वसूल किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
उपरोक्त प्रकरण न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित है। विभागीय पत्र क्रमांक –
811/1137/2015/22/पं.1,
दिनांक 18.06.2015</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
107.	339	ता.प्र.सं.09 (क्र.3441) दि. 05.09.2001	वेतन निर्धारण संबंधी प्रकरण का निराकरण समयावधि में किया जाना तथा शेष 25 कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी कार्यवाही।	हम शीघ्र इसका निराकरण करेगें।	आश्वासन के अनुरूप संबंधित कर्मचारियों की सेवापुस्तिका में संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा ली गई आपत्ति के अनुरूप उनके वेतन निर्धारण संशोधित कर दिये गये हैं। वर्तमान में पदोन्नति हेतु कोई पद उपलब्ध नहीं होने से पदोन्नति करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **7214/22/वि-02/स्थापना/वि.स.2005,** **दिनांक 27.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
108.	341	परि.अता.प्र.सं.12 (क्र.1346) दि. 05.09.2001	वर्ष 98-99 से 2000-01 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मंदसौर द्वारा शीर्ष से हटकर व्यय करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	कंटेनजेंसी राशि में बचत कर कार्य कराये गये हैं, जो कि शासन/विभाग के लिये हितकारी थे। यह अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इससे शासकीय Asset create किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6622/वि.स.आ./22/दि-10/व्हीएम/ ग्रायांसे/07,** **दिनांक 01.10.2007**	कोई टिप्पणी नहीं।
109.	342	परि.अता.प्र.सं.112 (क्र.4466) दि. 05.09.2001	सागर जिले के खुरई विकासखंड में वाटरशेड योजना में अनियमितता की जांच।	दोषी अधिकारियों/ पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही ही प्रचलित है।	दोषी अधिकारी श्री पी.के. मिश्रा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खुरई एवं श्री डी.एन. भार्गव उपयंत्री के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही हेतु आयुक्त सागर संभाग सागर को लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3288/22/वि-9/आरजीएम/2002,** **दिनांक 08.03.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
110.	343	अता.प्र.सं.44 (क्र.2772) दि. 05.09.2001	ग्राम पंचायत महाराजपुर के उपसरपंच द्वारा सरपंच के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर को की गई शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही संभव है।	विहित प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर के न्यायालय में गतिशील प्रकरण क्रमांक 11/अ-89/9/01-02 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत महाराजपुर जनपद पंचायत पनागर के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16.11.04 के द्वारा सरपंच पद से पृथक कर रूपये 74,383=75 जमा करने का आदेश जारी किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-15/2002/22/पी2,** **दिनांक 26.05.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.22107/वि.स./आश्वा./2012, दि.09.11.2012 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***उत्तरदायी ठेकेदारों से राशि वसूली की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
111.	344	अता.प्र.सं.107 (क्र.4413) दि. 05.09.2001	जनपद पंचायत नागौद में वर्ष 97 से 2001 के मध्य जीवनधारा योजना के तहत कूपों को पूर्ण करने हेतु राशि का भुगतान किया जाना।	जी हाँ नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।	जनपद पंचायत नागौद में 1997 से 2001 के मध्य जीवनधारा योजना के तहत नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है। शेष 18 अपूर्ण कूपों में हुये निष्फल व्यय राशि रू. 1,55,951/- मात्र 18 हितग्राहियों से वसूली हेतु कार्यालय जनपद पंचायत नागौद से जारी पत्र क्रमांक 719/दिनांक 22.06.2002 द्वारा आर.आर.सी. जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **11480/एनआरईजीएस-म.प्र./एन.आर/ 11/विस./2010,** **दिनांक 09.12.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
112.	346	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र.2365) दि. 19.09.2001	जिला बैतूल के विकासखण्ड मुलताई को ग्राम पंचायत सर्रा में 1993 से 2000 की अवधि में फर्जी भुगतान की जांच एवं कार्यवाही।	विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।	कलेक्टर बैतूल द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच में अनियमित भुगतान पाये जाने से संबंधित निम्नलिखित दस व्यक्तियों पर रूपये 6,65,873.00 (रूपये छः लाख पेंसठ हजार आठ सौ तिहत्तर रूपये) की वसूली निर्धारित की गई :- 1. श्री आर.के.कोरो, तत्का.मुख्य कार्यपालन अधि.ज.प. मुलताई रू. 30069.00, 2. श्री व्ही.के. विश्वकर्मा, तत्का.मु.का.अधि.ज.पं. मुलताई रूपये 133045.00, 3. श्री ए.के. चौकसे उपयंत्री (तत्का.) रू. 11493.00, 4. श्री के.के. जैन उपयंत्री (तत्का.) रू. 11494.00, 5. श्री यू.एस. छजलाना उपयंत्री (तत्का.) रू. 37690.00, 6. डी.के. बागड़े उपयंत्री (तत्का.) रू. 37371.00, 7. श्री गौरी सूर्यवंशी लेखापाल जन पंचा. रू. 62507.00, 8. श्री आर.एन.घोरसे लेखापाल से.नि.जन.पंचा. रू. 32439.00, 9. श्रीमती गीताबाई तत्का सरपंच रूपये 165226.00, 10. श्री मनोहर सूर्यवंशी पंचायतकर्मी (सचिव) रूपये 144539.00 **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-207/2001/22/पं.1,** **दिनांक 22.07.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.19670/वि.स./आश्वा./2010, दि.29.09.2010 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***जिला बैतूल के विकासखण्ड मुलताई की ग्राम पंचायत सर्रा में फर्जी भुगतान की वसूली की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
113.	347	अता.प्र.सं.49 (क्र.3668) दि. 02.09.2001	होशंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 एवं 2001-02 में स्वीकृत सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया जाना।	वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत सड़कों के कार्य निविदाएं स्वीकृत होने के उपरांत प्रारंभ किए जावेंगे।	होशंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2000-2001 में 15 मार्ग एवं वर्ष 2001-2001 में 20 मार्ग (कुल 35 मार्ग। स्वीकृत किए गए जिन्हें प्रारंभ कर पूर्ण करा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9398/22/वि.12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-6/वि.स.आश्वासन/347/09-01,** **दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।।
114.	348	अता.प्र.सं.63 (क्र.4223) दि. 12.09.2001	कटंगी विकासखण्ड के वार्ड क्र. 3 से जनपद पंचायत की भूमि में नगर पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से व्यायाम शाला बनाये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रचलित है जांच एवं सीमांकन पश्चात ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	तहसीलदार कटंगी से प्रकरण की जांच एवं सीमांकन कराया गया। सीमांकन एवं जांच के अनुसार नगर पंचायत, कटंगी द्वारा व्यायाम शाला का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भूमि पर किया गया है। नगर पंचायत, कटंगी द्वारा जनपद पंचायत कटंगी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से व्यायाम शाला का निर्माण कार्य नहीं किया गया हैं। अतएव जनपद पंचायत कटंगी द्वारा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इस आश्वासन में विभाग स्तर पर वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-209/22/पं-1/2001,** **दिनांक 13.03.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
115.	349	अता.प्र.सं.110 (क्र.5484) दि.	गंजबासौदा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत चुल्हेट के सरंपच द्वारा चरनोई भूमि को पट्टे में दर्ज करने पर कार्यवाही ।	प्रकरण में पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में ग्राम पंचायत चुल्हेटा द्वारा चरनोई भूमि को आवास पट्टे 1995 में वितरित किए गए है, जिसे आवंटन के पश्चात् न्यायालय कलेक्टर विदिशा के प्रकरण क्र.507/अ 59/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2002 के द्वारा ग्राम ठर्रका की भूमि सर्वे न. 225 रकबा 8.894 में से 3.000 हेक्टेयर भूमि आवासीय घोषित की गई है । इस आवासीय भूमि में ही आवासीय पट्टे स्थित है । ग्राम ठर्रका ग्राम पंचायत चुल्हेटा के क्षेत्रान्तर्गत है । उपरोक्त पट्टे वितरण प्रक्रियात्मक त्रुटि होने के कारण आवासीय भूमि घोषित करा दी गई है । अत: संबंधित के विरूद्ध मं.प्र.पंचायतराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-15-5/2002/22/पं.2,** **दिनांक 19.06.2002**	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
कृषि विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
116.	376	अता.प्र.सं.68 (क्र.4808) दि. 12.09.2001	श्री कुंजीलाल कोष्टा उप संचालक कृषि जबलपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर नियुक्ति/पदोन्नति लेने के संबंध में सेवा से पृथक कर दंडात्मक कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।	मामले पर कलेक्टर, जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जाकर जाति प्रमाण पत्र अमान्य करने का अनुशंसा की गई है । तद्नुसार श्री कोष्टा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दिनांक 08.04.02 को आरोप पत्रादि जारी किये गये । विभागीय जांच को इस कार्यवाही के चलते ही श्री कोष्टा ने मा. प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका क्रमांक 4735/02 दायर की जिस पर मा.न्यायालय ने दिनांक 04.12.02 को विभागीय जांच की कार्यवाही पर स्थगन आदेश जारी किया है। प्रकरण वर्तमान में मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। न्यायालय से प्रकरण के निराकरण होने की समय-सीमा का अनुमान लगाना मुश्किल है। अत: आश्वासन विलोपित करना उचित होगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 8/80/01/14-1,** **दिनांक 19.06.2006**	मामला गंभीर है । मामला न्यायालय में शीघ्र निपटे इसकी चिंता विभाग को करनी चाहिए और इस मामले में दोषी पर न्यायिक कार्यवाही हो इसे विभाग सुनिश्चित करे । इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
117.	379	अता.प्र.सं.48 (क्र.3676) दि. 12.09.2001	छतरपुर जिले की मण्डी प्रांगणों में अतिक्रमण का हटाया जाना।	मण्डी सचिव हरपालपुर द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति हरपालपुर ने उनके पत्र दिनांक 04.07.05 से अवगत कराया है कि उपमण्डी गढ़ीमलहरा के अतिक्रमण हटाने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार महाराजापुर के द्वारा दिनांक 30.06.05 को पोकलेन मशीन बुलाकर तीन मकानों की दीवारें तोड दी गई है शेष अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा बरसात होने के कारण अतिरिक्त तहसीलदार महाराजपुर को अभिकथन पत्र दिये गये है तदानुसार उन्हें दो माह का मौका दिया गया है। बरसात बाद दो माह में अतिक्रमण हटा दिये जावेंगे। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10/275/2001/14-3,** **दिनांक 31.08.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
118.	380	प्र.सं.81 (क्र.4581) दि.	कृषि विभाग में प्रसार कार्य में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों का आहरण अधिकार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सौपे जाने संबंधी आदेशों का पालन न करने वाली के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।	आहरण संवितरण के अधिकार कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सौंपे गये थे तदनुसार उनके द्वारा वेतन भत्तों का आहरण किया जाता रहा है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **ए-8/74/01/14-1,** **दिनांक 08.06.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119.	389	परि.अता.प्र.सं.15 (क्र.264) दि. 20.08.2001	जल संसाधन विभाग में 31.12.88 के बाद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से राशि वसूली की जाना।	जांच निष्कर्षो के उपरांत वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध मान.न्यायालय में अभियोजन के मामले प्रस्तुत किये गये थे। मान.न्यायालय द्वारा अभियोजन की कार्यवाही निरस्त कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 21-25/2001/पी-2/इकतीस, दिनांक 21.07.2005**	कोई टिप्पणी नहीं
120.	391	ता.प्र.सं.04 (क्र.2074) दि. 28.08.2001	लोकायुक्त प्रकरण क्र. 12/94 में निलंबित यंत्रियों को बहाल एवं विभागीय जांच में दोषमुक्त होने एवं एफ.आईआर. में इनका नाम न होने पर भी प्रकरण लोकायुक्त को सौंपे जाने पर कार्यवाही।	1. गुणदोष के आधार पर इन्हें निलम्बन से बहाल करने का निर्णय लिया जावेगा। 2. यह फाईल विधि विभाग को रिफर हुई है, उनमें अधिनियम आने के बाद कार्यवाही की जायेगी। 3. उनको बहाल किया जाये न किया जाये इसलिये फाईल ला डिपार्टमेन्ट को रेफर हुई है। ला डिपार्टमेंट होकर जी.ए.डी. जांच और जी.ए.डी. के बाद हमारे पास आने पर उस पर जरूर कार्यवाही होगी।	लोकायुक्त प्रकरण क्र. 12/94 में सम्बद्ध रहे श्री शिखरचंद जैन, निलंबित सहायक यंत्री को विचारोपरांत गुणदोष के आधार पर शासन के आदेश क्रमांक 15(बी)02/99/पी-2/31, दिनांक 16.01.02 द्वारा निलंबन से बहाल किया जा चुका है। प्रकरण से सम्बद्ध श्री एम.एल.जैन, सहायक यंत्री, श्री सुबोध चन्द्र जैन, उपयंत्री एवं श्री एस.के.जैन, उपयंत्री को भी निलंबन से शासन के आदेश दिनांक 14.05.2003 को बहाल किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 21-31/2001/पी-2/31, दिनांक 28.07.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।
121.	394	अता.प्र.सं.69 (क्र.2331) दि. 28.08.2001	राजघाट कालोनी दतिया के स्वयं के भवन वाले अधिकारी कर्मचारी से शासकीय आवास के किराये की 45(बी) के तहत वसूली क्षेत्र एवं वसूली में विलंब के दोषियों पर कार्रवाई।	राशि वसूल की जाने की कार्रवाई की जा रही है। वसूली में विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।	श्री आर.डी. नामदेव, अनुरेखक ही एक मात्र ऐसे कर्मचारी है जो नियम 45(बी) की परिधि में आते हैं जिनके पास निजी मकान होते हुये भी, शासकीय भवन में रहते है। अत: इनसे 150/- रूपये की जगह 300/- रूपये की प्रतिमाह वसूली माह 9/01 से की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 27-90/31/सा/01, दिनांक 04.05.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
122.	395	अता.प्र.सं.73 (क्र.2395) दि. 28.08.2001	शिवपुरी बाढ़ नियंत्रण योजना का विस्तार।	माह अगस्त के अंत तक तैयार कर कलेक्टर शिवपुरी को प्रस्तुत कर दी जावेगी।	मुख्य अभियंता, यमुना कछार ग्वालियर ने शिवपुरी बाढ़ नियंत्रण योजना का विस्तार प्रस्ताव कलेक्टर शिवपुरी को प्रेषित कर दिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 15/144/2001मध्यम/ 31/362, दिनांक 06.04.2002**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
123.	396	अता.प्र.सं.108 (क्र.4222) दि. 04.09.2001	बालाघाट जिले के कटंगी तह. में निर्माणाधीन बांध निर्माण कार्यों में डूब में आ रही भूमि एवं वृक्षों का मुआवजा दिया जाना।	भू-अर्जन अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित करने के उपरांत ही मुआवजा भुगतान भू-अर्जन अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।	कुल 35 खातेदार कृषकों में से 32 खातेदार कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। शेष 03 कृषकों के बीच पारिवारिक बटवारा संबंधी प्रकरण न्याया. में प्रचलित है। न्यायालय में वाद प्रचलन होने से उनका पंजीयन नहीं हो सका है। मान. न्याया. के निर्णय उपरांत ही संबंधित कृषकों को भुगतान कराया जाना संभव हो सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक–** **27/52/01/सामान्य/31,** **दिनांक 05.08.2005**	कोई टिप्पणी नहीं
124.	397	ता.प्र.सं.08 (क्र.4439) दि. 06.09.2001	होशंगाबाद जिले के बाढ प्रभावित ग्रामों की नियंत्रक योजना में कान्हाखेडी बाढ नियंत्रण योजना को स्थगित किये जाने संबंधी जांच उक्त मामले में क्षेत्रीय विधायक एवं राजस्व मंत्री श्री रघुवंशी की राय ली जावे।	1. मैं मुख्य अभियंता स्तर पर जांच करवा लूंगा। 2. जरूर कर लेंगे।	मुख्य अभियंता स्तर पर दि. 04.10.01 को की गई जांच अनुसार योजना को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये। कान्हाखेडी गांव की बाढ सुरक्षा की दृष्टि से यह योजना आवश्यक है। क्षेत्रीय विधायक एवं तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री हजारी लाल रघुवंशी की राय प्राप्त करने के लिये मुख्य अभियंता द्वारा पत्र प्रेषित किये गये तथा सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा टीप प्रेषित कर अभिमत मांगा गया है उनका अभिमत है कि नदी से निरंतर कटाव को देखते हुए प्रस्तावित कार्य किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अत: मुख्य अभियंता की जांच एवं मान. क्षेत्रीय विधायक के अभिमत अनुसार कार्यवाही की जाना है दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्यवाही की पूर्ण माना जाना उचित होगा। **विभागीय पत्र क्रमांक-** **15/145/2002/मध्यम/ 273,** **दिनांक 21.05.2004**	कोई टिप्पणी नहीं
125.	398	ता.प्र.सं.16 (क्र.3144) दि. 04.09.2001	विद्युत यांत्रिकी लाइट मशीनरी ट्यूबवेल एवं गेट संभाग ग्वालियर में संलग्न सहायक यंत्री का वर्ष 99 में स्थानांतरित किये जाने के आदेश के परिपालन में कार्य मुक्त किया जाना उनके कार्यकाल की जांच पदस्थापना से अन्यत्र हटाकर की जाना।	1. कार्यवाही करेगें। 2. जैसे मान. सदस्य की अपेक्षा है इस पर आदेश कर देंगे।	श्री आर.के. पुनियानी संलग्न अधिकारी दिनांक 31.03.2002 को सेवानिवृत्त हो चुके है। अत: आश्वासन के परिपालन के संबंध में अब कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21/94/2001/पी-1/इकतीस,** **दिनांक 27.03.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
126.	401	परि.अता.प्र.सं.01 (क्र.534) दि. 11.09.2001	कटनी में अधिकारी/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम का समायोजन।	राशि कोषालय से प्राप्त होते ही समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।	स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम की कुल लंबित राशि रूपये 28,550/- की राशि समायोजित की जा चुकी है। शेष राशि के समायोजन हेतु संबंधित कर्मचारी के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्शाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-75/2001/पी-1/31,** **दिनांक 04.09.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
127.	402	परि.अता.प्र.सं.27 (क्र.3161) दि. 11.09.2001	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम खडेह, तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल के डूब से प्रभावित जमीन का प्रतिकर निर्धारण की कार्रवाई किया जाना।	अस्थाई तौर वह डूब से प्रभावित जमीन का प्रतिकर भुगतान नियमानुसार आवश्यक भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर कर दिया जायेगा।	ग्राम खडेह, तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल के भूमि अवार्ड रकवा 296.319 हेक्टर की राशि रू. 325.56 लाख एवं भवन संख्या 162 की अवार्ड राशि रू. 153.95 लाख कूप संख्या 42 की अवार्ड राशि रू. 20.90 लाख तथा वृक्ष संख्या 3002 की अवार्ड राशि रू. 30.55 लाख का संपूर्ण/अंतिम भुगतान दिनांक 27.09.2010 को किया जा चुका है। अब कोई भुगतान किया जाना शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ27-91/2001/ सा./31,** **दिनांक 01.03.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।
128.	403	अता.प्र.सं.102 (क्र.5224) दि. 11.09.2001	जल संसाधन विभाग के मैदानी क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराया जाना।	नए वाहन उपलब्ध होने पर अधिकारियों को उपलब्ध करा दिये जायेगें।	(1) म.प्र. जल संसाधन विभाग के आदेश क्र. 019/97/म/31, 352 दि. 05.04.02 द्वारा 10 वाहन (2) क्र. 08/15/97/म/31, 528 दि. 02 जुलाई द्वारा-03 वाहन (3) क्र. 08/15/97/म/31, 495 दि. 10.07.02 द्वारा – 06 वाहन (4) क्र. 08/15/97/31, 678 दि. 23.07.02 द्वारा 08 वाहन (5) क्र. 08/15/97/म/31, 34 दि. 13.01.03 एवं क्र. 91/15/97/म/31, 82 दि. 31.01.03 द्वारा 37 वाहन (6) क्र. 08/15/97/म/31/49/32, दि. 13.01.03 द्वारा – 14 वाहन कुल :- 78 अठत्तर वाहन क्रय किये जाकर मैदानी अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराए गए है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21/105/2001/पी/ 31,** **दिनांक 12.06.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।
129.	404	ता.प्र.सं.04 (क्र.5286) दि. 18.09.2001	विभाग में सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापना।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पदस्थापना पर विचार किया जावेगा।	शासनादेश दिनांक 11.02.2002 द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर श्री आर.डी.एकतारे की पदस्थापना की गई थी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ21/02/2004/बी-1/इकतीस,** **दिनांक 13.04.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
130.	405	परि.अता.प्र.सं.23 (क्र.6673) दि. 18.09.2001	भोपाल संभाग में वर्ष 88-89 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण।	197 कार्यभारित स्थापना में रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार नियमितीकरण करना संभव होगा।	रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं तथा सभी तरह की नियुक्तियों पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अतः नियमितीकरण करना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ27-69/2001/31/ सा.,** **दिनांक**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
131.	406	अता.प्र.सं.14 (क्र.3515) दि. 18.09.2001	लहार जिला भिण्ड में मान.मुख्य मंत्री की घोषणानुसार नलकूप खनन का कार्य प्रारंभ।	पर्याप्त आवंटन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारंभ हो सकेगा।	भिण्ड जिले के लहार ब्लाक में 8 सफल शासकीय नलकूप योजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के आदेश दि. 04.04.97 द्वारा रू. 36.00 लाख एवं तकनीकी स्वीकृति दि. 30.05.98 को रू. 37.00 लाख की दी गई। इसी प्रकार भिण्ड जिले की लहार तहसील के रौन ब्लाक में 8 सफल शासकीय नलकूपों की योजना की प्रशा. स्वीकृति आदेश दि. 26.08.97 द्वारा रू. 36.00 लाख एवं तकनीकी स्वीकृति दि. 30.5.98 रू. 37.00 लाख की दी गई। इन नलकूपों में आवंटन उपलब्धि न होने से कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। इन नलकूपों की योजना पर नाबार्ड से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए प्रमुख अभियंता स्तर पर कार्रवाई गतिशील है। योजनाओं के लिए नाबार्ड ऋण सहायता या पर्याप्त आवंटन उपलब्ध होने पर कार्य हो सके। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21/220/02/लसिं/ 31(109),** **दिनांक 12.02.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
132.	411	परि.अता.प्र.सं.57 (क्र.4468) दि. 11.09.2001	सागर जिले में बीना बांध परियोजना की स्वीकृति।	योजना के पूर्ण सर्वेक्षण उपरांत साध्यता के आधार पर निर्माण स्वीकृति शासन स्तर पर दी जा सकेगी।	बीना काम्पलेक्स वृहद परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग वन मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय में लंबित है। केन्द्रीय जल आयोग के 18 संचालनालयों में परियोजना की डीपीआर के परीक्षण की सतत् कार्यवाही की गई है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा चाहे अनुसार पर्यावरण संबंधी अध्ययन, विश्लेषण एवं आंकड़े भारत-सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं। वनभूमि के व्यपवर्तन के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है। परियोजना का कार्य भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्भर होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21(ए)/2/एम.पी.एस./31/ 1362,** **दिनांक 02.07.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
नर्मदा घाटी विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
133.	390	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 27.08.2001	जबलपुर जिले के बरगी स्थित रानी अवंती बाई लोधी सागर बांध की बैरिंग टूटने से मृत उपयंत्री श्री चौहान के परिवार के सदस्य का अनुकंपा नियुक्ति दी जाना, एवं वर्कमैन कम्पनशेसन एक्ट के अंतर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही तथा उक्त घटना में मृत मजदूर के संबंध में श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाना।	1. श्री चौहान साहब की जो डेथ हुई है तो उनके परिवार के एक आदमी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। 2. समुचित कार्यवाही निश्चित रूप से की जायेगी। 3. श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।	1. मृतक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में स्वर्गीय श्री ए.के. चौहान उपयंत्री की पत्नी श्रीमती करूणा चौहान ने अपने पत्र दिनांक 28.11.2011 से अवगत कराया है कि उनके पुत्र श्री अंकुर चौहान ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था किंतु वर्तमान में वे नोएडा में कार्यरत है, अत: उन्हें अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। 2. एक्सग्रेसिया राशि रू. 25,000/- दिनांक 11.08.2001 को, समूह बीमा योजना राशि रू. 1,00,000/- दिनांक 24.09.2001 को, सामान्य भविष्य निधि राशि रू. 4,52,235/- दिनांक 14.01.2002 को, समर्पण अवकाश राशि रू. 31, 595/- दिनांक 29.09.2009 को भुगतान की जा चुकी है। 3. वर्कमैन कंपनशेसन एक्ट के तहत ठेकेदार द्वारा आपसी समझौते के अंतर्गत श्री दिंमाक सिंह श्रमिक की पत्नी एवं मां को क्रमश: रू. 25,000/- एवं रू. 25,000/- कुल रू. 50,000 का भुगतान दिनांक 07.09.2002 को नकद द्वारा कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 81/3124/2011/27-1, दिनांक 06.01.2012**	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
134.	407	परि.अता.प्र.सं.59 (क्र.884) दि. 28.08.2001	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी बडवानी/कसरावद/ अंजड का ए.जी.एम.पी. ग्वालियर द्वारा किये गये आडिट आपत्ति पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	महालेखाकार से निराकरण होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।	1. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, बडवानी, से संबंधित आडिट रिपोर्ट के संबंध में ए.जी.एम.पी. ग्वालियर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 13/316/833 दिनांक 31.03.2005 के द्वारा आडिट अवधि 12/02 से 1/05 तक के परीक्षण के समय तीनों कंडिकाओं के विलोपन की सूचना दी गई है। 2. सहायक भूमि संरक्षण अधिनियम अधिकारी, कसरावद, से संबंधित आडिट रिपोर्ट के संबंध में ए.जी.एन.पी. ग्वालियर के अंकेक्षण अवधि दिनांक 08.01.2007 से 12.01.2007 तक किये गये परीक्षण के समय कंडिका क्रमांक-2 विलोपित की गई है तथा कंडिका क्रमांक-1 पर ए.जी.एम.पी. ग्वालियर स्तर से निराकरण होने के पश्चात कार्यवाही की जावेगी। 3. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, अंजड से संबंधित आडिट रिपोर्ट के संबंध में ए.जी.एम.पी. ग्वालियर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 13/316/833 दिनांक 31.03.2005 के द्वारा आडिट अवधि 12/2002 से 2/2005 तक के परीक्षण के समय कंडिका क्रमांक 1 विलोपित की गई । कंडिका क्रमांक 2 व 3 ए.जी.एम.पी. ग्वालियर स्तर से निराकरण होने के पश्चात कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1-155/01/27-1,** **दिनांक 13.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
135.	408	ता.प्र.सं.03 (क्र.1792) दि. 28.08.2001	सुक्ता वन मण्डल खंडवा में पदस्थ 8-10 साल की अधिक अवधि से पदस्थ रेंजरों को हटाया जाना एवं इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण के तहत किये गये वृक्षारोपण की जांच।	जांच वरिष्ठ अधिकारी से ही कराई जायेगी जहां तक हटाने का प्रश्न है, उनकी भावना का आदर करते हुए उनको भी हटा दिया जायेगा।	उक्त तारांकित प्रश्न क्रमांक 1792 सुक्ता क्षतिपूर्ति वनीकरण वन मण्डल क्षतिपूर्ति वनीकरण वन मण्डल, खंडवा से संबंधित हैं। सुक्ता वन मण्डल, दिनांक 31.03.2002 को बंद हो चुका है। सुक्ता वन मण्डल से प्राप्त अभिलेख अनुसार उक्त प्रश्न के प्रेषित जवाब में निम्नांकित वनक्षेत्रपाल पदस्थ होना बताया गया है :- 1. श्री आर.डी. सिंह, दिनांक 28.02.1996 से 2. श्री सुनील पावरा दिनांक 16.12.1999 से 3. श्री जगदीश जाटव दिनांक 19.05.2000 से सुक्ता वन मण्डल के दिनांक 31.03.2002 से बंद होने पर उक्त वन क्षेत्रपालों को उनके संबंधित पैतृक वन वृत्त हेतु भारमुक्त किया जा चुका है। उक्त प्रश्न में वन मण्डल के अंतर्गत वनक्षेत्रपालों के पास जो वृक्षारोपण क्षेत्रों के जवाब में दर्शाया गया था उनके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच किये जाने के संबंध में कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है चूंकि वन मण्डल बंद हो चुका है एवं संबंधित सभी रोपण क्षेत्र हस्तांतरण हो चुके हैं। अत: इन रोपण क्षेत्रों की अब जांच भी संभव नहीं है। उक्त वृक्षारोपण क्षेत्रों को संबंधित सामान्य वन मण्डल को हस्तांतरण करने के दौरान जो जीवित प्रतिशत अंकित हैं, उसके अनुसार सभी वृक्षारोपण क्षेत्र सफलता की श्रेणी में आते हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-42/01/2001/27-1,** **दिनांक 13.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
136.	412	परि.अता.प्र.सं.29 (क्र.554) दि. 20.08.2001	छतरपुर जिले की तहसील लोंड़ी अंतर्गत प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र चन्दला के परिसर से अतिक्रमण हटाया जाना।	अतिरिक्त कमिश्नर सागर द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में अतिक्रमण प्रमाणित होने पर हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी।	कलेक्टर छतरपुर के पत्र क्र. 1240/भू-अभि./ स.अ.भू.अ/2008, दिनांक 14.08.2008 द्वारा अवगत कराया है कि स्थल पर अब अतिक्रमण नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/252/2001/ सात/शा-2ए,** **दिनांक 25.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
137.	415	अता.प्र.सं.50 (क्र.657) दि. 20.08.2001	रायसेन जिले में सोम डिस्टलरी एवं रोजड़ा चक से डायवर्सन टेक्स की वसूली।	साक्ष्य उपरांत विधिक प्रावधानों के तहत आदेश पारित कर प्रीमियम भू-भाटक निर्धारण किया जाएगा, तत्पश्चात् वसूली कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।	कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि सोम डिस्टलरी एवं रोजडाचक से डायवर्सन टैक्स की वसूली की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 3/ग्रा.भू.प्र.-आश्वासन/2015,** **दिनांक 16.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं
138.	424	अता.प्र.सं.54 (क्र.1717) दि. 28.08.2001	टीकमगढ़ तहसील के जटावा खास के खसरा क्रमांक 640/2 रकबा 0.566 के व्यवस्थापन की जांच एवं अवैध होने पर निरस्त कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	अपील के निराकरण होने पर ही बंटन की वैधानिकता सुनिश्चित हो सकेगी एवं तदनुसार ही कार्यवाही संभव होगी।	न्यायालय नायब तह. समर्रा तहसील टीकमगढ़ के रा.प्र.क्र.58/अ/19/(4) 97-98 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन मुन्ना लाल आर्य नि.टीकमगढ़ के नाम स्वीकृत किया गया था ऐसा कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य न्यायालय को प्राप्त न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थापन अवैध है । विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन खारिज नहीं हुआ है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-20/280/2001/ सात/शा2ए,** **दिनांक 07.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
139.	425	अता.प्र.सं.60 (क्र.1804) दि. 28.08.2001	बालाघाट शहर में अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही।	वर्षा ऋतु के पश्चात् हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी।	वर्षा ऋतु के समाप्ति पश्चात् अतिक्रमण हटा दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-163/2009/ सात/2ए,** **दिनांक 02.07.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
140.	430	अता.प्र.सं.102 (क्र.6742) दि.	जबलपुर जिला से बंदोबस्त को रिकार्ड नवगठित जिला कटनी में भेजा जाना।	शेष अभिलेखों की सूची तैयार की जा रही है । सूचियां तैयार होते ही शेष अभिलेख कटनी भेज दिया जायेगा।	कलेक्टर, जबलपुर ने पत्र दिनांक 31.12.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 26.10.2005 द्वारा शेष अभिलेख नवगठित जिला कटनी को भेजा जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-7/सा.वि./2015/5237,** **दिनांक 14.09.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
141.	434	ता.प्र.सं.03 (क्र.4715) दि. 11.09.2001	थाना लांजी जिला बालाघाट के अंतर्गत फर्जी जाति प्रमाण पत्र के तहत् नियुक्ति।	मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका चालाना पुटअप कराया जायेगा।	अध्यक्ष, प्रगतिशील उ.मा.वि. साडरा के आदेश दिनांक 26.02.2000 द्वारा श्री उमेश कुमार वर्मा की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, एवं पुलिस अधीक्षक बालाघाट के पत्र दिनांक 11.02.2005 के अनुसार अपराध दर्ज होने के उपरांत आरोपों के आधार पर विवेचना की गई। पुलिस अधीक्षक, बालाघाट के पत्र दिनांक 06.08.11 द्वारा जानकारी दी गई है कि प्रकरण में संदेहियों के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलने से प्रकरण में खात्मा क्रमांक 3/2006 दिनांक 23.02.2006 को चाक किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **7/8/2001,** **दिनांक 07.08.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
142.	435	परि.अता.प्र.सं.36 (क्र.3742) दि. 11.09.2001	दो आब नहर निर्माण के लिये डबरा अनुभाग में स्थित ग्राम केरूआ के कृषकों की अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजा की भुगतान।	अवार्ड पारित होने के उपरांत ही मुआवजे का भुगतान किया जा सकेगा।	अधिग्रहित भूमि का अवार्ड दि. 14.02.2002 को रूपये 39,27,749.00 का पारित किया जाकर रू. 36,49,858.00 की राशि संबंधित हितग्राहियों को भुगतान की जा चुकी है। शेष राशि रू. 77,891.00 पक्षकारों के बीच हिस्से का विवाद होने के कारण भुगतान नहीं हो सकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 6-1/2004/सात-7,** **दिनांक 13.07.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.16441/वि.स./आश्वा./2009, दिनांक 28.08.2009 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***दो आब नहर निर्माण के लिये डबरा ग्राम केरूआ के कृषकों को भूमि के मुआवजा के शेष भुगतान की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	हालांकि समिति को अद्यतन जानकारी नहीं मिली है, फिर भी समिति यह अपेक्षा करती है कि मुआवजा भुगतान पूर्ण हो चुका होगा। अत: कोई अग्रेतर टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
143.	436	अता.प्र.सं.01 (क्र.419) दि. 01.09.2001	होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर में 1995 में लीज समाप्त पट्टों में से शेष स्थाई पट्टों का नवीनीकरण।	नवीनीकरण की कार्यवाही की जा रही है।	नजूल शहर इटारसी से दिनांक 31.03.95 को कुल 1031 स्थाई नजूल पट्टों को लीज समाप्त हुई थी। जुलाई, 2001 तक कुल 77 स्थाई लीज पट्टों का नवीनीकरण किया गया था। अगस्त, 2001 को शेष 954 लंबित प्रकरणों में से 5(पांच) स्थायी लीज पट्टों का नवीनीकरण किया गया। इस प्रकार कुल 82 प्रकरणों का अब तक नवीनीकरण किया जा चुका है। शेष 949 प्रकरणों का नवीनीकरण किया जाना है जिनमें से 363 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें संबंधित पक्षकारों के नाम भूमि से जो उन्हें स्थाई पट्टे पर प्राप्त हुई थी, पर पट्टाधारियों के समय पर बारसानी के नाम दर्ज नहीं होने, मूल पट्टा समय पर प्रस्तुत नहीं करने एवं समय-समय पर आहूत किये जाने के बावजूद भी प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण नस्तीबद्ध कर दिये गये है। जब उनके द्वारा वांछित त्रुटि पूर्ण की जाकर पुन: आवेदन प्रस्तुत किये जावेगें तभी उनके पट्टे नवीनीकरण की कार्यवाही की जाना संभव होगा। 586 प्रकरणों में से 390 प्रकरण में नजूल अधिकारी के स्तर से नवीनीकरण की आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करा ली गई है तथा अंतिम आदेश पारित किया जाना शेष है किंतु जिले में अपर कलेक्टर का पद माह मई, 2001 से रिक्त होने के कारण स्थाई लीज नवीनीकरण के प्रकरणों की प्रगति प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त 196 प्रकरणों में नजूल अधिकारी स्तर पर नवीनीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त प्रकरणों में नवीनीकरण की कार्यवाही त्वरित गति से कराई जाकर स्थाई लीज प्रकरणों का नवीनीकरण शीघ्र किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-21-112/2001/ सात/नजूल,** **दिनांक 03.04.2002** समिति द्वारा इस सचिवालय के पत्र क्र. 16441/वि.स./ आश्वा./2009, दि.28.08.2009 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर के शेष स्थाई पट्टों का नवीनीकरण की अद्यतन स्थिति।*** कार्यालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद के पत्र क्र. 1374/ प्र.अ.कले./वि.स./आश्वा./15, दिनांक 16.11.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर में 1995 में लीज समाप्त पट्टों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 4-40/वि.स.आ./प्र.रा.आ./2015/7056** **दिनांक 26.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
144.	440	अता.प्र.सं.76 (क्र.4931) दि. 11.09.2001	सिवनी एवं जबलपुर के नगरीय निकायों के फायर ब्रिगेड के लंबित बिलों का भुगतान।	सिवनी एवं जबलपुर के नगरीय निकायों के लंबित देयकों के परीक्षणोपरांत भुगतान किया जावेगा।	सिवनी जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सिवनी के फायर ब्रिगेड के प्राप्त समस्त देयकों की राशि रूपये 1,11,044.00 का भुगतान दिनांक 01.05.2002 को नगर पालिका परिषद सिवनी को कर दिया गया है। कलेक्टर जबलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुक्त नगर निगम जबलपुर से फायर ब्रिगेड के देयक राशि रूपये 8,70,635/- का भुगतान हेतु प्राप्त हुए थे, जिसमें से रूपये 841830/- की राशि भुगतान की जा चुकी है। रूपये 28805/- के देयक तहसीलदारों द्वारा अप्रामाणित एवं फर्जी बताये जाने के कारण वापिस किये गये हैं। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद सीहोरा से प्राप्त राशि रूपये 220830/- के फायर ब्रिगेड के देयक भुगतान हेतु प्राप्त हुए थे, इसका भी भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका परिषद सीहोरा को किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 3-29/2001/सात-(समन्वय),** **दिनांक 06.10.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।
145.	441	ता.प्र.सं.98 (क्र.5219) दि. 11.09.2001	दतिया राजघाट परियोजना के नहरों के निर्माण कार्य के लिये किसानों के अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा देने के कारण।	प्रकरण में अवार्ड पारित होने के बाद प्रभावित कृषकों के शेष मुआवजा राशि विधि अनुसा प्रदान कर दी जावेगी।	650 प्रकरणों में अवार्ड पश्चात सभी में चैक वितरण किए गए हैं, केवल 563 चैक कृषकों के स्वत्व एवं अन्य कारणों से शेष हैं जिनमें भुगतान की कार्यवाही जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-225/2010/ सात/2ए,** **दिनांक 24.02.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.12204/वि.स./आश्वा./2011, दि.28.05.2011 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***विभाग द्वारा 421 चेक कृषकों को भुगतान हेतु कब-कब पत्राचार किया गया एवं वर्तमान में भुगतान की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि शेष मामलों में भुगतान की कार्यवाही समय-सीमा के भीतर कर दी जाएगी।
146.	442	ता.प्र.सं.11 (क्र.3377) दि. 04.09.2001	भिण्ड जिले की अटेर तहसील के ग्राम निवारी एवं खरका अटेर तहसील में भूमिहीन लोगों को पट्टे देने संबंधी विवाद में अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में निलंबन की कार्यवाही।	ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से निलंबित किया जायेगा जो भी होगी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।	कलेक्टर भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अटेर तहसील के ग्राम निवारी एवं खरका में भूमिहीन लोगों को पट्टे देने संबंधी विवाद में कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस अटेर में दर्ज प्रकरण में अभियुक्त होने से श्री हाकिम सिंह गौड़ सहायक ग्रेड-3 तत्कालीन रीडर एवं हैड कापिस्ट तहसील अटेर तथा पटवारी श्री नाथूराम श्रीवास्तव को निलंबित किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-32/2001/ सात-2ए,** **दिनांक 29.04.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
147.	444	परि.अता.प्र.सं.08 (क्र.396) दि. 04.09.2001	होशंगाबाद जिले के तवा बांध, प्रूफरेंज एवं आयुध निर्माणी के विस्थापितों को भूमि आवंटन।	पात्र आवेदनकर्ताओं को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के तहत भूमि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।	कलेक्टर, होशंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र आवेदनकर्ताओं में से दो व्यक्तियों को पूर्व में भूमि का आवंटन कर दिया गया है एवं शेष 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को भी भूमि का बंटन कर दिया गया है, एक व्यक्ति जो कि ग्राम सेमरी तहसील बुधनी जिला सीहोर में निवास करता है, से भूमि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत न करने से आवेदन पत्र नस्तीबद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-262/2001/ सात-2ए,** **दिनांक 25.06.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
148.	447	परि.अता.प्र.सं.90 (क्र.4147) दि. 04.09.2001	शिवपुरी नगर के मनियर तालाब की डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अधिग्रहण एवं भू-अर्जन की कार्यवाही।	चालू वित्तीय वर्ष में अधिग्रहण के लिये मुआवजा राशि का वित्तीय प्रावधान कराया जा रहा है।	राजस्व विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 1-15/2000/ सात/शा.5(6) दि.27.10.01 द्वारा कलेक्टर शिवपुरी को रू. 09.00 के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 17-17/2001/सात/ शा.5,** **दिनांक 07.01.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
149.	448	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र.927) दि. 04.09.2001	जिला सीधी के बैढन न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाना।	हस्तांतरण की सहमति कृषि विभाग से प्राप्त होने पर भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी।	कृषि विभाग ने सहमति नहीं दी है। अत: भूमि आवंटन नहीं किया जा सका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-125/01/सात/ नजूल,** **दिनांक 03.01.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
150.	451	मुख्यमंत्री प्रश्नकाल दि.10.09.2001	उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में लगी हुई शिक्षा विभाग की जमीन का अधिग्रहण किया जाना	परीक्षण कराकर उसका अधिग्रहण करने का प्रयास करेंगे।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
151.	540	ता.प्र.सं.23 (क्र.876) दि. 20.08.2001	जिला भोपाल ग्राम थुवाखेड़ा की खसरा नं. 78 की शासकीय भूमि से पट्टा आवंटन में अनियमितता की जांच एवं भूमि को शासन के पक्ष में किये जाने की कार्यवाही।	इन सभी हितग्राहियों के प्रकरणों को स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जायेगी।	इन सभी हितग्राहियों के प्रकरणों की जांच कराई गई है। स्वमेव निगरानी में लेकर शिकायत निराधार होने से निरस्त की गई है। सभी पट्टेधारियों को भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय दर्ज किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 4-13/वि.स.आ./नजूल/प्र.रा.आ./2015/6064,** **दिनांक 12.10.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
152.	456	ता.प्र.सं.15 (क्र.1352) दि. 31.08.2001	बरकतउल्ला वि.वि. में जनवरी 99 के सेवा निवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी के पेंशन प्रकरण का निराकरण न होने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	विलंब के संबंध में नियमानुसार परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी।	बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल द्वारा 01.01.99 से 31.07.2001 तक कुल 12 अधिकारी/ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये। उक्त अधिकारी/ कर्मचारी में से 12 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण का निराकरण 2001 में ही किया जा चुका है। शेष 02 कर्मचारियों में से एक श्री आर.पी. यादव का दिनांक 07.06.05 को पी.पी.ओ, जी.पी.ओ. जारी हो चुका हैं एवं दूसरे प्रकरण में डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त आचार्य के पेंशन का निराकरण उनके स्वयं के द्वारा विलंब से अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण पेंशन निर्धारण में विलंब हुआ। श्री श्रीवास्तव के सभी अभिलेख पेंशन प्रकोष्ठ में प्राप्त हो जाने से उनका पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. दिनांक 21.06.05 को जारी कर दिया गया है। उक्तावधि का वर्तमान में कोई पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है न ही विलंब के लिये कोई दोषी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-74/2001/3/ 38,** **दिनांक 24.06.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
153.	458	परि.अता.प्र.सं.91 (क्र.3126) दि. 31.08.2001	विदिशा नगर स्थित अशा. अनुदान प्राप्त एस.एस.एल. जैन महाविद्यालय में व्यापक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर कार्यवाही।	नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	मा.उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर के याचिका क्र. 1102/2001/एस.एस.एल. जैन महाविद्यालय विदिशा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दि. 26.03.06 के परिपालन में म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 695/ 1221/2006/38/सी-3, दिनांक 12.06.06 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके है। 2. उक्त महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के लिये दोषियों के विरूद्ध म.प्र. में जांच कराई गई। जांच अधिकारी के मतानुसार कोई भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नहीं पाई जाती है। भ्रष्टाचार एवं अनियमितता हेतु कोई दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-2/04/38-3,** **दिनांक 31.01.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
154.	461	परि.अता.प्र.सं.12 (क्र.3506) दि. 14.09.2001	शास.महावि.आलमपुर जिला भिण्ड के भवन निर्माण में अमानक स्तर की कार्य की जांच एवं कार्यवाही।	जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार आगे कार्यवाही की जावेगी।	शास.महा.वि. आलमपुर के भवन निर्माण कार्य का मूल्यांकन एवं जांच मुख्य तकनीकी परीक्षक से कराई गई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित प्राचार्य से प्राप्त अभ्यावेदन एवं प्राचार्य से प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर पर विचार करते हुए उनका उत्तर समाधान कारक मानते हुए निर्णय लिया गया है कि संबंधित प्राचार्य प्रकरण में दोषी नहीं हैं तथा उनके विरूद्ध किसी कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। अत: राज्य शासन द्वारा संबंधित प्राचार्य पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-120/2001/2-38,** **दिनांक 07.12.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
155.	464	अता.प्र.सं.56 (क्र.5312) दि. 14.09.2001	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के शेष 4 छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान।	भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा दिनांक 11.09.2001 का चारों छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ/30/12/2004/3/ 38,** **दिनांक 01.11.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
156.	465	अता.प्र.सं.93 (क्र.6024) दि. 14.09.2001	स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्राचार्यों व स्नातक प्राचार्यों के रिक्त पदों की प्रति।	स्नातकोत्तर प्राचार्य हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद स्नातक प्राचार्य हेतु भी कार्यवाही की जावेगी।	दिनांक 28.06.03 एवं 26.11.04 द्वारा स्नातकोत्तर प्राचार्यों के पदों की पूर्ति की गई है। आरक्षित प्राचार्य पदों को नहीं भरा जा सका है क्योंकि फीडिंग काडर में व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-60/2000/1/ अड़तीस,** **दिनांक 13.12.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
157.	466	ता.प्र.सं.07 (क्र.6913) दि. 21.09.2001	केरियर कॉलेज भोपाल के वर्ष 93-94, 94-95 एवं 95-96 पत्र में बी.एड. छात्रों से डोनेशन लेने तथा दूसरे प्रान्तों के छात्रों की परीक्षा में सम्मिलित किये जाने की जांच।	परीक्षण करा लेगें।	उक्त वर्षों में महाविद्यालय द्वारा बी.एड. में प्रवेश म.प्र. राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल से प्राप्त सूची के अनुसार दिये गये हैं। महाविद्यालय म.प्र. निवासी मूल प्रमाण के आधार पर प्रवेश देता है। तदनुसार वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित कराता है। प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का डोनेशन/अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ30/22/2004/3/ 38,** **दिनांक 02.02.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
158.	467	परि.अता.प्र.सं.69 (क्र.6925) दि. 21.09.2001	वाहन क्र. सी.पी.जेड-8060 की मरम्मत हेतु वित्तीय सीमा से अधिक का मरम्मत कार्य प्रस्तावित करने वाले दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाना।	प्रकरण से संबंधित जांच की जा रही है जांचोपरांत गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच कराई गई। जांचोपरांत शिकायत निराधार पाई जाने के कारण नस्तीबद्ध की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-13-143/2001/2-अड़तीस,** **दिनांक 08.04.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
159.	469	अता.प्र.सं.05 (क्र.3522) दि. 21.09.2001	भिण्ड जिले के लहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरा जाना।	शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों को अंशकालीन संविदा नियुक्ति से यथाशीघ्र पूर्ति की जावेगी। पदोन्नति से भरे जाने वाले प्राध्यापकों एवं अन्य तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा यथाशीघ्र की जावेगी।	माननीय राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्र. 3868/2001 श्री संजय कुमार दुबे एवं अन्य में पारित किये गये निर्णय आदेश दि. 20.11.2001 के पालन में 3 वर्ष की संविदा नियुक्ति एवं 59 दिवस की अंशकालीन नियुक्ति की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। इसी प्रकार माननीय राज्य प्रशासनिक अधिकरण, द्वारा याचिका क्र.ओ.ए. 606/97, 717/97, 85/99, 936/99 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 17.07.2002 के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. सी/3-29/2000/3/एक, दिनांक 08.12.2000 के अनुसार पदोन्नति संबंधी कार्यवाही स्थगित रखी गई है। उच्च शिक्षा विभाग स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ30-51/2001/38-1,** **दिनांक 06.05.2002**	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
160.	473	ता.प्र.सं.24 (क्र.1619) दि. 23.08.2001	बरघाट नगर पंचायत जिला सिवनी द्वारा बस स्टेण्ड में निर्मित शौचालय को तोडकर दुकानों का निर्माण कराने वाले दोषि अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा सुलभ शौचालय का पुन: निर्माण।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच उप संचालक म.प्र. एवं विकास जबलपुर से कराई गई । जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री अनिल सिंह ठाकुर, अध्यक्ष न.पं. बरघाट, श्री जोगेलाल नामदेव, प्रभारी मु.न.पा. अधि. (रा.निरी) न.पं.बरघाट तथा श्री विजय जैन उपयंत्री नं.पं. बरघाट उत्तरदायी पाए गए है उनके विरूद्ध आरोप पत्र आदि जारी किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है । **विभागीय पत्र क्रमांक – 511/2235/18-2/ 2001, दिनांक 15.07.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.2406/वि.स./आश्वा./2009, दि.26.02.2009 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई है :- ***बरघाट नगर पंचायत जिला सिवनी द्वारा बस स्टैण्ड में निर्मित शौचालय को तोड़कर दुकानों का निर्माण कराने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा शुलभ शैचालय पुन: निर्माण की अद्यतन स्थिति ।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है ।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
161.	475	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.411) दि. 23.08.2001	नगर पालिका इटारसी के संबंध में माननीय सदस्य डॉ.सीतासरन शर्मा द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2001 को जिला अध्यक्ष होशंगाबाद को की गई जांच के संबंध में ।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।	प्राप्त शिकायत के अनुसार जांच उपरांत पाया गया कि आवंटितों के द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने एवं दुकानों के नवीनीकरण न होने से दुकानों का आवंटन तत्कालीन अध्यक्ष श्री सोनी द्वारा 18.11.05 को निरस्त किया जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक –1939/2008/18-1, दिनांक 30.04.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
162.	478	अता.प्र.सं.26 (क्र.710) दि. 23.08.2001	जिला बैतूल की नगर पालिका आमला द्वारा जनवरी 2000 में क्रय किये गये जी.आई.पाईप की गुणवत्ता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।	प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से जांच करायी गई । जिला शहरी विकास अभिकरण बैतूल के पत्र क्रमांक 163 दिनांक 25.02.2002 द्वारा प्रतिवेदन संचालनालय को प्राप्त हुआ । जिसमें जी.आई. पाईप की गुणवत्ता की जांच उचित पायी गई । **विभागीय पत्र क्रमांक – 2203/2379/2011/ 18-2, दिनांक 30.06.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
163.	479	अता.प्र.सं.37 (क्र.867) दि. 23.08.2001	शहडोल जिले की कोतमा नगर पालिका में पार्षद वार्ड क्र. 2 से पार्षद के विरूद्ध शासकीय राशि के दुरूपयोग तथा धोखाधड़ी की कलेक्टर शहडोल को जून 2001 में की गई शिकायत की जांच तथा कार्यवाही।	प्रकरण की जांच करायी जा रही है, निष्कर्ष उपरांत कार्यवाही की जावेगी।	कलेक्टर, शहडोल द्वारा कोतमा नगर पालिका में पार्षद वार्ड क्र. 2 से पार्षद के विरूद्ध शासकीय राशि के दुरूपयोग तथा धोखाधड़ी की की गई शिकायत दिनांक 29.06.2001 की जांच करायी गई। जांच में तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राजमणि गर्ग मूलपद राजस्व उप निरीक्षक वर्तमान पदस्थापना नगर पालिका कोतमा को शासनादेश के अनुरूप गरीबी रेखा की सूची तैयार करने में लापरवाही बरतने अपात्र व्यक्ति पार्षद पति राकेश जैन को स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण स्वीकृत कराकर लाभ पहुंचाने के आरोप में आदेश क्र. जि.श.वि.अ./ स्था./2001/608 शहडोल दिनांक 29.11.2001 तहत आरोप पत्र जारी किया गया। तत्कालीन पार्षद श्रीमती विमला जैन को पार्षद पद के अयोग्य करार दिया तथा पार्षद एवं पार्षद पति के अनुक्रम में तत्कालीन परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण शहडोल द्वारा दिनांक 16.02.2002 को थाना कोतमा में एफ.आई.आर दर्ज करायी गयी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3720/3262/2011/ 18-1,** **दिनांक 09.11.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचि. के पत्र दिनांक 18.01.2012 से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राजमणि गर्ग को आरोप पत्र दिये जाने के पश्चात की गई कार्यवाही तथा प्रकरण में हो रहे विलंब के कारणों पर टीप भेजे। 16.02.2002 को दर्ज एफ.आई.आर. मामले की प्रगति की प्रति भेजें।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
164.	480	अता.प्र.सं.66 (क्र.1618) दि. 23.08.2001	न.पं. बरघाट जिला सिवनी द्वारा वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 बिना प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के कार्य कराने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच पूर्ण होने पर ही अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण में कराई गई जांच में श्री विनय कुमार जैन, तत्कालीन उपयंत्री, नगर परिषद बरघाट दोषी पाए गए। अत: नगर परिषद बरघाट की पी.आई.सी. द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में श्री जैन से निकाय को हुई क्षति की राशि रू. 37,861/- की वसूली करने तथा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई। उपरोक्त क्रम में राशि रू. 37,861/- दो किश्तों में जमा करा ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **359/1958/2013/18-1,** **दिनांक 07.03.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
165.	482	ता.प्र.सं.04 (क्र.2489) दि. 30.08.2001	न.प. इच्छावर के वार्ड क्रमांक 12 के स्ट्रीट लाईटों को सुधारा जाना एवं फायर बिग्रेड की व्यवस्था तथा 01.08.2000 से 06.08.2001 तक आवंटित राशि से किये गये कार्यों में अनियमितता की वरिष्ठ अधिकारी से जांच ।	1. निश्चित रूप से अतिशीघ्र ही वार्ड नंबर 12 में बिजली की व्यवस्था की जायेगी । 2. फायर बिग्रेड भी आपको जल्दी से दी जायेगी । 3. मैं इस पूरे प्रकरण की जांच अपने वरिष्ठ अधिकारी से करा लूंगा ।	1. निकाय द्वारा बिजली की व्यवस्था यथापूर्व कराई जा चुकी है। 2. वित्त आयोग अनुशंसित अनुदान की राशि से निकाय स्तर पर फायर वाहन की व्यवस्था की जा चुकी है । 3. उप संचालक भोपाल संभाग से जांच करा ली गई है। प्राप्त प्रकरण का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1725/1459/2013/ 18-2,** **दिनांक 03.06.2013** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.15908/वि.स./आश्वा./2013, दि.19.07.2013 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***नगर परिषद इछावर के वार्ड क्रमांक 12 हेतु आवंटित राशि से किये गये कार्यों में अनियमितता किये जाने की जांच प्रतिवेदन पर की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति ।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है ।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
166.	485	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.2887) दि. 30.08.2001	इंदौर में बान्ड योजना के तहत सड़क निर्माण को पूर्ण किया जाना है ।	1. सारे पोल हटाने के बाद सड़क का निर्माण कार्य चालू होगा । 2. बांड सड़क का निर्माण अतिशीघ्र चालू कर दिया जाएगा। 3. अतिशीघ्र ये इलेक्ट्रीकल पोल हट जायेंगे उसके बाद निर्माण कार्य चालू होगा।	बांड योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य से बाधक सारे विद्युत पोलो को हटाकर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष 2005-06 में सड़क आम जनता के आवागमन हेतु खोल दी गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2638/2510/2011/ 18-2,** **दिनांक 25.10.2011**	कोई टिप्पणी नहीं ।
167.	487	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.69) दि. 30.08.2001	नगर पालिका आष्टा में फिटकरी खरीदी में हुई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही ।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।	विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-20/2002/18-1, दिनांक 20.08.2002 एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्रमांक 1/2-19/02/8/1435, दिनांक 28.01.2002 के द्वारा संबंधितो को आरोप पत्र जारी कर दिए गए है । संबंधितों को आरोप पत्र जारी हो चुके है । कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1130/1959/2013/18-1,** **दिनांक 12.06.2013** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचि. के पत्र दिनांक 19.07.2013 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***नगर पालिका आष्टा में फिटकरी खरीदी में अनियमितता के दोषियों को आरोप पत्र दिये जाने के पश्चात एवं जांच एवं कार्यवाही की अद्यतन स्थिति तथा 12 वर्ष तक प्रकरण का निराकरण न करने के दोषियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से समिति अवगत होना चाहेगी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है ।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
168.	488	परि.अता.प्र.सं.34 (क्र.1892) दि. 30.08.2001	नगर निगम बुरहानपुर को पेयजल हेतु प्राप्त राशि स्वीकृति से निर्माण तक हुयी अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	जांच निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही।	प्रकरण में नगर निगम बुरहानपुर में विद्युत देयकों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। स्वीकृत राशि में से 2.24 लाख निगम द्वारा संबंधित मद में जमा कर दी गई है। शेष राशि रू. 10.00 लाख टंकी के निर्माण का कार्य प्रारंभ होने पर निगम की निधि से भुगतान किया जाएगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1935/2008/18-1,** **दिनांक 30.04.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
169.	491	परि.अता.प्र.सं.48 (क्र.2542) दि. 30.08.2001	मुख्य नगर पालिका अधिकारी सबलगढ़ को उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा कर्मचारियों को नियमितीकरण के संबंध में दिए गए आदेश पर कार्यवाही।	परीक्षणोपरांत अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही की जावेगी।	न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3075/2532/2010/ 18-3,** **दिनांक 08.10.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
170.	502	परि.अता.प्र.सं.26 (क्र.2787) दि. 06.09.2001	नगर पंचायत विजयपुर में धनराशि का मद परिवर्तन कर प्राक्कलन से अधिक व्यय कर वित्तीय अनियमितताएं करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	दोषी अध्यक्ष एवं मु.न.पा. आरोपियों के विरूद्ध जांच कराई जाकर अध्यक्ष को शासन आदेश क्रं. एफ-4/195/18-3/2001 दिनांक 21.01.02 को कारण बताओं नोटिस और मुनपा.अ.गण को क्रं. एफ-4-2/2002/18-1 दि. 04.02.02 से आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके है। नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3474/3243/18-2/ 2002,** **दिनांक 17.12.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.2406/वि.स./आश्वा./2009, दि.26.02.2009 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***नगर पंचायत विजयपुर में धन राशि का मद परिवर्तन कर प्राक्कलन से अधिक व्यय कर वित्तीय अनियमितताएं करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
171.	505	परि.अता.प्र.सं. (क्र.4490) दि. 06.09.2015	बालाघाट नगर पालिका परिषद में ब्लीचिंग पाउडर खरीदी की जांच एवं बिना सत्यापन किए भुगतान में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच कराई गई। प्रकरण में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष और प्रभारी अध्यक्ष दोषी पाए गए हैं। अध्यक्ष के विरूद्ध अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही चल रही है। प्रकरण में प्रभारी अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्रमश: कारण बताओ सूचना पत्र और आरोप पत्र जारी किए गए है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण किसी कार्यवाही आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6182/2008/18-1,** **दिनांक 17.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.2406/वि.स./आश्वा./2009, दि.26.02.2009 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***बालाघाट नगर पालिका परिषद में ब्लीचिंग पाउडर खरीदी की जांच एवं सामग्री के स्टॉल रजिस्टर बिल में बिना सत्यापन किये भुगतान में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
172.	507	अता.प्र.सं.05 (क्र.938) दि. 06.09.2001	सीधी जिले के सिंगरौली नगर पालिक निगम के महापौर द्वारा दुकान/भूमि को वर्ष 2001 में 10 से 20 रू. प्रति वर्ग फुट विक्रय का प्रस्ताव पारित कर निगम की करोड़ों रू. की क्षति पहुंचाने पर कार्यवाही।	प्रकरण की जांच आयुक्त नगरीय प्रशासन द्वारा की जा रही है। जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	उक्त प्रश्न नगर पालिक निगम सिंगरौली के परिषद की बैठक दिनांक 24.06.2001 में लिये गये निर्णय के संबंध में था, जिसे म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-08-61/01/18-3 दिनांक 27.09.2001 द्वारा दिनांक 24.06.01 को आयोजित बैठक और उसमें की गई समस्त कार्यवाही के निष्पादन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। परिषद की बैठक दिनांक 24.06.01 को शासन द्वारा स्थगित कर देने से उक्त बैठक में लिये गये निर्णय पर कोई कार्यवाही संपादित नहीं की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **907/610/12/18-2,** **दिनांक 13.03.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
173.	508	अता.प्र.सं.19 (क्र.2623) दि.06.09.2001	नगर निगम सतना अंतर्गत जगदीश चन्द्र जोशी कालोनाईजर द्वारा गंगा भवानी नगर कॉलोनी में विकास कार्य को पूर्ण नहीं करने पर उक्त कार्य नगर निगम द्वारा स्वयं कराने पर संबंधित व्यक्ति एवं संस्था से राशि वसूली की कार्यवाही।	शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जावेगी।	नगर निगम सतना द्वारा गठित की गई तकनीकी प्रकोष्ठ की जांच समिति द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया गया कि निगम द्वारा कालोनाईजर श्री जगदीश चन्द्र जोशी की वसूली नोटिस क्रमांक 217, दिनांक 22.06.95 रू.35.00 लाख नियमानुकूल न होने के कारण निरस्त की जा रही है। अत: अब निगम द्वारा श्री जोशी कालोनाईजर के विरूद्ध आगे कोई कार्रवाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। 1. गंगा भवानी नगर में कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसका पत्र तत्कालीन आयुक्त ने क्रमांक 149, दिनांक 09.05.94 को जारी किया था। 2. उक्त कॉलोनी में कोई विकास कार्य कराया जाना शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2717/2587/2011/18-2,** **दिनांक 04.11.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 892/वि.स./आश्वा./2012, दि.18.01.2012 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***1. कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य पूर्ण न कराने पर नगर निगम, सतना द्वारा विकास कार्य कराए जाने की जानकारी सदन में दी गई थी, इस जानकारी की सत्यता की पुष्टि करें।*** ***2. यदि नगर निगम ने स्वयं शेष विकास कार्य कराए हैं तो किस आधार पर जांच प्रतिवेदन को मान्य किया गया।*** ***3. क्या शासन ने इस विकास कार्य संबंधी नस्ती एवं समस्त कागजातों का परीक्षण कर यह मान लिया है कि नगर निगम सतना द्वारा की गई कार्यवाही सही एवं वैधानिक है।*** ***4. कालोनाईजर श्री जगदीश जोशी को प्रेषित वसूली नोटिस क्र. 217, दि.22.06.95 की प्रति एवं अधिवक्ता डी.पी.सिंह के अभिमत की प्रति प्रस्तुत करें।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
174.	515	परि.अता.प्र.सं.36 (क्र.4554) दि. 13.09.2001	नगर पालिका परिषद सीहोर में कर्मचारियों की पांचवे वेतन आयोग की वेतन एरियर की राशि खाते में (जी.पी.एफ.) में जमा की जाना।	नगर पालिका सीहोर की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर ही एरियर्स की राशि संबंधितों के खाते में जमा कराई जावेगी।	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका सीहोर द्वारा पत्र क्रमांक 544 दिनांक 07.02.2013 से अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद सीहोर में पदस्थ समस्त कर्मचारियों को पांचवे वेतनमान अंतर्गत एरियर राशि तत्समय निकाय की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से उनके खाते में जमा नहीं की गई जो अब निकाय द्वारा समस्त कर्मचारियों को पांचवे वेतनमान के ऐरियर राशि नगदी में भुगतान की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1051/2013/18-1,** **दिनांक 03.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
175.	516	परि.अता.प्र.सं.60 (क्र.5240) दि. 13.09.2001	सतना जिले की नगर पंचायत उचेहरा के सीएमओ द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरूद्ध जिलाध्यक्ष सतना को की गई शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।	जांच में दोषी पाये गये श्री बी.एस. चौहान, तत्का. सी.एम.ओ. तथा श्री अजय सिंह तत्का. सी.एम.ओ. नगर पंचायत उचेहरा जिला सतना के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस दि. 20.09.04 को जारी किये गये। संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11/162/18-1/2001,** **दिनांक 11.07.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.2406/वि.स./आश्वा./2009, दि.26.02.2009 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***सतना जिले की नगर पंचायत उचेहरा के सी.एम.ओ. द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरूद्ध जिलाध्यक्ष सतना को की गई शिकायतों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
176.	517	परि.अता.प्र.सं.72 (क्र.5394) दि. 13.09.2001	सबलगढ़ की नगर पंचायत झुण्डपुरा के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष व सी.एम.ओ. के द्वारा की गई अनियमितताओं के विरूद्ध कलेक्टर मुरैना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	जांच में दोषी पाये गये उपयंत्री, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष को आरोप पत्र दिए जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2241/18-2/2001,** **दिनांक 15.07.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.2406/वि.स./आश्वा./2009, दि.26.02.2009 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***सबलगढ़ की नगर पंचायत झण्डपुरा के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष व सी.एम.ओ. के द्वारा की गई अनियमितताओं के विरूद्ध कलेक्टर, मुरैना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
177.	522	अता.प्र.सं.58 (क्र.5333) दि. 13.09.2001	बैतूल जिले की नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2000-01 में पशु बाजार नीलामी में हुई अनियमितता के संबंध में कलेक्टर बैतूल को की गई शिकायत की जांच।	जांच एक माह में पूर्ण की जाएगी।	उप संचालक भोपाल को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियात्मक कार्यवाही की जाएगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –6187/2008/18-1,** **दिनांक 25.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.2406/वि.स./आश्वा./2009, दि.26.02.2009 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई है :- ***बैतूल जिले की नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2000-2001 में पशु बाजार नीलामी में हुई अनियमितता के संबंध में कलेक्टर बैतूल को की गई शिकायत की जांच की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
178.	526	ता.प्र.सं.10 (क्र.6068) दि. 28.09.2001	नगर निगम, भोपाल में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारी को सेवा-पुस्तिका में जन्म तिथि में की गई कॉट-छॉट की शिकायत परीक्षणोपरांत कार्रवाई तथा 05.10.2000 को प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए जांच के निर्देश पर कार्रवाई।	1. परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाना संभव हो सकेगा। 2. जांच फिर से करवा लेते हैं और कोई जांच रिपोर्ट होगी तो उसको दिखवा लेते हैं।	प्राप्त शिकायत का परीक्षण किया गया, जिसमें सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि की प्रविष्टि पूर्णत: उचित एवं नियम सम्मत पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11-170/2001/ 18-1,** **दिनांक 20.05.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
179.	528	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.4999) दि. 20.09.2001	नगर पालिका परिषद, बैतूल के सी.एम.ओ. श्री राय द्वारा अवकाश हेतु दिये गये आवेदन में हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर की विशेषज्ञ से जांच।	जांच कराई जावेगी।	श्री डी.के. राय, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बैतूल (वर्तमान में न.पा.पिपरौया) ने दिनांक 18.01.2002 को दिये अपने लिखित अभिकथन में बताया है कि दिनांक 17.08.2001 को मुख्यालय छोड़ने संबंधी आवेदन पत्र पर उनके स्वयं के हस्ताक्षर है। अत: इसकी विशेषज्ञ से जांच कराई जाना आवश्यक नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11-152/2001/ 18-1,** **दिनांक 04.06.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
180.	531	परि.अता.प्र.सं.95 (क्र.6994) दि. 20.09.2001	नगर पंचायत पथरिया द्वारा निर्माण कार्य एवं विकास कार्य हेतु दी गई राशि उस मद में व्यय न कर अन्य मद में व्यय किए जाने की जांच एवं कार्यवाही।	व्यय की जांच करने के बाद उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।	जांच प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 01.01.2000 से 31.08.2001 तक की अवधि के दौरान शासन निधि का अन्य मदों में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है :- 1. श्रीमती मुन्नीबाई कोरी, तत्कालीन अध्यक्ष, न.प. पथरिया। 2. श्री बी.जी.पटेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.प.पथरिया। 3. श्री बी.एस.राजपूत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.प.पथरिया। 4. श्री देवेश श्रीवास्तव, तत्कालीन उ.श्रे.लि.(प्र.लेखा) न.प.पथरिया। उक्त अधिकारी/कर्मचारी में से श्री देवेश श्रीवास्तव, उ.श्रे.लि. (प्र.लेखा) का स्वर्गवास हो जाने से उनके विरूद्ध आरोप पत्र तैयार नहीं किये गये है। शेष दोषी अधिकारी के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र तथा आरोप पत्र प्रेषित किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1992/1710/2015/18-3** **दिनांक 05.12..2015**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
181.	532	अता.प्र.सं.07 (क्र.3363) दि. 20.09.2001	नगर पालिका डबरा में पदस्थ श्री सुरेश चंद्र जैन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई भूमि संबंधी अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 6142/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र.2406/वि.स./आश्वा./2009, दि.26.02.2009 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***जिला ग्वालियर की नगर पालिका परिषद डबरा में पदस्थ श्री सुरेश चन्द्र जैन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई भूमि संबंधी अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार
182.	534	अता.प्र.सं.30 (क्र.4977) दि. 20.09.2001	नगर पालिका इटारसी द्वारा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत भुगतान न किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण में जांच उपरांत उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।	प्रकरण की जांच करायी गयी। दोषी अधिकारी को दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति दी गयी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1923/2008/18-1, दिनांक 01.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं
183.	538	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 21.09.2001	झाबुआ नगर पालिका द्वारा मध्यान्ह पोषण आहार को बाजार में बेचा जाने की जांच एवं कार्यवाही।	विधि अनुसार उसमें सारी नियम प्रक्रिया पूरी करेंगे और आरोप सिद्ध पायेगे तो निश्चित रूप से दण्डात्मक कार्यवाही करेगें।	वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 3175/2732/2010/ 18-3, दिनांक 02.11.2010**	कोई टिप्पणी नहीं

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 01 दिसम्बर, 2015

(राजेन्द्र पाण्डेय)
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट- ''अ'' ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

विचाराधीन प्रतिवेदन अगस्त सितम्बर, 2001 सत्र के आश्वासनों पर आधारित है, इसमें कुल 25 विभागों के 183 आश्वासनों पर विभागीय कार्यवाही का ब्यौरा है ।

विभागीय जानकारी से स्पष्ट है कि लगभग 14 वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद भी 4 आश्वासनों की जानकारी अंत तक अप्राप्त है । इसमें लोक निर्माण विभाग के दो आश्वासन (क्रमांक 103 एवं 116) ऐसे हैं जिनमें जॉच कर दोषियों पर कार्यवाही होनी है । अनियमितता के मामलों की जॉच और उन पर कार्यवाही के 24 अन्य मामले भी हैं जिन पर विभिन्न विभागों ने प्रतिवेदन दिये जाने तक कार्यवाही पूर्ण नहीं की । (परिशिष्ट- ''ब'')

इसे हास्यास्पद नहीं वरन् सोची समझी रणनीति ही कहा जायेगा कि नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का आश्वासन क्रमांक 522 जो नगरपालिका परिषद् बैतूल से संबंधित है और इसमें मामले की जॉच एक माह में पूर्ण होना थी लेकिन यह जॉच वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई । इसी विभाग का आश्वासन क्रमांक 531 जो नगर पंचायत पथरिया से संबंधित है उसमें अभी आरोप पत्र ही जारी हुए हैं । लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आश्वासन क्रमांक 61 में 6 लोग दोषी पाये गये हैं जिनमें से 2 सेवानिवृत्त हो गये हैं और जॉच अभी लंबित है । यही स्थिति सहकारिता विभाग के आश्वासन क्रमांक 206 की है जिसमें दोषी सेवानिवृत्त हो गये और उन पर कार्यवाही नहीं हो पाई । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का आश्वासन क्रमांक 240 दोषी कार्यपालन यंत्रियों के विरूद्ध है, इसमें 9 साल बाद अर्थात् 31-3-2009 को संबंधित 11 दोषियों से अभी स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये हैं । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आश्वासन क्रमांक 346 फर्जी भुगतान से संबंधित है और इसमें 10 दोषी अधिकारियों से रूपये 6,65,873/- रूपये की वसूली होना है और इस पर 15 साल में कार्यवाही नहीं हो पाई है । इसी विभाग का आश्वासन क्रमांक 343 ठेकेदारों से राशि वसूली का है वह भी अभी बकाया है ।

विभागीय जॉच और दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए विभाग का तर्क होता है कि यह अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें समय लगने की स्वाभाविक है । जबकि इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश स्पष्ट हैं और यह कार्यवाही एक वर्ष में हो जाना चाहिए थी । विचाराधीन प्रकरणों को देखने से स्पष्ट है कि दोषियों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस, जॉच की प्रक्रिया में जानबूझकर विलंब किया गया, देर से नोटिस और देर से जॉच प्रारंभ की गई और कई दोषियो को सेवानिवृत्त होने का पूरा मौका भी दिया गया और अभी भी दिया जा रहा है । मामले में वसूलियां नहीं हो रही हैं और इस प्रकार समय निकालकर दोषियों को बचाया जा रहा है । यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है कि बाकी मामलों पर विभाग से जानकारी समय पर प्राप्त हो जाती है लेकिन जहॉ किसी मामले में दोषी पाये जाते हैं और उन पर कार्यवाही की बात आती है तो वे दोषी विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से समय निकालकर बचने में सफल हो जाते हैं और यह इसीलिए हो पाता है कि ऐसे लंबित मामलों की उच्च स्तर पर समीक्षा की कोई स्थायी व्यवस्था विभागों में नहीं है ।

समिति इस स्थिति में गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करती है और ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को ढूढ़कर दण्डित करने के पक्ष में है जो ऐसे दोषियों को बचाने के कार्य में संलिप्त हैं। समिति जॉच के मामलों को शीघ्र निपटाकर संबंधित दोषियों को भी समय सीमा के भीतर दण्डित करने के पक्ष में है। समिति की अनुशंसा है कि :-

1. जॉंच के सभी मामले अधिकतम 6 माह के भीतर निपटा लिये जाय और ऐसे मामलों में सभी दोषियों पर कार्यवाही करके 6 माह के भीतर समिति को तदाशय की जानकारी दी जाय।

2. वर्ष 2001 के विचाराधीन मामलों में समय पर जॉंच प्रारंभ न करके जॉंच को विलम्बित करना या प्रकरण को दबाने के जो भी दोषी पाये जाय उनको चिन्हित करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय और यदि ऐसे मामलों पर दोषियों से वसूलियां प्रभावित हुई हैं तो ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से राशि की वसूली भी की जाय। ठेकेदारों और अन्य दोषियों से वसूली शीघ्र की जाय।

3. ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु एक स्थाई व्यवस्था शासन स्तर पर बनाई जाय जिसमें हर वर्ष विभागीय जॉंच और अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की समीक्षा विभाग करे और ऐसे मामलों के दोषी यथा समय दण्डित हों।

4. जिन 4 आश्वासनों की जानकारी प्रतिवेदन दिये जाने तक प्राप्त नहीं हुई है उनमें जानकारी न दिये जाने के दोषी भी दण्डित हों। जिन 4 मामलों (आश्वासन क्रमांक 42, 324, 441 और 508) में अद्यतन जानकारी समिति को नहीं भेजी गई है उनकी जानकारी शीघ्रातिशीघ्र समिति को भिजवाई जाय।

:: परिशिष्ट – ''ब'' ::

विभागीय जांच के अनिर्णीत प्रकरण

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आश्वासन क्रमांक	52
आश्वासन क्रमांक	61

लोक निर्माण विभाग

आश्वासन क्रमांक	77
आश्वासन क्रमांक	98
आश्वासन क्रमांक	108
आश्वासन क्रमांक	115
आश्वासन क्रमांक	120

स्कूल शिक्षा विभाग

आश्वासन क्रमांक	171

सहकारिता विभाग

आश्वासन क्रमांक	200
आश्वासन क्रमांक	206

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

आश्वासन क्रमांक	240
आश्वासन क्रमांक	243

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	324
आश्वासन क्रमांक	332
आश्वासन क्रमांक	343
आश्वासन क्रमांक	346

राजस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	441

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	473
आश्वासन क्रमांक	479
आश्वासन क्रमांक	482
आश्वासन क्रमांक	487
आश्वासन क्रमांक	502
आश्वासन क्रमांक	505
आश्वासन क्रमांक	508
आश्वासन क्रमांक	516
आश्वासन क्रमांक	517
आश्वासन क्रमांक	522
आश्वासन क्रमांक	531
आश्वासन क्रमांक	532

:: परिशिष्ट - "स" ::

अगस्त-सितम्बर 2001, सत्र के आश्वासनों पर पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	पशुपालन	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
2.	03	विधि और विधायी कार्य	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	04	ग्रामोद्योग	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	05	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
5.	06	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
6.	08	वाणिज्य उद्योग	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	09	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
8.	12	सामान्य प्रशासन	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	13	वित्त	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
10.	16	श्रम	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	17	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	18	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	20	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	21	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	23	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	24	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	27	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	28	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	29	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	31	वाणिज्यिक कर	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
21.	32	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
22.	33	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	34	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
24.	35	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
25.	36	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
26.	37	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
27.	38	तकनीकी शिक्षा	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
28.	39	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
29.	44	परिवहन	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	46	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
31.	47	लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	48	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	51	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	53	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	54	"	अष्टम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	55	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	56	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	58	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	59	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

40.	62	लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	63	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	65	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	66	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	67	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	68	चिकित्सा शिक्षा	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	69	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	70	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	72	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
49.	73	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
50.	74	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	75	लोक निर्माण	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	76	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
53.	79	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
54.	80	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
55.	82	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	86	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
57.	88	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
58.	89	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
59.	91	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	92	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
61.	93	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
62.	97	"	अष्टम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
63.	100	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
64.	101	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
65.	102	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
66.	106	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
67.	107	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
68.	109	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
69.	110	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	112	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	113	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	114	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	116	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	118	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	121	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	122	वन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
77.	123	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
78.	124	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	125	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	126	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
81.	129	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	130	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
83.	131	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
84.	132	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	133	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा

86.	133(अ)	वन	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
87.	134	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
88.	135	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
89.	137	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	138	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
91.	139	आदिम जाति कल्याण	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
92.	142	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
93.	143	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
94.	144	अनुसूचित जाति कल्याण	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
95.	145	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
96.	146	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
97.	147	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
98.	150	स्कूल शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	151	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	152	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
101.	153	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	154	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
103.	155	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
104.	156	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
105.	157	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
106.	159	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	160	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
108.	161	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
109.	162	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	165	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
111.	166	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
112.	167	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
113.	168	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
114.	169	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
115.	170	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
116.	173	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
117.	174	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
118.	175	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
119.	176	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
120.	178	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
121.	179	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
122.	180	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
123.	181	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
124.	182	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	183	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
126.	184	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	185	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
128.	186	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
129.	187	"	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
130.	189	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
131.	190	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

132.	191	स्कूल शिक्षा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
133.	193	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
134.	194	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
135.	195	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
136.	197	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
137.	198	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
138.	198(अ)	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	207	सहकारिता	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
140.	209	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
141.	210	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
142.	211	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
143.	212	महिला एवं बाल विकास	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
144.	213	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
145.	214	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
146.	215	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
147.	216	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
148.	217	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
149.	218	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
150.	219	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
151.	220	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
152.	221	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
153.	222	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
154.	223	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
155.	224	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
156.	225	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
157.	227	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
158.	230	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
159.	231	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
160.	232	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
161.	234	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
162.	236	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
163.	237	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
164.	238	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
165.	241	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
166.	244	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
167.	245	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
168.	247	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
169.	248	आवास और पर्यावरण	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
170.	250	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
171.	251	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
172.	253	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
173.	254	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
174.	255	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
175.	257	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
176.	258	ऊर्जा	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
177.	259	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा

178.	260	ऊर्जा	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
179.	261	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
180.	262	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	263	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
182.	264	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
183.	266	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	267	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
185.	268	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
186.	269	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
187.	270	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
188.	271	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
189.	272	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
190.	274	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
191.	275	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
192.	276	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
193.	277	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
194.	278	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
195.	279	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
196.	280	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
197.	281	गृह	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
198.	282	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
199.	283	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
200.	284	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
201.	286	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
202.	287	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
203.	288	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
204.	289	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
205.	290	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
206.	291	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
207.	293	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
208.	294	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
209.	295	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
210.	297	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
211.	297(अ)	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
212.	298(अ)	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
213.	298	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
214.	299	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
215.	300	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
216.	301	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
217.	304	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
218.	305	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
219.	306	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
220.	307	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
221.	308	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
222.	309	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
223.	311	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा

224.	312	गृह	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
225.	313	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
226.	314	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
227.	315	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
228.	316	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
229.	317	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
230.	318	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
231.	320	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
232.	321	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
233.	322	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
234.	326	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
235.	329	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
236.	333	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
237.	336	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
238.	340	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
239.	345	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
240.	350	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
241.	351	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
242.	352	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
243.	353	किसान कल्याण	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
244.	354	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
245.	355	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
246.	356	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
247.	357	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
248.	358	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
249.	359	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
250.	360	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
251.	361	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
252.	362	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
253.	363	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
254.	364	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
255.	365	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
256.	366	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
257.	367	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
258.	368	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
259.	369	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
260.	370	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
261.	371+386	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
262.	372	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
263.	373	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
264.	374	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
265.	375	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
266.	377	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
267.	378	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
268.	381	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
269.	382	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

270.	383	किसान कल्याण	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
271.	384	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
272.	385	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
273.	387	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
274.	388	जल संसाधन	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
275.	392	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
276.	393	"	विलोपित	
277.	399	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
278.	400	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
279.	409	नर्मदा घाटी विकास	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
280.	410	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
281.	413	राजस्व	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
282.	414	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
283.	416	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
284.	417	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
285.	418	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
286.	419	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
287.	420	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
288.	421	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
289.	422	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
290.	423	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
291.	426	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
292.	427	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
293.	428	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
294.	429	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
295.	431	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
296.	432	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
297.	433	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
298.	437	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
299.	438	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
300.	439	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
301.	443	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
302.	445	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
303.	446	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
304.	449	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
305.	450	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
306.	452	उच्च शिक्षा	पन्द्रहवा प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
307.	453	"	पन्द्रहवा प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
308.	454	"	पन्द्रहवा प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
309.	455	"	पन्द्रहवा प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
310.	457	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
311.	459	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
312.	460	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
313.	462	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
314.	463	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
315.	468	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

316.	470	उच्च शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
317.	471	नगरीय प्रशासन एवं विकास	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
318.	472	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
319.	474	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
320.	476	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
321.	477	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
322.	481	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
323.	483	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
324.	484	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
325.	486	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
326.	489	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
327.	490	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
328.	492	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
329.	493	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
330.	494	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
331.	495	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
332.	496	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
333.	497	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
334.	498	"	छत्तीसगढ से संबंधित निराकृत	
335.	499	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
336.	500	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
337.	501	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
338.	503	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
339.	504	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
340.	506	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
341.	509	"	अष्टम् प्रतिवेदन (निराकृत)	द्वादश विधानसभा
342.	510	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
343.	511	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
344.	512	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
345.	513	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
346.	514	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
347.	518(अ)	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
348.	518	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
349.	519	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
350.	520	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
351.	521	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
352.	523	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
353.	524	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
354.	525	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
355.	527	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
356.	529	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
357.	530	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
358.	533	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
359.	535	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
360.	536	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
361.	537	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा